"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 फरवरी 2025 — माघ 15, शक 1946

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2025

अनुक्रमणिका

छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन और विनियमन) नियम, 2024

अनुभाग सं.	विषय सूचि
	अध्याय–एक प्रारंभिक
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार एव प्रारंभ
2	परिभाषायें
	अध्याय–दो छरीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण
3	सुचारू और उचित तरीके से कार्य करने हेतु व्यवस्था
4	एक. छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण के पदाधिकारी दो. राज्य भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण के कार्य निम्नानुसार होंगे तीन. राज्य भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण की निधि
5	एक. जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के पदाधिकारी दो. जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का कार्य निम्नानुसार होगा तीन. जिला भू–जल प्रबंधन परिषद की निधि
6	एक. विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति के पदाधिकारी दो. विकासखंड –स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति का कार्य निम्नानुसार होगा तीन. विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति की निधि
7	जिला / स्थानीय प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान करना
8	मानदेय

9	पदावधि
10	न्यूनतम योग्यताएं
11	बैठकें.
	अध्याय–तीन अधिसूचित क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन
12	अधिसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने वाले क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन की रीति
13	अधिसूचना जारी करना
	अध्याय–चार अधिसूचित तथा गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में कुओं का पंजीकरण एवं नये कुओं पर प्रतिबंध
14	कुँए के पंजीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया
15	पंजीकृत कुएं में उपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया
16	जिला भू–जल प्रबंधन परिषद अथवा विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का निराकरण
17	पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर
18	आवेदन शुल्क
19	अधिसूचित क्षेत्र में नये कुएं के निर्माण पर प्रतिबंध
20	अधिसूचित क्षेत्र में भू–जल सुरक्षा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन
21	ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण की प्रक्रिया
22	आवेदन शुल्क
	अध्याय–पांच अनुमति प्रदान करना
23	छूट

24	उपयोगकर्ता के लिए अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया
25	अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया
26	छत्तीसगढ़ भू– जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन
27	अनुमति प्रदान करने हेतु रजिस्टर
28	अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन शुल्क एवं भू–जल की निष्कर्षण/निकासी के लिये शुल्क
	अध्याय–छः वाणिज्यिक, औद्योगिक, अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता के लिए भू–जल के निष्कर्षण की सीमा निर्धारित करना
29	सीमा निधारित करने की प्रक्रिया
	अध्याय–सात भू–जल उपयोग की निगरानी के लिए समुचित तकनीकी का उपयोग
30	मशीनी–तंत्रों की निगरानी के लिये तकनीकी का उपयोग
	अध्याय–आठ उल्लंघन, अपराध, शास्ति और अपराधों का प्रशमन
31	उल्लंघन, अपराध, शास्ति और अपराध के प्रशमन की प्रकिया
32	शक्तियां प्रत्यायोजित करना
33	प्राधिकरण के कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाएगा
34	योजना का प्रारंभ किया जाना
	अध्याय–नौ शिकायत निवारण

35	शिकायत निवारण की प्रकिया
	अध्याय–दस उपचारित अपशिष्ट जल के मानक निर्धारित करने की प्रक्रिया, उपचार संयंत्र एवं वर्षा जल संचयन की संस्थापना
36	जानकारी मांगने की समुचित निकाय की शक्ति
37	उपचारित अपशिष्ट जल के मानक के निर्धारण की प्रकिया
38	उपचार संयंत्र के संस्थापना के लिये प्रकिया
39	भू–जल या सतही जल में अनुपचारित अपशिष्टों के निर्वहन पर प्रतिबंध की प्रकिया
40	वर्षा जल संचयन हेतु अधिरोपित प्रावधानों की प्रकिया
	अध्याय–ग्यारह भू–जल संरक्षण कोष
41	भू–जल संरक्षण कोष
	अध्याय–बारह प्रकीर्ण
42	संचालित योजनाओं की पहचान
43	निर्धारित मापदण्ड
44	मामलों में निर्णय
	अनुसूची–एक
	औद्योगिक उपयोग
	अनुसूची–दो
	खनन परियोजनाए
	अनुसूची–तीन

	आधारभूत संरचना परियोजनाएं
	अनुसूची–चार
	आवेदन शुल्क चार.क. – भू–जल अमुर्तन की अनुमति की वैधता / नवीनीकरण चार.ख. – भू–जल निष्कर्षण की अनुमति का विस्तार
	अनुसूची–पांच
	ड्रिलिंग रिग्स का पंजीकरण
	अनुसूची–छः
	आवासीय अपार्टमेंट / ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी / नगरीय क्षेत्र में सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों के लिए पेय और घरेलू उपयोग
	अनुसूची–सात
	व्यावसायिक उपयोग
	अनुसूची–आठ भू–जल निष्कर्षण / पुनर्स्थापना शुल्क
	8.1 भू–जल निष्कर्षण / पुनर्स्थापन शुल्क की दरें एक. नगरीय क्षेत्रों में आवासीय अपार्टमेंट / ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी / सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों के लिए पेय और घरेलू उपयोग दो. पैकेज्ड पेयजल ईकाइयाँ तीन. अन्य उद्योग एवं अधोसंरचना परियोजनाओं चार. खनन परियोजनाएँ पांच. थोक जल आपूर्ति

	छः. खारे भू–जल का निष्कर्षण सात. आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण आठ. स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण वाले सभी उपयोगकर्ता
	अनुसूची–नौ
	एक.क. भू–जल निष्कर्षण की अनुमति में सामान्य अनुपालन शर्तें एक.ख. परित्यक्त बोरवेल और ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपाय
	दो. भू–जल निकासी शर्तों की अनुमति के अनुपालन की निगरानी
	तीन. अनुमति में सुधार/संशोधन के लिए शास्ति और शुल्क का प्रावधान
	चार. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति
	पांच. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें (सभी पर लागू):
	छः. भू–जल स्तर की निगरानी
	परिशिष्ट–क
	समुचित संस्था/निकाय के गैर–अधिकारी सदस्यो की योग्यता
	परिशिष्ट–ख

	अपराध के निराकरण के लिए आवेदन पत्र
	परिशिष्ट–एक
	पेय और घरेलू उपयोग के लिए जल आवश्यकताओं का अनुमान (स्रोतः राष्ट्रीय भवन निर्माण संहित 2016, बीआईएस)
	परिशिष्ट–दो
	पीजोमीटर के निर्माण और भू–जल स्तर एवं गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिशानिर्देश
	परिशिष्ट–तीन
	प्रदूषणकारी उद्योगों/परियोजनाओं के संयंत्र परिसरों में प्रदूषण से बचाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय
	परिशिष्ट–चार
	उद्योगों के लिए भू–जल निष्कर्षण की अनुमति प्राप्त करने के लिए हाइड्रो–जियोलॉजिकल रिपोर्ट की रूपरेखा
	परिशिष्ट–पांच
	भू–जल स्थितियों पर रिपोर्ट का प्रारूप (खनन परियोजनाओं के लिए)
	परिशिष्ट–छः
	अधोसंरचना परियोजनाओं की सांकेतिक सूची
	परिशिष्ट–सात
	त्यक्त बोरवेलों और ट्यूबवेलों में गिरने के कारण छोटे बच्चों की घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों के संबंध में 2009 की

	सिविल रिट याचिका 36 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश
	परिशिष्ट–आठ
	उद्योगों द्वारा जल अंकेक्षण (स्रोत – सीआईआई)
	परिशिष्ट–नौ
	जल गहन उद्योगों की सूची
	परिशिष्ट–दस
	ट्यूब/बोरवेल के पास साइनबोर्ड के लिए मानक प्रारूप
	परिशिष्ट–ग्यारह
	जिला/ब्लॉक/ग्रामवार बोरवेल/ट्यूबवेल की स्थिति के लिए मानक प्रारूप रजिस्टर
	परिशिष्ट–बारह
	ट्यूब/बोरवेल के विवरण की रिपोर्टिंग और अपलोडिंग के लिए मानक प्रारूप
	आवेदन पत्रों का प्रारूप

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्र. 359/एफ 4–404/एस–2/31/अ.वि./ग्राउण्ड वॉटर एक्ट/19.— छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 (क्र.18 सन् 2022) की धारा 28 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में भू–जल के निष्कर्षण और भू–जल संसाधनों के संरक्षण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एव प्रारंभ.–

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन और विनियमन) नियम, 2024 कहलायेंगे।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगे।
(4) इन नियमों के तहत, अनुमति प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया, वेब–आधारित अनुप्रयोग प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

2.परिभाषायें.–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(एक) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 (क्र.18 सन् 2022);
(दो) **"जलभृत"** से अभिप्रेत है भू–गर्भीय संरचना, जो भू–जल को संग्रहित और संचारित करने में सक्षम है;
(तीन) **"बीसीएम"** से अभिप्रेत है अरब घन मीटर;
(चार) **"बीजीएल"** से अभिप्रेत है भू–स्तर से नीचे;
(पांच) **"विकास खंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित समिति;
(छः) **"चालान"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनायी गई "ग्राऊण्ड वाटर कंजर्वेशन फण्ड (भू–जल संरक्षण कोष)" में जमा किए जाने वाले शुल्क या किसी भी राशि की रसीद;
(सात) **"छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण (सीजीजीडब्ल्यूए)"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित प्राधिकरण;
(आठ) **"सहकारी समूह आवास सोसाइटी/फ्लैट्स निर्माता (बिल्डर फ्लैट्स)"** से अभिप्रेत है आवासीय परिसर/कॉलोनी/सुरक्षायुक्त आवासीय वर्ग/प्रकोष्ठ परिसर (अपार्टमेंट कॉम्पलेक्स) या इस तरह के किसी अन्य समान समूह, जिसे किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, के भीतर आवास/फ्लैट/भू–स्वामी द्वारा गठित सोसाइटी;
(नौ) **"संकटग्रस्त खण्ड (क्रिटिकल ब्लॉक)"** से अभिप्रेत है सीजीडब्ल्यूबी और राज्य जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किये गये नवीनतम भू–जल संसाधनों के मूल्यांकन

के आधार पर, भू–जल संसाधनों के दृष्टिकोण से, संकटग्रस्त (क्रिटिकल) के रूप में वर्गीकृत खण्ड (ब्लॉक);

(दस) **"गहरे जलभृत"** से अभिप्रेत है एकाधिक जलभृत प्रणाली वाले क्षेत्रों में, सबसे ऊपरी जलभृत के नीचे होने वाला जलभृत;

(ग्यारह) **"जिला भू–जल प्रबंधन परिषद"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित परिषद;

(बारह) **"पेयजल और घरेलू उपयोग"** से अभिप्रेत है स्वच्छता संबंधी उद्देश्यों सहित दैनिक घरेलू गतिविधियों के लिए अपेक्षित जल, जैसे खाना पकाना, नहाना, सफाई/धोना, स्वच्छता आदि। घरों में पीने और घरेलू उपयोग के अलावा, यह श्रेणी, उन उद्योगों की पेयजल की आवश्यकता के लिये पर्याप्त होगी, जिन्हें औद्योगिक प्रक्रिया के लिए जल की आवश्यकता नहीं है; किन्तु अस्पतालों, होटलों, मॉल और मल्टीप्लेक्स, संस्थानों, कार्यालयों, बैंक्वेट हॉल, फायर स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, स्टेडियमों आदि के मामले में पीने, धोने, सफाई हेतु उपयोग आदि सम्मिलित है;

(तेरह) **"ईसी$^{\text{जीडब्ल्यू}}$"** से अभिप्रेत है गैर–कानूनी भू–जल निष्कर्षण के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति;

(चौदह) **"ईसीआर$_{\text{जीडब्ल्यू}}$"** से अभिप्रेत है गैर–कानूनी भू–जल निष्कर्षण के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति दर;

(पन्द्रह) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(सोलह) **"शासकीय अभिकरण"** से अभिप्रेत है केंद्र या राज्य सरकार का कोई निकाय;

(सत्रह) **"शासकीय विभाग"** से अभिप्रेत है भारत सरकार या छत्तीसगढ़ राज्य शासन के स्वामित्व का/संचालित निकाय/कार्यालय;

(अठ्ठारह) **"भू–जल"** से अभिप्रेत है ऐसा जल, जो संतृप्ति क्षेत्र में सतह के नीचे विद्यमान होता है और जिसे कुओं या किसी अन्य माध्यम से निकाला जा सकता है अथवा धाराओं और नदियों में झरनों एवं आधार प्रवाह के रूप में बहता है;

(उन्नीस) **"भू–जल निष्कर्षण संरचना"** से अभिप्रेत है भू–जल निकालने के लिये उपयोग की जाने वाली संरचना, जैसे कि बोरवेल/ट्यूबवेल/खोदा गया कुआं/डग–सह–बोरवेल/सुरंग कुंआ;

(बीस) **"ग्राऊण्ड वाटर कंजर्वेशन फण्ड (भू–जल संरक्षण कोष)"** से अभिप्रेत है भू–जल आदि निकालने पर शास्ति, पंजीकरण शुल्क, फीस/लेवी की प्राप्तियों को जमा करने हेतु अधिनियम की धारा 27 के तहत सृजित की गई निधि;

(इक्कीस) **"भू–जल ड्राफ्ट (ग्राऊण्ड वाटर ड्राफ्ट)"** से अभिप्रेत है भू–जल निकासी की मात्रा;

(बाईस) **"भू–जल प्रदूषण"** से अभिप्रेत है भू–जल में किसी भी पैरामीटर की सांद्रता, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित पेयजल के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा से अधिक हो;

(तेईस) **"अवैध भू–जल निष्कर्षण संरचना"** से अभिप्रेत है कोई भी भू–जल निष्कर्षण संरचना अर्थात् बोरवेल/ट्यूबवेल/डग वेल/डग–सह–बोरवेल/सुरंग कुंआ, जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ भू–जल प्राधिकरण से वैध अनुमति प्रमाणपत्र के बिना, भू–जल निकालने के लिए किया जाता है;

(चौबीस) **"केएलडी"** से अभिप्रेत है किलो लीटर प्रति दिन;

(पच्चीस) **"खदान"** से अभिप्रेत है वह क्षेत्र, जहां खनन गतिविधि/उत्खनन हो रहा है, अथवा वह क्षेत्र, जिसे खनन/उत्खनन के बाद परित्याग कर दिया गया है;

(छब्बीस) **"खनन परियोजना"** से अभिप्रेत है ऐसी परियोजना, जिसमें खनन गतिविधि/उत्खनन, चाहे वह खुली विक्षेप या भूमिगत या दोनों हो, शामिल है;

(सत्ताईस) **"नगरपालिका"** से अभिप्रेत है नगरपालिका या नगरपालिक निगम या नगर पंचायत या छत्तीसगढ़ शासन के स्वामित्व या उसके द्वारा संचालित किसी भी अन्य नाम द्वारा शासित इसी प्रकार के स्थानीय नगरीय निकाय,

(अठ्ठाईस) **"प्रेक्षण कुंआ या पीजोमीटर"** से अभिप्रेत है बोरवेल/ट्यूबवेल, जिसका उपयोग केवल जल स्तर/पीजोमेट्रिक हेड को मापने तथा समय–समय पर जल के नमूना लेने के लिये ही किया जाता है, किन्तु भू–जल निष्कर्षण के लिये उपयोग नहीं किया जाता है;

(उन्तीस) **"अति–दोहित विकासखंड (ओवर–एक्सप्लायटेड ब्लॉक)"** से अभिप्रेत है सीजीडब्ल्यूबी एवं राज्य जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किये गये नवीनतम भू–जल संसाधन मूल्यांकन के आधार पर, भू–जल संसाधनों की दृष्टिकोण से, अति–दोहित के रूप में वर्गीकृत खंड;

(तीस) **"वर्षा जल संचयन"** से अभिप्रेत है भविष्य में उपयोग के लिये या भू–जल के पुनर्भरण के लिये, छत के ऊपर संचयन सहित सूक्ष्म जलक्षेत्र पैमाने (माइक्रो वाटरशेड स्केल) पर वर्षा जल के संग्रहण एवं भंडारण की तकनीक या प्रणाली;

(इक्तीस) **"पुनःचर्क्रण/पुनःउपयोग"** से अभिप्रेत है उपचारित अपशिष्ट जल को विभिन्न उद्देश्यों के लिये उपयोग करना/जल को कई बार उपयोग में लाना;

(बत्तीस) **"नियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–जल (प्रबंधन एवं विनियमन) नियम, 2024;

(तैतीस) **"सुरक्षित विकासखंड (सेफ ब्लॉक)"** से अभिप्रेत है सीजीडब्ल्यूबी और राज्य जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किये गये नवीनतम भू–जल संसाधन मूल्यांकन के आधार पर, भू–जल संसाधनों के दृष्टिकोण से, सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत खंड;

(चौतीस) **"खारा जल"** से अभिप्रेत है 25^0 से. पर 2500 µसीमेंस/से.मी. से अधिक लवणता वाला जल;

(पैतीस) **"धारा"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(छत्तीस) **"अर्द्ध–संकटग्रस्त विकासखंड (सेमी–क्रिटिकल ब्लॉक)"** से अभिप्रेत है सीजीडब्ल्यूबी और राज्य जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किये गये नवीनतम भू–जल संसाधन मूल्यांकन के आधार पर, भू–जल संसाधनों के दृष्टिकोण से, अर्द्ध– संकटग्रस्त विकासखंड (सेमी–क्रिटिकल ब्लॉक) के रूप में वर्गीकृत खण्ड;

(सैतीस) **"जल आपूर्तिकर्ता"** से अभिप्रेत है शासन या शासन द्वारा अनुमोदित जलापूर्ति अभिकरण;

(अड़तीस) **"जल अंकेक्षण"** से अभिप्रेत है जल के उपयोग को कम करने और अन्यथा व्यर्थ जल के उपयोग पर संसाधनों को बचाने की दृष्टि से, सरल या जटिल प्रणालियों में जल के उपयोग की मात्रा निर्धारित करने की एक विधि;

(उन्चालिस) **"जल कुशल तकनीक"** से अभिप्रेत है जल मृदुता को अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी बनाने के लिए विकसित की गई नवीनतम उन्नत तकनीकें;

(चालीस) **"जल गहन उद्योग"** से अभिप्रेत है ऐसे उद्योग, जिनमें उपचार (विनिर्माण) हेतु अधिक मात्रा में जल के उपयोग की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए– शराब की भठ्ठी और कार्बोनेटेड मादक पेय जल, डेयरी उद्योग, चीनी मिल रिफाइनरियां,

कपड़ा विनिर्माण, लुगदी और पेपर मिल, तेल और गैस, इस्पात संयंत्र, मोटर वाहन और विमान उद्योग आदि;

(इकचालीस) **"भू–जल स्तर प्रतिच्छेदन"** से अभिप्रेत है खनन या अन्य गतिविधियों के कारण ऊपरी सामग्री के उत्खनन पर जल स्तर प्रतिच्छेदन;

(बायालीस) **"कुआं"** से अभिप्रेत है भू–जल के निष्कर्षण के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी संरचना, जिसमें खुले कुएँ, खोदे गए कुएँ, बोरवेल, डग–सह–बोरवेल, ट्यूबवेल, फिल्टर पॉइंट, संग्राहक कुएँ, पाइप की क्षैतिज संरचना (इनफिलट्रेशन गैलरी), पुनर्भरण कुएँ, सुरंग कुएँ या उनमें से कोई भी युग्म या विविधताएँ शामिल हैं।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित है।

अध्याय–दो
छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण

3. सुचारू और उचित तरीके से कार्य करने हेतु व्यवस्था.– राज्य सरकार, राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद और विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति के लिए सभी संस्थागत सहायता और कामकाजी सुविधाओं, बजटीय आवश्यकताओं सहित कर्मचारियों और कार्यालयों की व्यवस्था करेगी, ताकि सुचारू और उचित तरीके से कार्य किया जा सके।

4. (एक) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण के पदाधिकारी.– (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य प्राधिकरण, जिसे छत्तीसगढ राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के रूप में जानी जाएगी, ऐसी तारीख से गठित करेगी, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे–

1.मुख्य सचिव	–अध्यक्ष
2. भारसाधक सचिव, जल संसाधन विभाग	–सदस्य
3. भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	–सदस्य
4. भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	–सदस्य
5. भारसाधक सचिव, कृषि विभाग	–सदस्य
6. भारसाधक सचिव, उद्योग विभाग	–सदस्य
7. भारसाधक सचिव, खनिज संसाधन विभाग	–सदस्य
8. भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन विकास	–सदस्य
9. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग	–सदस्य–सचिव
10.प्रमुख अंभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	–सदस्य
11.सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल	–सदस्य
12. क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भू–जल बोर्ड (एनसीसीआर) रायपुर	–सदस्य

13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक —सदस्य
14.छत्तीसगढ राज्य में भू–जल प्रबंधन का दीर्घकालिक कार्यानुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे) —सदस्य
15.भू–जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक प्रख्यात व्यक्ति (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे) —सदस्य

(3) सार्वजनिक/गैर–सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र से विषय विशेषज्ञों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पदावधि और रिक्तियों को भरने की रीति और सेवाओं की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि नियम 9 और 10 में परिभाषित है।

(4) प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण की ओर से, नोडल कार्यपालक अधिकारी होंगे।

(5) कार्यालय, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा

(दो) राज्य भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण के कार्य निम्नानुसार होंगे, –

(1)(क) धारा 8 के अधीन यथा उपबंधित भू–जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करना;
(ख) धारा 10 के अधीन यथा उपबंधित भू–जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को गैर–अधिसूचित करना;
(ग) धारा 13 के अधीन यथा उपबंधित भू–जल निष्कर्षण की सीमाओं को नियत करना;
(घ)अधिसूचित और गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक, वाणिज्यिक/खनन उद्देश्य के लिए भू–जल निष्कर्षण हेतु अनुमति देना;
(ड.) भू जल निष्कर्षण के लिए कर (लेवी) एकत्र करना;
(च) भू–जल उपयोग की निगरानी और प्रबंधन तंत्र हेतु नवीनतम तकनीक विकसित करना एवं अपनाना;
(छ) कुशल और सुचारू कामकाज के लिए राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, इस खण्ड में उल्लिखित कार्यों को करने के लिए ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे;
(ज) यदि उपयुक्त समझा जाए तो, निकाले जा रहे जल, उसके उपभोग और उपयोग को मापने और निगरानी करने के लिये, भू–जल माप उपकरणों की संस्थापना और संचालन को अनुपूरित (सप्लीमेंट) करना (और आदेशित करना, यदि आवश्यक हो) ;
(झ) संसाधन उपलब्धता, उपयोग और स्थिरता को समेकित करने के लिए जल संसाधन डेटा बेस (यदि आवश्यक समझा जाए तो विशेष रूप से भू–जल पर ध्यान केंद्रित करना) के सृजन को अनुपूरित करना (और आदेशित करना, यदि आवश्यक हो);

(ञ) निगरानी और परिसंपत्ति प्रबंधन में सहायता के लिए सेंसर और मैपिंग टूल का उपयोग करके विशेष भू–जल अध्ययन की सुविधा प्रदान करना;

(ट) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद और विकासखंड स्तरीय प्राधिकरणों के समन्वय से, एक भू–जल संसाधन प्रबंधन कार्य योजना तैयार करना, भू–जल संसाधन की दीर्घता, युक्तियुक्त खपत और संरक्षण/उपचार हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए संवहनीय हस्तक्षेप की योजना बनाना और तैयार करना;

(ठ) जहां भी संभव हो, भू–जल और सतही जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करना;

(ड) जहां भी संभव हो, सिंचाई प्रयोजनों और वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से अनुपूरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भू–जल की मात्रा का निर्धारण करना;

(ढ) एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन योजनाओं, जल सुरक्षा योजनाओं, जल संरक्षण के लिए रोडमैप और अन्य स्थिर उपायों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए अन्य विभागों के साथ तालमेल रखना;

(ण) भू–जल स्वामित्व पर भूमि–आधारित विवादों की निगरानी करना और यदि आवश्यक हो तो हस्तक्षेप करना।

(2) राज्य भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण के कर्मचारीगण, –

(क) राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को अपने कार्यों को समुचित रूप से निष्पादित करने या इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना, राज्य सरकार, सभी संस्थागत सहायता, सुविधाएं और बजट सहित उतनी संख्या में तकनीकी कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति कर सकेगी, जितनी वह आवश्यक समझे;

(ख) राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करेगा।

(तीन) राज्य भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण की निधि –

राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को अपने कार्यों को समुचित रूप से करने या इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार, आवश्यक सुविधाएं और बजट प्रदान करेगी।

5.(एक) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के पदाधिकारी –

(1) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर पर भू–जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक समग्र इकाई होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(क) अध्यक्ष – कलेक्टर

(ख) उपाध्यक्ष – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

(ग) सदस्य–सचिव – कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन संभाग, जिला मुख्यालय

(घ) भू–जल के क्षेत्र में दीर्घकालिक कार्यानुभव/ज्ञान रखने वाले विषय विशेषज्ञ के रूप में दो सदस्य, जो जिला कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा

(ड.) अन्य सदस्य, जिला स्तरीय प्रतिनिधि (प्रत्येक से एक)

संभागीय वन अधिकारी, वन

सहायक भू–जलविद, जिला भू–जल सर्वेक्षण इकाई,

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
उप निदेशक, कृषि विभाग,
जिला मुख्यालय के आयुक्त/सीएमओ, नगर निगम/नगरपालिका (स्थानीय निकाय),
महाप्रबंधक/उप–निदेशक, जिला उद्योग केंद्र
कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग

(2) भू–जल के लिये नामांकित विषय विशेषज्ञ सदस्यों की सेवा की शर्तें, ऐसी होंगी, जैसा कि नियम 9 एवं 10 में परिभाषित है।

(दो) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का कार्य निम्नानुसार होगा, –

(क) मैक्रो–वाटरशेड दृष्टिकोण के आधार पर और यथा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय भू–जल सुरक्षा योजना को समेकित करना;
(ख) जिला भू–जल सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन;
(ग) जिला भू–जल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
(घ) जल से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;
(ड.)अधिसूचित और गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में सभी मौजूदा वाणिज्यिक, औद्योगिक, अधोसंरचना और थोक उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करना;
(च) अधिसूचित/गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल निष्कर्षण के लिए अनुमति प्रदान करने की सिफारिश करना;
(छ) ड्रिलिंग एजेंसियों/ड्रिलिंग रिग मशीन का पंजीकरण करना;
(ज) ऐसे अन्य कार्य करना, जैसा कि राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित या समनुदेशित किया जाये;
(झ) जिला मजिस्ट्रेट/जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष, संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय में सभी मौजूदा/नए घरेलू/पेय/कृषि भू–जल उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण के संबंध में संबंधित जिले के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर नगरीय स्थानीय निकाय की समिति का गठन करेंगे तथा जल स्तर की निगरानी के लिए निगरानी नेटवर्क (पीजोमीटर का निर्माण और डीडब्ल्यूएलआर टेलीमेट्री की संस्थापना) स्थापित करना। पीजोमीटर की संख्या, नगरीय निकाय के क्षेत्र के अनुसार संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिश्चित की जाएगी।
(ञ) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय करना।

(तीन) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद की निधि– जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को अपने कार्यों को समुचित रूप से करने या इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन, आवश्यक सुविधाएं और बजटीय सहायता प्रदान करेगा।

6.(एक) विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति के पदाधिकारी– विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति का गठन किया जाएगा, जो विकासखंड में सभी मौजूदा/नए घरेलू और कृषि भू–जल उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे,–

(क) अध्यक्ष – विकासखंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
(ख) सदस्य सचिव – विकासखंड के अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप प्रभाग
(ग) अन्य सदस्य कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास, उद्योग, लोक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी और वन से विकासखंड स्तर के प्रतिनिधि (प्रत्येक से एक) होंगे

यह समिति, अपने कार्यों के सुचारू निर्वहन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) से मार्गदर्शन और निर्देश लेगी और रिपोर्ट करेगी।

(दो) विकासखंड –स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति का कार्य निम्नानुसार होगा–

(क) जल से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;
(ख) विकासखंड के गैर–अधिसूचित और अधिसूचित क्षेत्रों की सभी मौजूदा/नए घरेलू, कृषि भू–जल उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करना, और
(ग) ऐसे अन्य कार्य करना, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विहित या समनुदेशित किया जाये।

.(तीन) विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति की निधि– विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति को अपने कार्यों को समुचित रूप से करने या इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन, आवश्यक सुविधाएं और बजटीय सहायता प्रदान करेगा।

7. **जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान करना.–** अधिनियम की धारा 24 और इन नियमों के नियम 28, 33 और 35 में परिभाषित कर्तव्यों और कार्यों के कुशल और सुचारू निर्वहन के लिए, सीजीजीडब्ल्यूए और इसके जिला, विकासखंड और नगरीय स्तर के निकायों को, सभी प्रशासनिक और कानून–व्यवस्था संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा।

8. **मानदेय.**–समुचित निकाय के नामांकित सदस्यों को ऐसे मानदेय का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित/विनिर्दिष्ट किया जाये।

9. **पदावधि.**–छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण तथा जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के नामांकित सदस्यों की पदावधि, तीन वर्ष होगी।

10. **न्यूनतम योग्यताएं.–** नियम 8 में निर्दिष्ट सदस्यों की न्यूनतम योग्यताएं, इन नियमों के परिशिष्ट–क में संलग्न अनुसार होंगी।

11.**बैठकें.**–समुचित निकाय की बैठकें, ऐसे समय पर होंगी, जैसा कि निकाय के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाये, बशर्ते कि लगातार दो बैठकों के बीच की अवधि, अधिक न हो,–

(क) विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति के मामले में, तीस दिन;
(ख) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के मामले में, साठ दिन या जैसा कि आवश्यक समझा जाए;
(ग) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के मामले में, 180 दिन या जैसा कि आवश्यक समझा जाए:

तथापि, समुचित निकाय, आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें आहूत कर सकेगा।

अध्याय–तीन
अधिसूचित क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन

12. अधिसूचित क्षेत्र घोषित किये जाने वाले क्षेत्रों की पहचान एवं सीमांकन की रीति.–

(1) **ग्रामीण क्षेत्रः–** अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अधिसूचित क्षेत्रों के सीमांकन के उद्देश्य से, अतिदोहित और संकटग्रस्त ब्लॉक पर विचार किया जाएगा। इसलिए, जल संसाधन विभाग, नवीनतम भू–जल संसाधन आकलन रिपोर्ट के आधार पर अतिदोहित और संकटग्रस्त ब्लॉक के रूप में वर्गीकृत ब्लॉक की जिले–वार सूची की पहचान करेगा और तैयार करेगा।

(2) **शहरी क्षेत्रः–** शहरी क्षेत्र में, जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है, संकटग्रस्त क्षेत्र, जहां भू–जल स्तर संकटसूचक स्तर तक गिर गया है, ऐसे क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के उद्देश्य से विचार किया जाएगा। नगरीय स्थानीय निकाय, उन संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों की पहचान और रेखांकन करेगा, जहां पिछले पांच वर्षों के दौरान भू–जल स्तर में प्रति वर्ष 20 से.मी. से अधिक की महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि नियम 4(ख)(झ) के तहत उल्लिखित है। जल संसाधन विभाग, नगरीय स्थानीय निकाय की समिति द्वारा पहचाने गए और रेखांकित किए गए अधिसूचित क्षेत्रों को अनुमोदित करेगा।

(3) जल संसाधन विभाग, अधिनियम में उपबंधित अनुसार, उक्त क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए अतिदोहित और संकटग्रस्त ब्लॉक और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्र की सूची, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

13. अधिसूचना जारी करना.–

(1) राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, नवीनतम भू–जल संसाधन आकलन के अनुसार वर्गीकृत अतिदोहित और संकटग्रस्त ब्लॉक और भू–जल की कमी के विश्लेषण के आधार पर विभाग द्वारा पहचाने गए संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों के संबंध में, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर आवश्यक परामर्श करेगा।

(2) तत्पश्चात्, प्राधिकरण, राज्य सरकार को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रयोजन से ऐसे क्षेत्रों को, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने की सलाह देगा। जल संसाधन विभाग की अनुशंसा के आधार पर, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसे सरकारी योजनाओं, जो सीधे तौर पर भू–जल के निष्कर्षण पर निर्भर हैं, को बंद करने या पुनः डिजाइन करने की सलाह भी देगा।

(3) राज्य सरकार, ऐसे क्षेत्रों को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण की सिफारिश और सलाह पर सम्यक् रूप से विचार करेगी।

(4) उप–नियम (3) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर अपलोड की जाएगी और जनहित में व्यापक रूप से प्रचारित भी की जाएगी।

अध्याय–चार
अधिसूचित तथा गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में कुओं का पंजीकरण एवं नये कुओं पर प्रतिबंध

14. कुँए के पंजीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया.–

(1) कोई भी मौजूदा वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता, जिसने अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व अधिसूचित क्षेत्र या गैर–अधिसूचित क्षेत्र में भू–जल निष्कर्षण या उपयोग करने के लिए एक कुआं खोदा है, के द्वारा अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप–1(क) में, नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को आवेदन देना होगा तथा गैर–अधिसूचित क्षेत्र में कभी भी भविष्य के वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता भी, अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप–1(क) में आवेदन करेंगे।

(2) कोई भी मौजूदा वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता, जिसने अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले किसी अधिसूचित क्षेत्र या गैर–अधिसूचित क्षेत्र में भू–जल निष्कर्षण या उपयोग करने के लिए एक कुआं खोदा है, और जिसके पास भू–जल निष्कर्षण या उपयोग करने के लिए केंद्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा जारी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप–1(ख) में, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करेगा।

(3) नियम 14 के उप–नियम (1) में उल्लिखित के अलावा भू–जल का प्रत्येक मौजूदा उपयोगकर्ता, जिसमें घरेलू और कृषि उपयोगकर्ता और भू–जल के नगरीय प्रशासन (स्थानीय निकाय) के ट्यूबवेल शामिल हैं, जिन्होंने अपने परिसर या कृषि भूमि जोत में कुएं या बोरिंग खोदी है, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर, अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट प्ररूप–1(ग) में ब्लॉक स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति को आवेदन करेगा। नगरीय क्षेत्रों में, नगरीय स्थानीय निकाय की समिति द्वारा नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक मौजूदा पेय/घरेलू/कृषि भू–जल उपयोगकर्ता के लिए नियम 4(ख)(झ) के तहत यथा उल्लिखित समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(4) नियम 14 के उप–नियम (1) में उल्लिखित के अलावा भू–जल का प्रत्येक भावी उपयोगकर्ता, जिसमें भू–जल का घरेलू और कृषि उपयोगकर्ता भी शामिल है, जो अपने परिसर या कृषि भूमि जोतों में कुआं खोदना या बोरिंग करना चाहता है, ऐसे कुएं के खोदने से पहले, विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति को अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट प्ररूप–1 (घ) में आवेदन करेगा; नगरीय क्षेत्र में, नगरीय स्थानीय निकाय की समिति द्वारा नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक भावी पेय/घरेलू/कृषि भू–जल उपयोगकर्ता के लिए, नियम 4(ख)(झ) के तहत उल्लिखित समान प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

परंतु यह कि कोई उपयोगकर्ता, जिसने क्षेत्र में भू–जल निष्कर्षण या उपयोग करने के लिए एक से अधिक कुएं खोदे हैं, द्वारा प्रत्येक कुएं के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

(5) प्ररूप–1(क,ख,ग,घ), प्राधिकरण के ऑनलाईन वेब पोर्टल से निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा।

(6) प्ररूप को गलत तरीके से भरने, और प्ररूप–1(क,ख,ग,घ) में विनिर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने में विफल होने पर, आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(7) उपरोक्त उप–नियमों में उल्लिखित अनुसार सभी आवेदन, प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर ऑनलाईन जमा किए जाएंगे।

15. पंजीकृत कुएं में उपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया.–

(1) यदि अधिसूचित क्षेत्र में भू–जल का कोई पंजीकृत वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता, जिसके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र है, जो पंजीकृत कुएं में कोई उपांतरण या परिवर्तन करना चाहता है, तो वह या व्यक्तियों का एक समूह या एक एजेंसी, (जैसी भी स्थिति हो), संबंधित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को प्ररूप–2 (क) जमा करके, राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण से इसके लिए स्वीकृति प्राप्त करेगा। इसके लिए संबंधित उपयोगकर्ता को अनुसूची–नौ की तालिका 9.2 में यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(2) यदि भू–जल का कोई पंजीकृत वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता, गैर–अधिसूचित क्षेत्र में पंजीकृत कुएं में कोई उपांतरण या परिवर्तन करना चाहता है, तो वह या व्यक्तियों का समूह या एजेंसी (जैसा भी स्थिति हो), संबंधित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को प्ररूप–2(ख) जमा करके, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण से इसके लिए स्वीकृति प्राप्त करेगा। इसके लिए संबंधित उपयोगकर्ता को अनुसूची–नौ की तालिका 9.2 में यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

16. जिला भू–जल प्रबंधन परिषद अथवा विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का निराकरण.–

(1) नियम 13 के उप–नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का विचार हो कि आवेदन, अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए है, वह अपनी बैठक में संतुष्ट होने के बाद, मामले को स्वीकृत कर देगा और उपयोगकर्ता को प्ररूप–3(क) में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और यदि संबंधित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद मामले से संतुष्ट नहीं है, तो वह, पर्याप्त कारण दर्शाने के बाद, पंजीकरण प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देगा तथा तदनुसार उपयोगकर्ता को प्ररूप–4(क) में सूचित करेगा।

(2) नियम 13 के उप–नियम (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, मौजूदा वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता, जो केंद्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा जारी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं, स्वतः पंजीकृत हो जाएंगे। ऐसे उपयोगकर्ताओं को, समुचित आवेदन को ऑनलाईन जमा करने के 15 दिनों के भीतर, प्ररूप–3(ख) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

(3) नियम 13 के उप–नियम (3) और उप–नियम (4) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, भू–जल के कृषि और घरेलू उपयोगकर्ता, स्वतः पंजीकृत हो जाएंगे। ऐसे उपयोगकर्ताओं को, समुचित आवेदन को ऑनलाईन जमा करने के 15 दिनों के भीतर, प्ररूप–3(ग) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे।

(4) ऐसे उपयोगकर्ता, जिनका पंजीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन उप–नियम (1) के तहत अस्वीकार कर दिया गया है, वे आवेदन के निराकरण के लिए प्राधिकरण के सचिव के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे। ऐसे मामलों में राज्य भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(5) इस नियम के तहत संबंधित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद या विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र देने या अस्वीकार करने के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय, उपयोगकर्ता को, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा।

(6) उपयोगकर्ता, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद या विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय से पंजीकरण प्रमाण पत्र की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

17. पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए रजिस्टर.–

(1) प्ररूप–3(क) या 3(ख) में जारी किए गए प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए, प्राधिकरण के ऑनलाईन वेब पोर्टल पर एक ई–रजिस्टर संधारित किये जाएंगे।

(2) प्रत्येक जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, प्ररूप–3(क) और 3(ख) में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रतियों का एक पृथक रजिस्टर भी संधारित करेंगे।

(3) प्रत्येक विकासखंड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति, प्ररूप–3(ग) में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रतियों का एक पृथक रजिस्टर भी संधारित करेगी।

18. आवेदन शुल्क.–

(1) वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ताओं को, कुएं के पंजीकरण हेतु आवेदन भरने के लिए छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा तय की गई शुल्क की उतनी राशि जमा करनी होगी, जैसा कि नियम 13 के उप–नियम (1) और उप–नियम (2) में वर्णित है। कृपया आवेदन शुल्क के लिए अनुसूची–चार.ख देखिये। छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण, समय–समय पर भू–जल के विभिन्न श्रेणी के उपयोगकर्ताओं के लिए शुल्क की राशि की समीक्षा कर सकेगा।

(2) नियम 13 के उप–नियम (3) एवं उप–नियम (4) के तहत आवेदन भरने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

(3) उप–नियम (1) और उप–नियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन शुल्क का भुगतान, ऑनलाईन किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ग्राउंड वाटर कंजरवेशन फण्ड (भू–जल संरक्षण कोष) में जमा किया जाएगा।

19. अधिसूचित क्षेत्र में नये कुएं के निर्माण पर प्रतिबंध.– जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा अतिदोहित, संकटग्रस्त विकासखंड एवं संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्र की सूची प्रस्तुत करने पर, अधिनियम की धारा 10 में उपबंधित अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और वृक्षारोपण के लिए सरकारी योजनाओं को छोड़कर, राज्य सरकार को नये कुएं के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की सलाह देगा। ऐसा प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा, जब तक क्षेत्र को गैर–अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।

20. अधिसूचित क्षेत्र में भू–जल सुरक्षा योजना की तैयारी और कार्यान्वयन.– अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल संकट के समाधान सुनिश्चित करने और प्राप्त करने के लिए, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, मैक्रो–वाटरशेड दृष्टिकोण और इनपुट भू–जल डेटा बेस के आधार पर, भू–जल सुरक्षा योजना तैयार करेगी और जिला भू–जल सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी।

21. ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण की प्रक्रिया.–

(1) फर्म, एजेंसी या कंपनी सहित कोई भी व्यक्ति, जो भू–जल निष्कर्षण के लिए ड्रिलिंग कार्य करना चाहता है, प्ररूप–5(क) में, अधिनियम की धारा 18 में निर्दिष्ट आवेदन, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को देगा। प्रत्येक जिले के लिए ड्रिलिंग के लिए पृथक से पंजीकरण आवश्यक होगा।

(2) फर्म, एजेंसी या कंपनी सहित कोई भी व्यक्ति, जो नियम के प्रारंभ होने से पहले भू–जल निष्कर्षण के लिए ड्रिलिंग कार्य में संलग्न है, नियम प्रारंभ होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप–5(ख) में, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को अधिनियम की धारा 18 में निर्दिष्ट आवेदन करेगा।

(3) नियम 21 के उप–नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का विचार हो कि आवेदन, धारा 18 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए है, तो वह, अपनी बैठक में संतुष्ट होने के बाद, मामले को स्वीकृत कर देगा और ऐसी ड्रिलिंग एजेंसी को प्ररूप–6(क) में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और यदि संबंधित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद मामले से संतुष्ट नहीं है, तो वह, पंजीकरण प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देगा और तदनुसार ऐसे व्यक्ति को प्ररूप–7(क) में सूचित करेगा।

(4) नियम 21 के उप–नियम (2) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, ऐसी ड्रिलिंग एजेंसी को प्ररूप–6(ख) में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(5) यदि फर्म, एजेंसी या कंपनी सहित कोई भी व्यक्ति, एक से अधिक जिलों में ड्रिलिंग कार्य करना चाहता है, तो उसको अथवा जैसी भी स्थिति हो, को प्रत्येक जिले के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(6) यदि फर्म, एजेंसी या कंपनी सहित कोई भी व्यक्ति, जिसने पहले ही एक जिले में ड्रिलिंग कार्य के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है और दूसरे जिले में भी पंजीकरण कराना चाहता है, तो उसे, प्ररूप–5(क) में आवेदन करना होगा। उसे, प्ररूप के साथ पहले से प्राप्त पंजीकरण की एक प्रति भी अपलोड करनी होगी।

(7) नियम 21 के उप–नियम (6) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर ऐसी ड्रिलिंग एजेंसी को प्ररूप–6(ख) में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(8) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद यह भी सुनिश्चित करेगी कि उप–नियम (3), उप–नियम (4) और उप–नियम (7) के तहत पंजीकृत ड्रिलिंग एजेंसी, अधिसूचित क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी।

(9) पंजीकृत ड्रिलिंग एजेंसियां, प्रत्येक माह में किये गये ड्रिलिंग कार्य का विवरण भी ऑनलाईन उपलब्ध करायेगी।

(10) इस नियम के तहत संबंधित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र देने या अस्वीकार करने के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय, ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर, उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा।

(11)उपयोगकर्ता, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के कार्यालय से पंजीकरण की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति भी प्राप्त कर सकेगा।

(12) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा ड्रिलिंग एजेंसियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पृथक रजिस्टर संधारित किया जाएगा।

(13) सभी पंजीकृत ड्रिलिंग एजेंसियों को अपनी ड्रिलिंग रिग मशीन को जीपीएस सिस्टम से लैस करना अनिवार्य होगा।

22. आवेदन शुल्क.–

(1) नियम 21(1)(2)(6) के तहत कोई भी आवेदक, शुल्क की ऐसी राशि जमा करेगा, जैसा कि अनुसूची–पांच में निर्धारित है।

(2) उपरोक्त उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन शुल्क का भुगतान, ऑनलाईन किया जाएगा और ग्राउंड वाटर कंजरवेशन फण्ड (भू–जल संरक्षण कोष) में जमा किया जाएगा।

अध्याय–पांच
अनुमति प्रदान करना

23. छूट.– निम्नलिखित श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं/व्यक्तियों को भू–जल निष्कर्षण हेतु अनुमति लेने से छूट दी जाएगीः–

(एक) पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता, जहां सार्वजनिक जल आपूर्ति मौजूद नहीं है;

(दो) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएँ;

(तीन) ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में सशस्त्र बल स्थापना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल स्थापना;

(चार) मत्स्य पालन, डेयरी, बागवानी और पशु चिकित्सा उपयोग सहित कृषि गतिविधियों के लिए कृषि उपभोक्ता;

(पांच) सूक्ष्म और लघु उद्यम 10 घनमीटर/दिन से कम भू–जल खींचते हैं;

(छः) सभी आकंलन इकाइयों में 5 घन मीटर/दिन तक केवल पीने/घरेलू उद्देश्यों के लिए भू–जल खींचने वाले सभी उद्योग/खनन परियोजनाएं/अधोसंरचना परियोजनाएं;

(सात) आवासीय अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसायटीः–

(क) पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए, नियम की अनुसूची–छः में उल्लिखित शर्तों के अधीन 20 घन मीटर/दिन तक भू–जल खींचना;

(ख) सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास इकाइयाँः

तथापि, सभी भू–जल उपयोगकर्ताओं को, जैसा भी मामला हो, समुचित निकाय के साथ स्वयं को पंजीकृत करवाना होगा।

24. उपयोगकर्ता के लिए अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया.–

(1) नियम 14 के उप–खण्ड (1) के तहत कोई भी भावी या मौजूदा उपयोगकर्ता, जिसके पास केंद्रीय भू–जल प्राधिकरण या जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है, उसे प्ररूप–4(ख) में अनुमति की स्वीकृति जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को आवेदन देगा ।

(2) प्ररूप–4(ख), प्राधिकरण के ऑनलाईन वेब पोर्टल से निःशुल्क डाउनलोड किया जाएगा।

(3) ऐसे प्ररूप, जो विधिवत भरे नहीं गए हैं और प्ररूप–4(ख) में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, अस्वीकार किए जाने योग्य होंगे।

(4) सभी नये/विद्यमान उद्योगों, विस्तार चाहने वाले उद्योगों, अधोसंरचना परियोजनाओं और भू–जल का निष्कर्षण करने वाली खनन परियोजनाओं को जब तक कि इन नियमों के अध्याय–पांच के नियम 23 में यथाउल्लिखित विशेष रुप से छूट न दी गई हो, छत्तीसगढ़ भू–जल प्राधिकरण से अनुमति लेनी आवश्यक होगी ।

25. अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया.–

(1) कोई भी मौजूदा वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता, जिसने अधिसूचित या गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल निकालने या उपयोग करने के लिए कुआं खोदा है, और जिसके पास अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व केंद्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा जारी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र है और भू–जल का निष्कर्षण जारी रखने की वांछा करता है, तो प्ररूप–4(ग) में आवेदन करेगा।

(2) कोई उपयोगकर्ता, जिसके पास भू–जल का पूर्व–विद्यमान अधिकार है, विद्यमान अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति पर या उससे पहले अनापत्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा।

26. छत्तीसगढ़ भू– जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन का निराकरण.– (1) उपरोक्त प्राप्त आवेदन की जांच जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी तथा छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित की जायेगी।

(2) नियम 24 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, यदि, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण का विचार हो कि आवेदन, अधिनियम की धारा 12 के तहत अनुमति जारी करने के लिए है, तो वह, प्ररूप–4(घ) में उपयोगकर्ता को अनुमति दे सकेगा और यदि छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण मामले से संतुष्ट नहीं है, तो वह, अनुमति जारी करने से इनकार कर देगा और तदनुसार प्ररूप–4(च) में सूचित करेगा।

(3) उप–नियम (2) के तहत जारी अनुमति, अनुसूची–चार(क) में यथा निर्धारित अवधि के लिए वैध होगी। अनुमति प्रमाण पत्र की किसी भी शर्त के उल्लंघन या क्षेत्र की भू–जल स्थिति में परिवर्तन के मामले में, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को अनुमति रद्द करने या प्रतिबंध लगाने का ऐसा अधिकार होगा, जैसा कि प्राधिकरण समुचित समझे।

(4) नियम 25 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद् द्वारा आवेदन को जांचोपरान्त टिप्पणी सहित, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाता है। जिला भू–जल प्रबंधन परिषद की अनुशंसा पर, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण, अनुसूची–चार(क) में यथा निर्धारित अवधि के लिए प्ररूप–4(ड.) में अनुमति का नवीनीकरण कर सकेगा।

(5) इस नियम के तहत छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमति देने या अस्वीकार करने के संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगाः

परंतु यह कि उपयोगकर्ता, सूचना की प्रति छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से जाकर प्राप्त कर सकेगा।

27. अनुमति प्रदान करने हेतु रजिस्टर.– छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्ररूप में पृथक से रजिस्टर संधारित करेगा।

28. अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन शुल्क एवं भू–जल की निष्कर्षण/निकासी के लिये शुल्क.– (1) भू–जल निष्कर्षण की अनुमति चाहने वाले वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता को, शुल्क की उतनी राशि जमा करनी होगी, जितनी अनुसूची–चार(क) में निर्धारित किया जाये। छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण, समय–समय पर विभिन्न श्रेणी के भू–जल उपयोगकर्ताओं के लिए शुल्क की राशि की समीक्षा कर सकेगा।

(2) नियम 24 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर अनुमति प्रदान किये जाने के बाद, ऐसे उपयोगकर्ता द्वारा अनुसूची–आठ में यथा निर्धारित भू–जल निष्कर्षण के लिए शुल्क/लेवी की वार्षिक राशि सालाना जमा की जाएगी। छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण, समय–समय पर विभिन्न श्रेणी के भू–जल उपयोगकर्ताओं के लिए निष्कर्षण शुल्क की राशि की समीक्षा कर सकेगा।

(3) उप–नियम (1) और उप–नियम (2) में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान, प्ररूप–8(क) में यथा निर्धारित रीति से किया जाएगा और ग्राउंड वाटर कंजरवेशन फण्ड (भू–जल संरक्षण कोष) में जमा किया जाएगा।

अध्याय–छः
वाणिज्यिक, औद्योगिक, अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता के लिए भू–जल के निष्कर्षण की सीमा निर्धारित करना

29. सीमा निधारित करने की प्रकिया.– (1) भू–जल के सभी मौजूदा वाणिज्यिक, औद्योगिक, अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ताओं के लिए भू–जल निष्कर्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए, जल संसाधन विभाग, हितधारकों के परामर्श से, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(2) जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, भू–जल के सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ताओं के लिए भू–जल निष्कर्षण की सीमा निर्धारित कर सकेगा।

(3) उप नियम (2) के तहत निर्धारित की गई भू–जल निष्कर्षण की सीमाएं, अधिसूचित और गैर–अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल के मौजूदा वाणिज्यिक, औद्योगिक, अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ताओं तथा अधिसूचित क्षेत्रों में भू–जल के सभी नए वाणिज्यिक, औद्योगिक, अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, के कुओं के लिए अनुमति या पंजीकरण प्रमाण पत्र में लिखी जाएंगी।

अध्याय–सात
भू–जल उपयोग की निगरानी के लिए समुचित तकनीकी का उपयोग

30. मशीनी–तंत्रों की निगरानी के लिये तकनीकी का उपयोग.– (1) भू–जल के दोहन की निगरानी हेतु, भू–जल उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आवश्यक डेटा की निगरानी और संग्रह करने हेतु समुचित तकनीक का उपयोग किया जाएगा और ऐसी तकनीक का उपयोग करने की शक्ति समुचित प्राधिकारी में निहित होगी।

(2) भू–जल के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी प्रदान करना और साझा करना और विशिष्ट सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन, टूल और स्मार्ट मीटर आदि के उपयोग पर समुचित प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) समुचित प्राधिकारी, भू–जल दोहन/उपयोग की वास्तविक समय की जानकारी/डेटा एकत्र करने के लिए उपलब्ध तकनीकी का उपयोग करेगा।

(4) तकनीक, जैसे कि भू–जल निष्कर्षण संरचना की जियो–टैगिंग, रिग मशीन के लिए जीपीएस तकनीक, जल आपूर्ति टैंकर, आईओटी–आधारित सेंसर और भविष्य में उपलब्ध इस प्रकार की अन्य तकनीक का उपयोग किया जा सकेगा।

अध्याय–आठ
उल्लंघन, अपराध, शास्ति और अपराधों का प्रशमन

31. **उल्लंघन, अपराध, शास्ति और अपराध के प्रशमन की प्रकिया.–** (1) अधिनियम की धारा 18 और 19 में परिभाषित उल्लंघन और अपराधों का निराकरण एवं शास्तिकरण, अनुसूची–नौ और अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) किसी अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन, इन नियमों के परिशिष्ट–(ख) के रूप में संलग्न प्ररूप में किया जाएगा।

(3) प्रशमन शुल्क, इस नियम की अनुसूची–नौ की तालिका–9.1, 9.3, 9.4 और 9.5 सहपठित अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोज्य होगा।

(4) अधिनियम की धारा 19(1)(ड.) में वर्णित किसी भी पुराने, अपूर्ण, निष्क्रिय, परित्यक्त या अनुपयोगी ट्यूब/बोरवेल की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी और डेटा को, अनुसूची–नौ के एक.ख के अनुसार संव्यवहृत और अनुरक्षित किया जाएगा।

32. **शक्तियां प्रत्यायोजित करना.**–सीजीजीडब्ल्यूए/जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह को, किसी भी परिसर का निरीक्षण करने, रिकॉर्ड मांगने, किसी भी परिसर में प्रवेश करने, टूल्स और उपकरणों की संस्थापना का निरीक्षण करने और रिकॉर्ड मांगने और उल्लंघन की दशा में, उपकरणों/परिसर आदि को जब्त करने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा।

33. **प्राधिकरण के कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाएगा.** – राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के सभी कर्मचारी और अन्य अधिकृत व्यक्ति, जबकि इस नियम के प्रावधानों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हों, तो उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक माना जाएगा।

34. **योजना का प्रारंभ किया जाना.–** राज्य सरकार/सीजीजीडब्ल्यूए, मौजूदा अनियमित भू–जल उपयोग के नियमितीकरण के लिए, एकमुश्त निपटान योजना या कोई अन्य योजना आरंभ कर सकेगी।

अध्याय–नौ
शिकायत निवारण

35. **शिकायत निवारण की प्रकिया.–**(1) कोई भी पीड़ित व्यक्ति, अधिनियम की धारा 23 में संदर्भित मुद्दों पर प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर, पर्याप्त औचित्य के साथ अपनी शिकायत, ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यदि अपेक्षित हो तो, जिला भू–जल शिकायत निवारण अधिकारी, कथित उपयोगकर्ता को शिकायत आवेदन की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर, अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए, नोटिस जारी कर सकेगा।

(3) कथित व्यक्ति, नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर, जिला भू–जल शिकायत निवारण अधिकारी को, अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(4) जिला भू–जल शिकायत निवारण अधिकारी, शिकायत का निर्णय करेगा और कथित उपयोगकर्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, पीड़ित व्यक्ति को अपना निर्णय सूचित करेगाः

परन्तु यह कि पीड़ित व्यक्ति, जिला भू–जल शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील, जिला भू–जल शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के समक्ष कर सकेगा।

अध्याय–दस
उपचारित अपशिष्ट जल के मानक निर्धारित करने की प्रक्रिया, उपचार संयंत्र एवं वर्षा जल संचयन की संस्थापना

36. जानकारी मांगने की समुचित निकाय की शक्ति.–समुचित निकाय, किसी भी सरकारी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी जानकारी, जो उसके कर्तव्यों और कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक है, मांग सकता है तथा उक्त विभाग और व्यक्ति, युक्तियुक्त समय के भीतर इस प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

37. उपचारित अपशिष्ट जल के मानक के निर्धारण की प्रकिया.–

(1) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण के निर्देश पर जल संसाधन विभाग, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, केन्द्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय प्रशासन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ के परामर्श से, उक्त प्राधिकरण द्वारा यथा निर्देशित समय के भीतर, उपचारित अपशिष्ट के लिए मानकों के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(2) जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, उपचारित अपशिष्ट जल के लिए मानकों को मंजूरी देगा।

(3) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण, भू–जल उपयोगकर्ता को अनुमति प्रमाण पत्र प्रदान करते समय अनुमोदित मानक के अनुपालन के लिए निर्देश जारी करेगा।

38. उपचार संयंत्र के संस्थापना के लिये प्रकिया.–

(1) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, जिला भू–जल प्रबंधन परिषदों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि भू–जल के सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता, जो भू–जल या सतही जल को प्रदूषित करते हैं, वे इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, उपचार संयंत्र संस्थापित करेंगे।

(2) प्रत्येक जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से दो महीने के भीतर अपने जिले के सभी उद्योगों का भौतिक सत्यापन करेगी।

(3) भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, उन उद्योगों की सूची तैयार करेगी, जिन्होंने समुचित उपचार संयंत्र का निर्माण नहीं किया है। कोई भी उपयोगकर्ता, चाहे वह कोई भी हो, प्रदूषित अपशिष्टों को सीधे किसी जल निकाय/नाला/नदी/भूमिगत जल स्रोत में नहीं बहाएगा।

(4) उप–नियम (3) के तहत तैयार प्रत्येक जिले की सूची, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण, उप–नियम (4) में निर्दिष्ट उद्योगों को निर्देश देगा कि जिन उद्योगों ने समुचित उपचार संयंत्र संस्थापित नहीं किए हैं, वे निर्देश जारी होने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर उक्त संयंत्र संस्थापित करेंगे।

(6) उप–नियम (5) के तहत निर्देश की छः महीने की अवधि के समाप्त होने के बाद, प्रत्येक जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, दो महीने की अवधि में संबंधित जिलों में सभी उद्योगों का भौतिक सत्यापन करेगी। भौतिक सत्यापन के प्रतिवेदन के आधार पर, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, पुनः उन उद्योगों की सूची तैयार करेगी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा उप–नियम (5) के तहत जारी निर्देश का पालन नहीं किया है।

(7) उप–नियम (6) के तहत तैयार की गई प्रत्येक जिले की सूची, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को पुनः प्रस्तुत की जाएगी।

(8) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण, ऐसे भू–जल उपयोगकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, जो उक्त अवधि के भीतर उपचार संयंत्र स्थापित करने में विफल रहता है :–

(एक) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा चिन्हित एजेंसी द्वारा ऐसी उपयोगकर्ता लागत पर आवश्यक उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए आदेश जारी करना;

(दो) संबंधित जिले के जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरू करने का आदेश जारी करने का निर्देश देना।

39. भू–जल या सतही जल में अनुपचारित अपशिष्टों के निर्वहन पर प्रतिबंध की प्रकिया.–

(1) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण, समुचित प्राधिकारियों के माध्यम से निगरानी करेगा कि,–

(क) कोई भी सरकारी विभाग/उपक्रम/निगम/नगरीय निकाय/पंचायत और निजी संगठन या निजी उपयोगकर्ता आदि, अनुपचारित अपशिष्टों को भू–जल या सतही जल में नहीं बहाते हैं;

(ख) कोई भी अनुपचारित नाला या सीवर आदि, सीधे नदियों/तालाबों/झीलों या किसी भू–जल या सतही जल में नहीं छोड़ा जाता है।

(2) प्रत्येक जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से दो महीने के भीतर, उप–नियम (1) के तहत उपबंधित सरकारी निकायों द्वारा अपनाई गई अपशिष्ट बहाव की प्रक्रिया के लिए भौतिक सत्यापन करेगी।

(3) भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, उप नियम (1) में निर्दिष्ट सरकारी निकायों की एक सूची तैयार करेगी, जिन्होंने अपशिष्ट जल के उपचार के लिए समुचित प्रक्रिया नहीं अपनाई है और भू–जल या सतही जल में सीधे अनुपचारित प्रवाह को प्रवाहित कर रहे हैं।

(4) उप–नियम (3) के तहत तैयार की गई प्रत्येक जिले की सूची, राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण, उप–नियम (4) में निर्दिष्ट सरकारी निकायों को ऐसे निर्देश जारी करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि,–

(क) उक्त निर्देश जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर समुचित उपचार संयंत्रों का निर्माण, या

(ख) उक्त निर्देश जारी होने की तारीख से छः महीने के भीतर मौजूदा उपचार संयंत्र को कार्यात्मक बनाना।

(6) उप–नियम (5) के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के अंत में, प्रत्येक जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, उन सरकारी विभागों/उपक्रमों/निगमों/निकायों आदि का पुनः भौतिक सत्यापन करेगी, जिन्होंने अभी तक अपशिष्टों के उपचार के लिए समुचित प्रक्रियाएं नहीं अपनाई हैं और/या अभी भी दो महीने के भीतर अनुपचारित अपशिष्टों को सीधे भू–जल या सतही जल में प्रवाहित कर रहे है।

(7) उन शासकीय निकायों, जिनके द्वारा उप–नियम (6) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन नहीं किया गया है, उनकी सूची, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन एवं विनियामक प्राधिकरण को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

40. वर्षा जल संचयन हेतु अधिरोपित प्रावधानों की प्रक्रिया.–

(1) समुचित निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भू–खंड क्षेत्र वाले सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उचित निर्माण किया गया है। विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाएगी:

परंतु यह कि ऐसे प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए प्रथम चरण में वर्षा जल संचयन संरचनाओं की सस्थापना, अनिवार्य की जाएगी, जिनके पास अपने परिसर में भू–जल निष्कर्षण के लिए सबमर्सिबल पंप या कोई समान भू–जल निकालने वाला उपकरण है।

(2) प्रथम चरण में, प्रत्येक सरकारी विभाग/अर्धसरकारी विभाग/ प्राधिकरण/अनुदान प्राप्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित) निजी संस्थान या संगठन, जिनका भू–खंड क्षेत्र 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, या जो सबमर्सिबल पंपों या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से भू–जल निष्कर्षण करते हैं, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस नियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उनके परिसर में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उचित निर्माण किया गया है।

(3) दूसरे चरण में (पहले चरण के एक वर्ष के बाद), उप–नियम (2) में उल्लिखित लोगों के अलावा प्रत्येक उपयोगकर्ता, जिसका प्लॉट क्षेत्र 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, या जो सबमर्सिबल पंप या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से भू–जल निष्कर्षण कर रहे हैं, वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पहले चरण के अंत के एक वर्ष के भीतर, उनके परिसर में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का उचित निर्माण किया गया है।

(4) वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संस्थापना के बाद प्रत्येक उपयोगकर्ता को, प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर ऑनलाईन सूचना देनी होगी।

(5) यदि उप–नियम (2) और उप–नियम (3) के तहत ऐसा उपयोगकर्ता, ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे या संबंधित निकाय को, ऐसी रीति से और ऐसी शास्ति से दंडित किया जाएगा, जो राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाये।

(6) उप–नियम (5) में निर्दिष्ट शास्ति के अलावा, सबमर्सिबल पंप या किसी अन्य भू–जल निष्कर्षण करने वाले उपकरण को, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा तुरंत काट दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा।

(7) वर्षा जल संचयन संरचनाओं का क्षेत्र–विशिष्ट डिजाइन और पुनर्भरण की मात्रा, छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण द्वारा तय की जाएगी। ऐसे डिजाइन, ऑनलाईन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

(8) जल संसाधन विभाग/नगरीय प्रशासन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सक्षम तकनीकी व्यक्तियों की भी सहायता करेगा, जो समुचित वर्षा जल संचयन संरचनाओं की संस्थापना के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

(9) समुचित प्राधिकारी, वर्षा जल संचयन तकनीकों के प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। समुचित प्राधिकारी, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को भी आमंत्रित करेंगे।

(10) समुचित प्राधिकारी, वर्षा जल संचयन के लिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे।

(11) सभी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थान जैसे, 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद', 'राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग', 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग', या अन्य समकक्ष निकाय भी, परिसर में समुचित वर्षा जल संचयन संरचनाएं, स्मार्ट मीटर आदि की संस्थापना सहित इन नियमों के अनुसार आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(12) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, जल संचयन कार्य के लिए निष्क्रिय कुओं को पुनर्जीवित करने के लिए संबंधित कार्यान्वयन विभाग को निर्देश भी जारी करेगी।

(13) समुचित प्राधिकारी, संबंधित कार्यान्वयन विभाग को जल संचयन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी जारी करेंगे, जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप आदि से अतिरिक्त निकाले गए पानी का पुनः उपयोग करना।

अध्याय–ग्यारह
भू–जल संरक्षण कोष

41. भू–जल संरक्षण कोष.–

(1) राज्य सरकार ने भू–जल संरक्षण कोष के नाम से एक कोष बनाया है और भू–जल निष्कर्षण पर शास्ति, पंजीकरण शुल्क, शुल्क/लेवी आदि से संबंधित सभी प्राप्तियां इस कोष में जमा की जाएंगी।

(2) भू–जल संरक्षण कोष का उपयोग, भू–जल के संरक्षण और पुनर्भरण के लिए किया जाएगा। इस निधि का उपयोग, भू–जल निष्कर्षण की निगरानी तंत्र के विकास, समुचित निकाय के बुनियादी ढांचे के विकास, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहित उपयुक्त तकनीक के उपयोग, सलाहकारों और विशेषज्ञों और आवश्यकतानुसार अन्य कर्मियों को कार्य पर रखने के लिए भी किया जाएगा।

अध्याय–बारह
प्रकीर्ण

42. संचालित योजनाओं की पहचान.–

(1) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, ऐसी मौजूदा सरकारी या निजी तौर पर संचालित योजनाओं की पहचान करेगी, जो या तो अत्यधिक भू–जल निष्कर्षण को प्रोत्साहित करती हैं या उस क्षेत्र की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

(2) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, ऐसी योजनाओं पर पुनः विचार करने के लिए राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

(3) छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण, तत्काल कार्रवाई करेगा और संबंधित विभागों/मालिकों को उनकी मौजूदा नीतियों या योजनाओं को बदलने या पुनः डिजाइन करने के लिए निर्देश जारी करेगा। सभी संबंधित विभागों/मालिकों को, ऐसे रेखांकित क्षेत्रों में अपनी मौजूदा नीतियों या योजनाओं को बदलना या पुनः डिजाइन करना होगा।

43. निर्धारित मापदण्ड.—पेयजल प्रयोजन हेतु प्रयुक्त/उपयोग किये जाने वाले बोरवेल का व्यास एवं गहराई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगी।

44. मामलों में निर्णय.—जो कुछ भी, इन नियमों में उपबंधित नहीं किया गया है, उसे छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे मामलों में निर्णय, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लिए जाएंगे और तदनुसार सूचित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, सचिव.

अनुसूची–एक

औद्योगिक उपयोगः –

अतिदोहित मूल्यांकन इकाइयों में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की श्रेणी में आने वाले उद्योगों को छोड़कर, किसी भी नए उद्योग को भू–जल निष्कर्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, इन नए उद्योगों द्वारा कार्यबल, ग्रीन बेल्ट के उपयोग के लिए पेयजल/घरेलू उपयोग की अनुमति दी जाएगी। अतिदोहित मूल्यांकन इकाइयों में भू–जल निष्कर्षण की मात्रा में वृद्धि वाले मौजूदा उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतिदोहित क्षेत्रों में नए पैकेज्ड जल उद्योगों या जल गहन उद्योगों (परिशिष्ट–नौ में वर्णित) को अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही वे एमएसएमई श्रेणी से संबंधित हों।

उद्योगों द्वारा भू–जल निष्कर्षण की अनुमति निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अधीन दी जाएगी:

(एक) अनुमति केवल ऐसे मामलों में प्रदान की जाएगी, जहां स्थानीय सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियां, वांछित मात्रा में जल की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हों।

(दो) सभी उद्योगों को नवीनतम जल कुशल प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करना आवश्यक होगा, ताकि भू–जल संसाधनों पर निर्भरता कम हो सके।

(तीन) प्रतिदिन 100 घन मीटर से अधिक भू–जल निकालने वाले सभी उद्योगों को सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के प्रमाणित अंकेक्षकों के माध्यम से द्विवार्षिक (दो वर्ष में एक बार) जल अंकेक्षण करने और उसके पूरा होने के तीन महीने के भीतर सीजीजीडब्ल्यूए को अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पहले दी गई रिपोर्टों के अनुपालन की जाँच एक वर्ष के बाद प्रमाणित जल अंकेक्षकों द्वारा की जा सकती है और इस संबंध में रिपोर्ट, सीजीजीडब्ल्यूए के साथ साझा की जा सकती है। ऐसे सभी उद्योगों को उचित माध्यमों से अगले तीन वर्षों में अपने भू–जल उपयोग को कम से कम 20 प्रतिशत तक कम करना होगा।

(चार) औद्योगिक क्षेत्रों में (केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अभिहित या अधिसूचित अनुसार), केंद्रीय भू–जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), स्थानीय जल–भूवैज्ञानिक स्थितियों के अनुसार आवश्यकता–आधारित पीजोमीटर का निर्माण करेगा और जल स्तर की अग्रतर निगरानी करेगा।

औद्योगिक क्षेत्रों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के अलावा, परिसर के भीतर अवलोकन कुओं/(पीजोमीटर) का निर्माण और अनुसूची–नौ के सरल क्रमांक छः में उल्लिखित समुचित जल स्तर निगरानी तंत्र की संस्थापन करना, कठोर चट्टान जलभृत प्रकार के लिए 100 घन मीटर/दिन से अधिक भू–जल और जलोढ़ जलभृत प्रकार के लिए 500 घन मीटर/दिन से अधिक भू–जल निकालने का प्रस्ताव करने वाले उद्योगों/अधोसंरचनाओं के लिए अनिवार्य होगा। इन क्षेत्रों में जल स्तर की निगरानी, परियोजना समर्थकों द्वारा की जाएगी। यदि जलभृत कठोर चट्टान है, तो अमूर्त संरचना और पीजोमीटर के बीच न्यूनतम दूरी 15 मीटर होगी और यदि जलभृत जलोढ़ है तो 50 मीटर होगी। पीजोमीटर में टैप की गई गहराई और जलभृत क्षेत्र पंपिंग कुएं/कुओं के समान होगा। पीजोमीटर के डिजाइन और निर्माण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश परिशिष्ट–दो में दिए गए हैं। मासिक जल स्तर डेटा, वेब पोर्टल के माध्यम से सीजीजीडब्ल्यूए को प्रस्तुत किया जाएगा।

(पांच) प्रस्तावक को परियोजना परिसर में छत पर वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण को अपनाना आवश्यक होगा। उद्योगों, जिनसे भू–जल प्रदूषित होने की संभावना है (जैसे कि रासायनिक, फार्मास्युटिकल, डाई, पिगमेंट, पेंट, कपड़ा, टेनरी, कीटानुनाशक/कीटनाशक, उर्वरक, बूचड़खाना, विस्फोटक आदि), उद्योग में उपयोग के लिए संचयित वर्षा जल को सतही भंडारण टैंकों में संग्रहित करेंगे और तदनुसार भू–जल अपेक्षा संबंधी उनकी निष्कर्षण को कम करेंगे।

(छः) उपचारित/अनुपचारित अपशिष्ट जल को, जलभृत प्रणाली में डालना सख्त वर्जित है।

(सात) उद्योगों, जिनसे भू–जल प्रदूषण होने की संभावना है, जैसे कि टैनिंग, बूचड़खाने, डाई, रसायन/पेट्रोकेमिकल, कोयला वॉशरी, अन्य खतरनाक ईकाइयां आदि (सीपीसीबी सूची के अनुसार) को, भू–जल प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अच्छी तरह से सुरक्षा उपाय करना आवश्यक है (परिशिष्ट–तीन)।

(आठ) सुरक्षित, अर्ध संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित इकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले सभी उद्योगों को, अनुसूची–आठ के तालिका 8.2क और 8.3क के अनुसार यथा लागू भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।

(नौ) अतिदोहित आंकलित इकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले सभी मौजूदा उद्योग, अनुसूची–आठ के तालिका 8.2ख और 8.3ख के अनुसार यथा लागू भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(दस) प्रत्येक औद्योगिक भू–जल उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगा कि अपनी भू–जल निष्कर्षण संरचना को डिजिटल फ्लो मीटर से सुसज्जित करें ।

आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(क) ऐसे मामलों में, जहां भू–जल की आवश्यकता 10 घन मीटर/दिन तक है, स्थानीय सरकारी एजेंसियों से जल आपूर्ति की अनुपलब्धता के संबंध में, रुपये 100.00 (केवल एक सौ रुपये) के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा।

(ख) ऐसे मामलों में, जहां भू–जल की आवश्यकता 10 घन मीटर/दिन से अधिक है, स्थानीय सरकारी जल आपूर्ति एजेंसी से स्वच्छ जल/उपचारित अपशिष्ट जल आपूर्ति की गैर/आंशिक उपलब्धता के संबंध में प्रमाण पत्र, जहां ऐसी एजेंसी औद्योगिक उद्देश्य के लिए जल की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है।

(ग) खारे भू–जल के निष्कर्षण के मामले में, किसी भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से मौजूदा बोरवेल/ट्यूबवेल/खोदे गए कुएं का भू–जल गुणवत्ता डेटा।

टीपः नई परियोजनाओं के मामले में, खारे भू–जल के निष्कर्षण के लिए उपर्युक्त प्रयोगशालाओं से जल गुणवत्ता डेटा/आस–पास के मौजूदा कुओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।

(घ) सभी नई परियोजनाओं के लिए, नई परियोजना के प्रारंभ/संचालन के सबूत के रूप में दस्तावेज, अर्थात् स्थापना की सहमति/पर्यावरण समाशोधन/किसी वैधानिक एजेंसी से कोई अन्य दस्तावेज।

(ड.) आवेदक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत वर्षा जल संचयन योजना की प्रति या आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित मॉडल बिल्डिंग उप–विधियों के अनुसार परियोजना परिसर में वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण के लिए प्रस्ताव।

(च) प्रभाव आकलन रिपोर्ट : सुरक्षित मूल्यांकन इकाइयों में अत्यधिक दोहन, गंभीर और अर्ध–गंभीर क्षेत्रों में दिन 100 घन मीटर/दिन से अधिक और गैर–जलोढ़ से घिरे क्षेत्रों में 500 घन मीटर/दिन से अधिक तथा जलोढ़ से घिरे क्षेत्रों में 2000 घन मीटर/दिन से अधिक भू–जल निकालने/निकालने का प्रस्ताव करने वाली सभी परियोजनाओं द्वारा, मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा तैयार परियोजना स्थल के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भू–जल व्यवस्था पर, मौजूदा/प्रस्तावित भू–जल निष्कर्षण के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट और भू–जल मॉडलिंग अध्ययन, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। रिपोर्ट के लिये प्रपत्र, परिशिष्ट–चार में दिया गया है।

अनुसूची–दो

खनन परियोजनाएँः–

सभी मौजूदा और साथ ही नई खनन परियोजनाओं को, भू–जल निष्कर्षण के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। चूंकि खनन परियोजनाएं, स्थान–विशिष्ट हैं, इसलिए अतिदोहित मूल्यांकन इकाइयों में ऐसी परियोजनाओं के लिए भू–जल के निष्कर्षण की अनुमति देने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

खनन परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन अनुमति प्रदान की जाएगीः

(एक) सभी खनन उद्योगों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि डी–वाटरिंग परिचालन से उपलब्ध जल का, उचित उपचार किया जाए और इसका उपयोग सिंचाई, धूल दमन, खनन प्रक्रिया, डाउनस्ट्रीम में पुनर्भरण और नदी प्रणाली में ई–प्रवाह बनाए रखने के लिए लाभकारी रूप से किया जाना चाहिए।

(दो) मासिक भू–जल स्तर की निगरानी के लिए, परिसर में परिधि के साथ अवलोकन कुओं (पीजोमीटर) का निर्माण, 100 घन मीटर/दिन से अधिक भू–जल निष्कर्षण का प्रस्ताव करने वाली खदानों के लिए अनिवार्य होगा। पीजोमीटर में टैप की गई गहराई और जलभृत क्षेत्र, बफर क्षेत्र में सिंचाई/पेयजल के लिए उपयोग किए जाने वाले जलभृत के अनुरूप होना चाहिए। पीजोमीटर के डिजाइन और निर्माण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश परिशिष्ट–दो में दिए गए हैं।

(तीन) इसके अलावा, प्रस्तावक, अनुमति में विनिर्दिष्ट अनुसार कोर और बफर जोन में अवलोकन कुएं (पीजोमीटर) स्थापित करके, भू–जल स्तर की निगरानी करेगा।

(चार) कोयला और अन्य आधार धातु खनन के मामले में, परियोजना प्रस्तावक, सतही जल के प्रदूषण से बचने के लिए उन्नत डी–वाटरिंग तकनीक (डीवाटरिंग निष्कर्षण संरचनाओं की श्रृंखला के निर्माण द्वारा) का उपयोग करेगा।

(पांच) इसके अलावा, सभी खनन ईकाइयां, एनएबीएल मान्यता प्राप्त/शासन द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला के माध्यम से खदान से रिसाव और खदान से निकलने वाले जल की गुणवत्ता की भी निगरानी करेंगी और उसे स्व–अनुपालन के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

(छः) सुरक्षित, अर्ध–संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित इकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाली सभी खनन परियोजनाओं को, अनुसूची–आठ के तालिका 8.4क के अनुसार यथा लागू भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा।

(सात) अतिदोहित आंकलित इकाइयों में भू–जल खींचने वाली सभी खनन परियोजनाएं, अनुसूची–आठ के तालिका 8.4ख के अनुसार भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगी।

(आठ) टैंकरों के माध्यम से सिंचाई ट्यूबवेलों से भू–जल खरीदने वाली सभी खनन परियोजनाएं, अनुसूची–आठ के तालिका 8.4क और 8.4ख के अनुसार भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(क) संबंधित सरकारी एजेंसी/विभाग द्वारा अनुमत खनन योजना।

(ख) आवेदक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत वर्षा जल संचयन योजना की प्रतिलिपि या आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित मॉडल बिल्डिंग उप–विधियों के अनुसार या खदान परिसर में संभव अनुसार और सीजीजीडब्ल्यूए /राज्य एजेंसियों द्वारा अनुमोदित अनुसार परियोजना परिसर में वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण के लिए प्रस्ताव।

(ग) खदान के कोर और बफर जोन दोनों में भू–जल स्थितियों पर मान्यता प्राप्त सलाहकार द्वारा तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट, गहराई के अनुसार और वर्ष के अनुसार खदान रिसाव की गणना, खदान के प्रभाव का आकलन और भू–जल व्यवस्था पर डी–वाटरिंग और इसका सामाजिक–आर्थिक प्रभाव, पुनर्चक्रण का विवरण, पुनः उपयोग और पुनर्भरण, खनन और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, भू–जल पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये जल प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ पंपिंग में कमी। रिपोर्ट के लिए प्रारूप, परिशिष्ट–पांच में दिया गया है।

(घ) सभी नई परियोजनाओं के लिए, नई परियोजना के प्रारंभ/संचालन के सबूत के रूप में दस्तावेज, अर्थात् स्थापना की सहमति/पर्यावरण समाशोधन/किसी वैधानिक एजेंसी से कोई अन्य दस्तावेज।

अनुसूची–तीन

आधारभूत संरचना परियोजनाएं :

चूंकि आधारभूत संरचना परियोजनाएं स्थान विशिष्ट होती हैं, इसलिए अतिदोहित मूल्यांकन इकाइयों में स्थित ऐसी परियोजनाओं को अनुमति देने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। नई अधोसंरचना परियोजनाओं/आवासीय भवनों में, निर्माण गतिविधि के दौरान जल डि–वाटरिंग और/या निर्माण के लिए भू–जल का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। दोनों ही मामलों में, आवेदकों को कार्य प्रारंभ करने से पहले सीजीजीडब्ल्यूए से अनुमति लेनी होगी। तथापि, अतिदोहन वाली मूल्यांकन इकाइयों में, निर्माण गतिविधि के लिए भू–जल के उपयोग की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब स्थल परिधि 10 किमी के भीतर कोई उपचारित सीवेज जल या सतही जल उपलब्ध न हो। नई और मौजूदा अधोसंरचना परियोजनाओं को भी भू–जल के निष्कर्षण के लिए अनुमति लेनी होगी।

अतिदोहन वाली मूल्यांकन इकाइयों में वाटर पार्क, थीम पार्क और मनोरंजन पार्क के लिए भू–जल निष्कर्षण की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

पेय/घरेलू उपयोग के लिए भू–जल की आवश्यकता वाली वाणिज्यिक अधोसंरचना परियोजनाएं भी इस श्रेणी में शामिल की जाएंगी। इसके अलावा, स्थान–विशिष्ट अधोसंरचना परियोजनाओं की सांकेतिक सूची, परिशिष्ट–छः में दी गई है।

भू–जल निष्कर्षण की अनुमति निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन दी जाएगीः

(एक) उन अधोसंरचना परियोजनाओं के मामले में, जिनमें डी–वाटरिंग की आवश्यकता होती है, प्रस्तावक को डी–वाटरिंग डिस्चार्ज दर (डिजिटल जल प्रवाह मीटर का उपयोग करके) की नियमित निगरानी करने और लागू अनुसार वेब पोर्टल के माध्यम से सीजीजीडब्ल्यूए को डेटा जमा करना आवश्यक होगा। सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा अपेक्षित निरीक्षण या रिपोर्टिंग के लिए, निगरानी रिकॉर्ड और परिणाम, प्रस्तावक द्वारा दो वर्ष तक बनाए रखा जाना चाहिए।

(दो) नई परियोजनाओं के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना अनिवार्य होगी, जहां भू–जल की आवश्यकता 50 घन मीटर/दिन से अधिक है। एसटीपी से जल का उपयोग टॉयलेट फ्लशिंग, कार धोने, बागवानी आदि के लिए किया जाएगा।

(तीन) अधोसंरचना की डि–वाटरिंग/निर्माण गतिविधि के लिए, अनुमति, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रस्ताव के अनुसार विशिष्ट अवधि के लिए वैध होगी।

(चार) सुरक्षित, अर्ध–संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित इकाइयों में भू–जल खींचने वाली सभी अधोसंरचना परियोजनाओं को अनुसूची–आठ के तालिका 8.3क के अनुसार लागू भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा।

(पांच) अतिदोहित आंकलित इकाइयों में भू–जल खींचने वाली सभी अधोसंरचना परियोजनाएं (नई/मौजूदा) अनुसूची–आठ के तालिका 8.3ख के अनुसार भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(छः) सभी स्टेडियम, क्रिकेट मैदान और अन्य खेल मैदान/कोर्ट, गोल्फ कोर्स आदि भू–जल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन के लिए समुचित तंत्र का निर्माण/स्थापना करेंगे।

(सात) प्रत्येक अधोसंरचना के भू–जल उपयोगकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी भू–जल निष्कर्षण संरचना को डिजिटल फ्लो मीटर से सुसज्जित करें।

आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज–

(क) ऐसे मामलों में, जहां डी–वाटरिंग शामिल है, क्षेत्र में भू–जल की स्थिति पर एक मान्यता प्राप्त सलाहकार द्वारा 5 किमी की परिधि में भू–जल मॉडलिंग के साथ प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें पंपिंग की विस्तृत योजना, पंप किए गए जल का प्रस्तावित उपयोग शामिल होगा तथा भू–जल व्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य होगा। रिपोर्ट में भू–जल स्तर में गिरावट, भूमि धंसाव आदि जैसे किसी भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे को समाधान करने के लिए पर्यावरणीय जोखिमों और प्रस्तावित प्रबंधन रणनीतियों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए।

(ख) सुरक्षित और अर्ध संकटग्रस्त आंकलित ईकाई/क्षेत्रों में निर्माण के लिए जल की आवश्यकता होने पर किसी अन्य स्रोत से जल की अनुपलब्धता के संबंध में रुपये 100.00 (एक सौ रुपये मात्र) के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र।

(ग) संकटग्रस्त आंकलित और अतिदोहन वाले क्षेत्रों में स्थल के 10 किमी की परिधि के भीतर निर्माण के लिए उपचारित सीवेज जल या सतही जल की अनुपलब्धता के संबंध में सरकारी एजेंसी से प्रमाण पत्र।

(घ) व्यावसायिक उपयोग के लिए आंकलित इकाइयों की सभी श्रेणियों के संबंध में स्थानीय सरकारी जल आपूर्ति एजेंसी से जल की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र।

(ड.) आवेदक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत वर्षा जल संचयन योजना की प्रति या आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित मॉडल बिल्डिंग उपनियमों के अनुसार परियोजना परिसर में वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण के लिए प्रस्ताव।

(च) फ्लशिंग, हरित क्षेत्रों की सिंचाई आदि के लिए उपचारित जल के पुनर्चक्रण/पुनःउपयोग को ध्यान में रखते हुए (वाणिज्यिक उपयोग के लिए पूर्ण अधोसंरचना परियोजनाओं के मामले में) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 (परिशिष्ट–I) के अनुसार गणना की गई जल की आवश्यकता का विवरण।

(छ) वाणिज्यिक उपयोग के लिए जल की आवश्यकता वाली अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए संबंधित एजेंसी से पूर्णता प्रमाण पत्र।

(ज) सभी नई परियोजनाओं के लिए, वैधानिक एजेंसी से नई परियोजना के प्रमाण के रूप में भवन योजना अनुमोदन या कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज।

अनुसूची–चार

आवेदन शुल्क –

क. भू–जल निष्कर्षण अनुमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदन शुल्क (रुपये में) जमा करना होगा।

1. औद्योगिक उपयोग के लिए : क. 10–100 घन मीटर/दिन : – 5000/–

ख. >100–500 घन मीटर/दिन : – 10,000/–

ग. >500–1000 घन मीटर/दिन : – 20,000/–

घ. >1000 घन मीटर/दिन : – 25,000/–

नवीनीकरण के मामले में, आवेदन शुल्क, उपरोक्त दरों की आधी दर पर जमा किया जाएगा।

2. आधारभूत संरचना उपयोग के लिए :

क. सरकारी/पीएसयू/अर्ध–सरकारी: 10,000/–

ख. उपरोक्त से भिन्न अन्य : 15,000/–

नवीनीकरण के मामले में, आवेदन शुल्क, उपरोक्त दरों की आधी दर पर जमा किया जाएगा।

3. खनन उपयोग के लिए : क. प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता : 25,000/–

ख अप्रत्यक्ष उपयोगकर्ता : 10,000/–

नवीकरण के मामले में, आवेदन शुल्क, उपरोक्त दरों की आधी दर पर जमा किया जाएगा।

ख. भू–जल के वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचना या थोक उपयोगकर्ता के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ आवेदन शुल्क (रुपये में) जमा करना होगा।

1. औद्योगिक उपयोग के लिए : क. 10–100 घन मीटर/दिन : –1000/–

ख. >100–500 घन मीटर/दिन : –2500/–

ग. >500–1000 घन मीटर/दिन : – 4000/–

घ. >1000 घन मीटर/दिन : – 5000/–

2. आधारभूत संरचना उपयोग के लिए :

क. सरकारी / पीएसयू / अर्ध–सरकारी: 1000 / –

ख. उपरोक्त से भिन्न अन्य : 5000 / –

3. वाणिज्यिक (व्यावसायिक) उपयोग के लिये :

सभी वाणिज्यिक उपयोगकर्ता : 5000 / –

4. थोक उपयोगकर्ता के लिये

सभी थोक उपयोगकर्ता : 5000 / –

5. खनन उपयोग के लिए : क. प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता : 5000 / –

ख अप्रत्यक्ष उपयोगकर्ता : 2500 / –

आवेदन शुल्क, प्राधिकरण के वेब पोर्टल में दिये गये ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आवेदक द्वारा जमा किया जायेगा।

चार.क. – भू–जल अमुर्तन की अनुमति की वैधता / नवीनीकरण :

भू–जल निष्कर्षण की अनुमति को उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन समय–समय पर नवीनीकृत किया जाएगाः

(एक) आवेदक को, इसकी वैधता समाप्त होने से कम से कम नब्बे दिन पहले भू–जल निष्कर्षण की अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

(दो) भू–जल निष्कर्षण की अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन, अनुपालन रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

(तीन) नवीनीकरण की अनुमति देने से पहले, छत्तीसगढ़ भू–जल प्राधिकरण स्वयं का समाधान कर लेगा कि भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की शर्तों का पालन किया गया है।

(चार) मूल्यांकन इकाई की श्रेणी में परिवर्तन के मामले में, नई श्रेणी के लिए निर्धारित शर्तों के साथ नवीनीकरण प्रदान किया जाएगा।

(पांच) भू–जल निष्कर्षण की अनुमति को, विभिन्न उपयोगों के लिए निर्दिष्ट शर्तों हेतु निम्नानुसार नवीनीकृत किया जाएगाः

श्रेणी	उपयोग	अनुमति की वैधता	नवीनीकरण अवधि
संकटग्रस्त, अर्ध–संकटग्रस्त और सुरक्षित	पेय और घरेलू उपयोग और नगरीय जल आपूर्ति एजेंसियों के लिए अधोसंरचना परियोजनाएं	3 वर्ष	3 वर्ष
	उद्योग	3 वर्ष	3 वर्ष
	खान	2 वर्ष	2 वर्ष
अतिदोहित	'अतिदोहित क्षेत्रों' में सभी उपयोगकर्ता	2 वर्ष	2 वर्ष

(छः) यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन समय पर जमा किया जाता है और सीजीजीडब्ल्यूए, समय पर आवेदन पर कार्रवाई करने में असमर्थ है, तो भू–जल निष्कर्षण की अनुमति को, भू–जल निष्कर्षण की अनुमति के नवीनीकरण की तारीख तक बढ़ाया हुआ माना जाएगा।

(सात) यदि प्रस्तावक, भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की समाप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर, नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, तो प्रस्तावक, भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की समाप्ति की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू–जल निष्कर्षण की अनुमति के नवीनीकृत किये जाने तक, अनुसूची–नौ के तहत सरल कमांक–चार में उल्लिखित पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

चार.ख. – भू–जल निष्कर्षण की अनुमति का विस्तार

यदि प्रस्तावक, भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की वैधता अवधि के दौरान वास्तविक कारणों से कुओं का निर्माण करने में असमर्थ है, तो प्रस्तावक, भू–जल निष्कर्षण की अनुमति के विस्तार के लिए आवेदन के साथ न्यायसंगत ठहराये जाने वाले विलंब के कारणों को, दस्तावेज के माध्यम से समर्थित बनाना चाहिए। भू–जल निष्कर्षण की अनुमति को विस्तार प्रदान करने हेतु अन्य शर्तें का वही होंगी, जैसा कि भू–जल निष्कर्षण की नई अनुमति के लिए है।

भू–जल निष्कर्षण की अनुमति का विस्तार, अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। दो वर्ष से अधिक के लिये, भू–जल निष्कर्षण की अनुमति प्रदान करने के लिये आवेदक को नया आवेदन देना है।

अनुसूची–पांच

ड्रिलिंग रिग्स का पंजीकरण :

जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, उसके जिले के भीतर संचालित ड्रिलिंग रिगों के पंजीकरण के लिए और उनके द्वारा ड्रिलिंग किये गए कुओं का डेटाबेस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी। सीजीजीडब्ल्यूए को उपलब्ध डेटा के लिये सीजीजीडब्ल्यूए पोर्टल में समुचित लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

फर्म, एजेंसी या कंपनी सहित कोई भी व्यक्ति, संबंधित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद से पंजीकरण बिना, भू–जल के निष्कर्षण के लिये भूमि में ड्रिलिंग नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा।

संभी पंजीकृत ड्रिलिंग एजेंसी के लिये यह आवश्यक होगा कि जीपीएस प्रणाली के साथ अपने ड्रिलिंग रिग मशीन को सुसज्जित रखे।

पंजीकृत ड्रिलिंग एजेंसियां, समुचित लिंक/वेब पोर्टल में प्रत्येक तीन माह में निष्पादित ड्रिलिंग कार्य का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध करवायेगा।

ड्रिलिंग रिग के पंजीकरण के लिए शुल्क :

रु. 5000 प्रति रिग प्रति जिला एक वर्ष के लिए

पंजीकरण का अनुपालन नहीं किये जाने पर, अनुसूची–नौ के तहत सरल क्रमांक तीन के अनुसार शास्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

अनुसूची–छः

आवासीय अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/नगरीय क्षेत्र में सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों के लिए पेय और घरेलू उपयोग

भू–जल निष्कर्षण की अनुमति प्रदान करने के लिए, परियोजना प्रस्तावक को, सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विवरण, परिशिष्ट–आठ के अनुसार सीजीजीडब्ल्यूए वेबसाइट पर उपलब्ध समुचित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। नए/मौजूदा कुओं की अनुमति, केवल ऐसे मामलों में दी जाएगी, जहां स्थानीय सरकारी जल आपूर्ति एजेंसी, क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में जल की आपूर्ति करने में असमर्थ है।

सभी आवासीय अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए सभी अमूर्त संरचनाओं में डिजिटल जल प्रवाह मीटर (बीआईएस/आईएस मानकों के अनुरूप) की संस्थापना करना अनिवार्य होगा। सभी आवासीय अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, जिनके पास भू–जल निष्कर्षण वाले स्विमिंग पूल हैं, को अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी।

अनुमति निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन दी जाएगी:

(एक) उन सभी आवासीय अपार्टमेंटों/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, जहां भू–जल की आवश्यकता 20 घन मीटर/दिन से अधिक है, के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की संस्थापना करना अनिवार्य होगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जल का उपयोग टॉयलेट फ्लशिंग, कार धोने, बागवानी आदि के लिए किया जाएगा।

(दो) अनुमति, जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या परियोजना क्षेत्र में स्थानीय सरकारी जल आपूर्ति प्रदान किए जाने तक, जो भी पहले हो, वैध होगी। यदि अनुमति की वैधता के दौरान परियोजना प्रस्तावक को संबंधित स्थानीय सरकारी जल आपूर्ति एजेंसी से जल आपूर्ति प्राप्त होती है, तो सार्वजनिक जल आपूर्ति की उपलब्धता के बारे में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीजीजीडब्ल्यूए को सूचना भेजी जाएगी और प्राधिकरण द्वारा अनुमति रद्द कर दी जाएगी। अन्य मामलों में, परियोजना प्रस्तावक, अनुमति की समाप्ति से नब्बे दिन पहले, अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(तीन) तालिका 8.1 में उल्लिखित दरों के अनुसार, निष्कर्षण किये जाने वाले प्रस्तावित भू–जल की मात्रा के लिए प्रस्तावक, भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(चार) प्रत्येक भू–जल उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगा कि अपनी भू–जल निष्कर्षण संरचना को डिजिटल फ्लो मीटर से सुसज्जित करे ।

(पांच) उपरोक्त शर्त–चार का अनुपालन न करने पर, अनुसूची–नौ के अंतर्गत सरल क्रमांक तीन के अनुसार शास्ति के लिये उत्तरदायी होंगे।

आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले दस्तावेज

(क) फ्लशिंग आदि के लिए उपचारित पानी के पुनर्चक्रण/पुनःउपयोग को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 (परिशिष्ट–एक) के अनुसार गणना की गई जल की आवश्यकता का विवरण।

(ख) पेय/घरेलू उपयोग के लिए प्रति दिन 10 घन मीटर/दिन तक के भू–जल की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ताओं के मामले में सार्वजनिक जल आपूर्ति की गैर/अपर्याप्त उपलब्धता की पुष्टि करते हुए, आवेदक द्वारा, रुपये 100.00 (एक सौ रुपये मात्र) के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र।

(ग) पेय/घरेलू उपयोग के लिए प्रतिदिन 10 घन मीटर/दिन से अधिक भू–जल की आवश्यकता वाले मामलों में, स्थानीय सरकारी जल आपूर्ति एजेंसी से जल की अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र। अनुमति के लिये आवेदन करने वाली सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियां, क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रस्तावित योजना/परियोजना की सरकारी स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(घ) खारे भू–जल निष्कर्षण के मामले में, किसी भी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या सरकारी अनुमोदित प्रयोगशाला से मौजूदा बोरवेल/ट्यूबवेल/खुदे हुए कुएं का भू–जल गुणवत्ता डेटा। .

टीपः नई परियोजनाओं के मामले में, खारा भू–जल निष्कर्षण के लिए उपर्युक्त प्रयोगशालाओं से आस–पास के मौजूदा कुओं के जल गुणवत्ता डेटा/रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है।

(ड.) आवेदक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत वर्षा जल संचयन योजना की प्रति या आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित मॉडल बिल्डिंग उप–विधियों के अनुसार परियोजना परिसर में वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण के लिए प्रस्ताव।

(च) सभी नई परियोजनाओं के लिए, परियोजना के पूरा होने की तारीख दर्शाने वाला एक स्व–घोषणा/शपथ पत्र (विधिवत नोटरीकृत) आवश्यक होगा।

अनुसूची–सात

व्यावसायिक उपयोगः

किसी भी नए प्रमुख उद्योग (एमएसएमई के अलावा सभी उद्योगों) को, नीति दिशानिर्देशों के अनुसरण के अलावा, अतिदोहित मूल्यांकन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी।

व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देते समय भू–जल की उपलब्धता पर सम्यक विचार किया जाएगा।

भू–जल निष्कर्षण वाली वाणिज्यिक संस्थाओं को, संबंधित खण्डों में उल्लिखित जल उपयोग के अंकेक्षण सहित जल अंकेक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करना आवश्यक होगा। राज्य भू–जल प्राधिकरण (सीजीजीडब्ल्यूए), ऐसी सभी अंकेक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।

सीजीजीडब्ल्यूए, अनुमति शर्तों के अनुपालन को समय–समय पर सत्यापित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों को नियुक्त करेगा।

प्रत्येक व्यावसायिक भू–जल उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगा कि अपने भू–जल निष्कर्षण संरचना को डिजिटल फ्लो मीटर से सुसज्जित करे ।

अनुसूची–आठ

भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापना शुल्क

नगरीय क्षेत्रों में सभी आवासीय अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों को, भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।

सुरक्षित, अर्ध– संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित इकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले सभी उद्योगों/खनन/अधोसंरचना परियोजनाओं को, इस दिशानिर्देश में दिए गए विवरण के अनुसार भू–जल निष्कर्षण की मात्रा और मूल्यांकन इकाई की श्रेणी के आधार पर भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।

सभी मौजूदा खनन/अधोसंरचना परियोजनाओं और अतिदोहित मूल्यांकन इकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले एमएसएमई सहित मौजूदा उद्योगों को, भू–जल निष्कर्षण की मात्रा के आधार पर भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, नए एमएसएमई, नए अधोसंरचना और अतिदोहन वाले क्षेत्रों में नई खनन परियोजनाओं को भी, भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करना होगा।

मौजूदा उद्योग, अधोसंरचना ईकाइयां और खनन परियोजनाएं, जिन्होंने अनुमति प्रदान करने या इसके नवीनीकरण के समय प्रचलित भू–जल दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं संस्थापित/निर्मित की हैं, वे भू–जल निष्कर्षण शुल्क/भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क में, उनके संतोषजनक प्रदर्शन और सत्यापन के अध्यधीन रहते हुए, 50% (पचास प्रतिशत) की छूट के लिए पात्र होंगे। ।

प्रस्तावित जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क से उदभूत राजस्व को, स्थल–विशिष्ट उपयुक्त माँग/आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के कार्यान्वयन के लिये पृथक निधि में रखा जायेगा

8.1 भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क की दरें :

एक. नगरीय क्षेत्रों में आवासीय अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों के लिए पेय और घरेलू उपयोग

सभी आवासीय अपार्टमेंट/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, जिन्हें केवल पेय/घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता है, उन्हें अनुमति अपेक्षित है, उन्हें तालिका 8.1 में नीचे दी गई दरों के अनुसार भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।

तालिका 8.1– पेय और घरेलू उपयोग के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क।

भू–जल निष्कर्षण की मात्रा (घन मी./दिन)	भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दर (रु. प्रति घन मीटर)
0–25	कोई शुल्क नहीं
> 25– <200	1.00
200 और उससे अधिक	2.00

पेय/घरेलू उपयोग और सरकारी अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए जल की आपूर्ति करने वाली सरकारी/सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों को, भू–जल निष्कर्षण की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, रुपये 0.50 प्रति घन मीटर की दर से भू–जल निष्कर्षण शुल्क भुगतान करना होगा। ।

दो. पैकेज्ड पेयजल ईकाइयाँ

सुरक्षित, अर्ध– संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित ईकाइयों में, पैकेज्ड पेयजल ईकाइयों के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें, तालिका 8.2 क में दी गई हैं और अतिदोहन वाली मूल्यांकन ईकाइयों में, भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें, तालिका 8. 2 ख में दी गई हैं।

तालिका 8.2क: पैकेज्ड पेय जल ईकाइयों के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा				
		50 घन मीटर/दिन तक	51 से <200 घन मीटर/दिन	200 से <1000 घन मीटर/दिन	1000 से <5000 घन मीटर/दिन	5000 घन मीटर/दिन और उससे अधिक
1.	सुरक्षित	1.00	3.00	5.00	8.00	10.00
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	2.00	5.00	10.00	15.00	20.00
3.	संकटग्रस्त	4.00	10.00	20.00	40.00	60.00

तालिका 8.2 खः पैकेज्ड पेय जल ईकाइयों के लिए भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा				
		50 घन मीटर/ दिन तक	51 से <200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	अतिदोहित (मौजूदा उद्योग केवल)	8.00	20.00	40.00	80.00	120.00

तीन. अन्य उद्योग एवं अधोसंरचना परियोजनाओं

सुरक्षित, अर्ध–संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित इकाइयों में अन्य उद्योगों और अधोंसंरचना परियोजनाओं के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें, तालिका 8.3क में दी गई हैं और अतिदोहित मूल्यांकन इकाइयों में भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें, तालिका 8.3 ख में दी गई है।

तालिका 8.3 कः अन्य उद्योगों और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा			
		<200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	सुरक्षित	1.00	2.00	3.00	5.00
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	2.00	3.00	5.00	8.00
3.	संकटग्रस्त	4.00	6.00	8.00	10.00

तालिका 8.3खः अन्य उद्योगों और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग⟹	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा			
		<200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	अतिदोहित (वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा उद्योग/नवीन उद्योग)	6.00	10.00	16.00	20.00

चार. खनन परियोजनाएँ

खनन के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें, जो सुरक्षित, अर्ध–गंभीर और गंभीर मूल्यांकन ईकाइयों में भू–जल निष्कर्षण से संबंधित हैं, तालिका 8.4क में दी गई हैं और अतिदोहन मूल्यांकन ईकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाली परियोजनाओं के मामले में, भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें, तालिका 8.4ख में दी गई हैं। तालिका 8.4 बी में दिए गए हैं।

तालिका 8.4कः खनन के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क की दरें (रुपये प्रति घन मीटर)

स.क.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा			
		<200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	सुरक्षित	1.00	2.00	2.50	3.00
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	2.00	2.50	3.00	4.00
3.	संकटग्रस्त	3.00	4.00	5.00	6.00

तालिका 8.3खः खनन के लिए भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क की दरें (रु. प्रति घन मीटर)

स.क.	वर्ग का क्षेत्र ⇩ भू–जल उपयोग	भू–जल निष्कर्षण की मात्रा			
		<200 घन मीटर/ दिन	200 से <1000 घन मीटर/ दिन	1000 से <5000 घन मीटर/ दिन	5000 घन मीटर/ दिन और उससे अधिक
1.	अतिदोहित	4.00	5.00	6.00	7.00

जल निष्कर्षण और पुनर्स्थापन शुल्क सेट–ऑफ योजना

भू–जल शुल्क वॉल्यूमेट्रिक होगा और वास्तविक खपत पर आधारित होगा। प्रारंभिक मात्रा (10 घन मीटर/दिन तक), उपरोक्त शुल्कों की न्यूनतम लागू दर पर ली जाएगी और यदि उपयोग अनुमत मात्रा से अधिक हो जाता है, तो बिलिंग अवधि के दौरान जल के पूरे उपयोग पर, उक्त तालिका में उल्लिखित उच्च दरों पर शुल्क लिया जाएगा।

उपभोक्ता को जल संरक्षण का उचित श्रेय मिलेगा। भू–जल में संरक्षित और/या पुनर्भरण की मात्रा, खपत किए गए जल के उपयोग के साथ निर्धारित की जाएगी। उपयोग किए गए और संरक्षित और/या पुनर्भरण किए गए जल का सेट–ऑफ, वर्ष के अंत में किया जाएगा।

पांच. थोक जल आपूर्ति

भू–जल निष्कर्षण वाले और थोक जल आपूर्तिकर्ताओं के रूप में आपूर्ति के लिए उपयोग करने वाले सभी निजी टैंकरों को, अब भू–जल निष्कर्षण के लिए अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। टैंकरों के माध्यम से सुरक्षित, अर्ध–संकटग्रस्त और संकटग्रस्त आंकलित ईकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले थोक जल आपूर्तिकर्ताओं को, तालिका 8.5क के अनुसार भू–जल निष्कर्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। अतिदोहन मूल्यांकन ईकाइयों में भू–जल निष्कर्षण वाले थोक जल आपूर्तिकर्ताओं को, भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान, तालिका–8.5 ख के अनुसार करना होगा।

वे सभी उपयोगकर्ता, जो भू–जल निष्कर्षण करते हैं और निजी टैंकरों के माध्यम से थोक जल आपूर्ति के रूप में इसका उपयोग करते हैं, उन्हें समय–समय पर सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा जारी और अद्यतन किए गए थोक जल आपूर्तिकर्ताओं के नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से भू–जल निष्कर्षण की अनुमति लेनी होगी।

सभी टैंकरों को, अपनी आवाजाही/परिचालन क्षेत्र की निगरानी के लिए जीपीएस आधारित प्रणाली संस्थापित करनी होगी।

तालिका 8.5क : थोक/टैंकर जल आपूर्ति के लिए भू–जल निष्कर्षण शुल्क	
वर्ग	दर प्रति घन मी. (रु. में)
सुरक्षित	10
अर्द्ध– संकटग्रस्त	20
संकटग्रस्त	40

तालिका 8.5ख : थोक/टैंकर जल आपूर्ति के लिए भू–जल पुनर्स्थापन शुल्क	
वर्ग	दर प्रति घन मी. (रु. में)
अतिदोहित	60

छः. खारे भू–जल का निष्कर्षण

उन क्षेत्रों में, जहां या तो प्रत्येक गहराई पर खारा भू–जल है या अन्यथा ताजे जल वाले क्षेत्र में खारे भू–जल के क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा उपयोग के लिए/अधोसंरचना /खनन परियोजनाओं द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसमें अतिदोहन वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, उनमें खारे भू–जल के निष्कर्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे उद्योगों को, भू–जल निष्कर्षण शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी।

गतिशील भू–जल संसाधनों के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक गहराई पर खारा भू–जल वाली ऐसी मूल्यांकन इकाइयों की सूची, सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तथापि, इकाइयों द्वारा अपशिष्टों के निपटान के संबंध में उचित सावधानी बरती जाएगी, ताकि जल निकायों और जलभृतों को प्रदूषण से बचाया जा सके।

खारे भू–जल निष्कर्षण, सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा समय–समय पर जारी और अद्यतन किए गए खारे भू–जल निष्कर्षण के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

सात. आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण

राज्य में आर्द्र भूमि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे ऐसे क्षेत्रों में भू–जल की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्रों की सुरक्षा का कार्य, आर्द्रभूमि प्राधिकरणों द्वारा अलग से किया जा रहा है। चूँकि भू–जल, आर्द्रभूमि क्षेत्र के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आर्द्रभूमि क्षेत्र के भीतर किसी भी अत्यधिक भू–जल विकास से, उस आर्द्रभूमि में पानी की मात्रा प्रभावित होगी।

सीमांकित आर्द्रभूमि क्षेत्रों की परिधि से 500 मीटर के भीतर आने वाली परियोजनाओं को, अनिवार्य रूप से एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया

जाएगा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी भू–जल निष्कर्षण से संरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्र प्रभावित नहीं होंगे। इसके अलावा, सीजीजीडब्ल्यूए से अनुमति लेने से पहले, परियोजनाओं को, क्षेत्र में अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए समुचित आर्द्रभूमि प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण या किसी अन्य समुचित स्थानीय सरकारी प्राधिकरण से सहमति/अनुमोदन लेना होगा।

आठ. स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण वाले सभी उपयोगकर्ता

(सीजीडब्ल्यूए द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2021 को जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार नया प्रावधान)

यद्यपि व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ताओं को, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भू–जल निष्कर्षण के लिए अनुमति लेने से छूट दी गई है, ऐसे सभी उपयोगकर्ता, चाहे मौजूदा हों या नए, जो स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण कर रहे हों, उन्हें छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण वाले उपयोगकर्ताओं में आवासीय अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, टाउनशिप, बंगले/विला, फार्महाउस, क्लब, होटल, रिसॉर्ट्स, खेल/तैराकी परिसर, तैराकी अकादमियां, स्कूल और इस प्रकार के अन्य संस्थान शामिल हैं। अतिदोहन वाले क्षेत्रों में नए उपयोगकर्ताओं के लिए स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुमति प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया, वेब आधारित एप्लिकेशन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन होगी और अनुमति के लिए आवेदन, सीजीजीडब्ल्यूए के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

अनुमति निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन दी जाएगीः

1. स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण की अनुमति केवल ऐसे मामलों में दी जाएगी, जहां स्थानीय सरकारी जल आपूर्ति एजेंसी, क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में पानी की आपूर्ति करने में असमर्थ है।

2. ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को, नियम की अनुसूची–आठ के खंड 3, तालिका 8.3क और 8.3 ख में उल्लिखित दरों के अनुसार, निष्कर्षण वाले प्रस्तावित भू–जल की मात्रा के लिए भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा।

3. ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निष्कर्षण संरचनाओं में टेलीमेट्री प्रणाली वाले डिजिटल जल प्रवाह मीटर (बीआईएस/आईएस मानकों के अनुरूप) की स्थापना करना अनिवार्य होगा, जो स्विमिंग पूल के लिए भू–जल के निष्कर्षण की अनुमति मांग रहे हैं और उनकी संस्थापना संबंधी सूचना, वेब–पोर्टल के माध्यम से

अनुमति मिलने के 30 दिनों के भीतर सीजीजीडब्ल्यूए को दिया जाएगा। उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य रूप से वर्ष में एक बार किसी अधिकृत एजेंसी से जल प्रवाह मीटर का अंशांकन कराना होगा।

4. भू–जल निष्कर्षण वाले ऐसे सभी उपयोगकर्ताओं को, राज्य में प्रचलित भवन उप–विधियों के अनुसार परिसर में छत पर वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण प्रणाली स्थापित करना होगा। उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्विमिंग पूल के जल का उपयोग भू–जल पुनर्भरण के लिए नहीं किया जाए।

5. समुचित प्राधिकारी से वैध अनुमति के बिना, स्विमिंग पूल के लिए भू–जल निष्कर्षण अवैध माना जाएगा और ऐसे उपयोगकर्ता, नियम की अनुसूची–नौ के खंड–चार की तालिका 9.4 के अनुसार निष्कर्षण किये गये भू–जल की मात्रा के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. किसी भी अनुमति शर्तों के उल्लंघन के मामले में, प्रस्तावक, नियम की अनुसूची–नौ के सरल क्रमांक तीन के अनुसार शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

7. अनुमति शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए, जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों (डीसी)/जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को, अवैध कुओं को सील करने, बिजली काटने, अनुमति शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अभियोजन शुरू करने पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की कार्रवाई करने जैसे प्रवर्तन उपाय करने के लिए अधिकृत किया गया है। सीजीजीडब्ल्यूए और राज्य जल संसाधन विभाग के तकनीकी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगरानी और आवधिक निरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं।

अनुसूची–नौ

एक.क. भू–जल निष्कर्षण की अनुमति में सामान्य अनुपालन शर्तें

(एक) निष्कर्षण संरचना में टेलीमेट्री प्रणाली वाले छेड़छाड़ रोधी डिजिटल जल प्रवाह मीटर/प्री–पेड मीटर (बीआईएस/आईएस मानक अनुरूप) संस्थापित करना, अनुमति चाहने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक होगा और उनकी संस्थापना संबंधी सूचना, वेब–पोर्टल के माध्यम से अनुमति मिलने के 30 दिनों के भीतर सीजीजीडब्ल्यूए को दिया जाएगा।

यदि भू–जल निष्कर्षण एक ही परिसर के भीतर कई बोर/ट्यूबवेलों से होती है, तो सामान्य आउटलेट बिंदु पर, टेलीमेट्री के साथ छेड़छाड़–रोधी डिजिटल जल प्रवाह मीटर/प्री–पेड मीटर संस्थापित किए जा सकेंगे।

(दो) प्रस्तावक को, वर्ष में एक बार अधिकृत एजेंसी से जल प्रवाह मीटर का अंशांकन कराना अनिवार्य होगा ।

(तीन) प्रस्तावक, परियोजना क्षेत्र में छत के उपर वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण प्रणाली संस्थापित करेगा।

(चार) प्रस्तावक, यथा लागू भू–जल निष्कर्षण की मात्रा के आधार पर, भू–जल निष्कर्षण/पुनर्स्थापन शुल्क का भुगतान, अनुसूची–आठ में दी गई दरों के अनुसार करेगा।

(पांच) भू–जल स्तर की निगरानी के लिये उद्देश्ययुक्त अवलोकन कुएँ (पीजोमीटर) अनुसूची–नौ (चार) के अनुसार संस्थापित किया जाएगा । जल स्तर का डेटा, सीजीजीडब्ल्यूए को वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा । पीजोमीटर के निर्माण के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों, परिशिष्ट–दो में दिया गया हैं ।

(छः) प्रस्तावक को, वर्ष में एक बार निष्कर्षण संरचनाओं से भू–जल की गुणवत्ता की निगरानी करनी होगी। बोरवेल/ट्यूबवेल/खोदे गये कुएँ से जल के नमूने, प्रत्येक अप्रैल/मई के दौरान एकत्रित किये जायेंगे तथा अधारभूत मापदंडों (धनायनों और आयनों), भारी धातु, कीटनाशक/कार्बनिक यौगिक आदि के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जायेगा। जल गुणवत्ता डेटा, सीजीजीडब्ल्यूए को वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

(सात) यदि अनुमति की वैधता अवधि के भीतर यांत्रिक/अन्य विफलता के कारण मौजूदा कुआं निष्क्रिय हो जाता है, तो उपयोगकर्ता, वेब पोर्टल पर सीजीजीडब्ल्यूए को सूचित करके, एक प्रतिस्थापन कुआं निर्मित कर सकता है। निष्क्रिय कुएं को समुचित रूप से सील किया जाएगा (अनुसूची–नौ के तहत एक.ख देखें)। उपयोगकर्ता के लिये यह करना आवश्यक होगा कि इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें। तथापि, यदि मौजूदा निष्कर्षण संरचनाएँ, जल देने में विफल रहती हैं और प्रस्तावक, उसी परिसर में दूसरा ट्यूबवेल खोदने की वांछा करता है, तो प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। यदि प्रतिस्थापन कुआँ, किसी भिन्न स्थान पर खोदा जाना है, तो प्रस्तावक, पुनः अनुमति लेगा।

(आठ) जहां भी संभव हो, ग्रीनबेल्ट (बागवानी) के लिए जल की आवश्यकता को पुनर्चक्रित/उपचारित अपशिष्ट जल से पूरा किया जाएगा।

(नौ) स्वामित्व परिवर्तन के मामले में, परिसर के नए मालिक को, परिसर का कब्जा लेने के 60 दिनों के भीतर, दस्तावेजी प्रमाण के साथ अनुमति में आवश्यक बदलावों को शामिल करने के लिए आवेदन करना होगा।

एक.ख. <u>परित्यक्त बोरवेल और ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सुरक्षा उपाय</u>

(एक) भूमि/परिसर का स्वामी, बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले, बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के बारे में संबंधित जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को लिखित रूप में सूचित करेगा (प्ररूप–8क देखें)।

(दो) सभी ड्रिलिंग एजेंसियों अर्थात् सरकारी/अर्धसरकारी, निजी आदि का पंजीकरण, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद से कराना अनिवार्य होगा।

(तीन) ट्यूब/बोरवेल के स्वामी और ड्रिलिंग एजेंसी द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे–

क) ट्यूब/बोरवेल के पास एक साइनबोर्ड होगा जिसमें उपयोगकर्ता एजेंसी/कुएं के स्वामी का पूरा पता और कुएं के निर्माण/पुनर्वास के समय ड्रिलिंग एजेंसी का पता परिशिष्ट–दस के अनुसार होगा।

ख) ट्यूब/बोरवेल के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ या किसी अन्य उपयुक्त अवरोध का निर्माण।

ग) कुएं के आवरण के चारों ओर 0.50X0.50X0.60 मीटर (भू–स्तर से 0.30 मीटर ऊपर और भू–स्तर से 0.30 मीटर नीचे) मापित, सीमेंट/कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण।

घ) स्टील प्लेट को वेल्डिंग करके या बोल्ट और नट्स के साथ केसिंग पाइप पर एक मजबूत कैप लगाकर कुएं के समनुक्रम ढांकने वाली पट्टी।

ड.) पंप की मरम्मत के मामले में, ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

च) कार्य पूरा होने के बाद मिट्टी के गड्ढों और नालियों को भरना।

छ) खाली पड़े बोरवेलों को नीचे से भू– स्तर तक मिट्टी/ रेत/ पत्थर/कंकड़/ड्रिल कटिंग आदि से भरना।

ज) किसी विशेष स्थान पर ड्रिलिंग कार्य पूरा होने पर, भूमि की स्थिति को, ड्रिलिंग शुरू होने से पूर्व जैसा था, पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए।

(चार) जिला कलेक्टर को, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सत्यापित करने और उचित निगरानी जांच करने की शक्ति होगी।

(पांच) खोदे गए बोरवेलों/ट्यूबवेलों की जिला/ब्लॉक/ग्रामवार स्थिति, अर्थात् उपयोग में आने वाले कुओं की संख्या, त्यक्त बोरवेलों/ट्यूबवेलों की संख्या, जो खुले पाए गए, त्यक्त बोरवेलों/ट्यूबवेलों की संख्या, जो भू–स्तर तक ठीक से भरे हुए हैं और त्यक्त बोरवेलों/ट्यूबवेलों की शेष संख्या, जो भू–स्तर तक भरा जाना है, परिशिष्ट–ग्यारह के अनुसार जिला भू–जल प्रबंधन परिषद में अनुरक्षित रखा जाना है।

क) ग्रामीण क्षेत्रों में, उपरोक्त की निगरानी, ग्राम सरपंच और कृषि विभाग के कार्यकारी के माध्यम से की जानी है।

ख) शहरी क्षेत्रों के मामले में, उपरोक्त की निगरानी, संबंधित जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य/नगर निगम आदि के कनिष्ठ अभियंता और कार्यकारी के माध्यम से की जानी है।

ग) ट्यूबवेल के स्वामी और ट्यूबवेल की ड्रिलिंग एजेंसी, अभिहित वेब पोर्टल पर परिशिष्ट–बारह के अनुसार उपरोक्त विवरण की रिपोर्ट करने और अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(छः) परित्यक्त कुओं का यादृच्छिक निरीक्षण, संबंधित एजेंसी/विभाग के कार्यकारी द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त सभी प्रकार के आंकड़ों की जानकारी, जिला भू–जल प्रबंधन परिषद में अनुरक्षित रखी जानी है।

दो. भू–जल निकासी शर्तों की अनुमति के अनुपालन की निगरानी

भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए, छत्तीसगढ़ भू–जल प्राधिकरण, निम्नलिखित कदम उठाएगा :

(क) अनुपालन निगरानी के लिए उपयुक्त एमआईएस विकसित किया जाएगा।

(ख) जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को, अनधिकृत भू–जल निष्कर्षण संरचनाओं को सील करने, बिजली काटने, भू–जल निष्कर्षण की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध मुकदमा चलाने और पर्यावरणीय मुआवजा लगाने के लिए कार्रवाई करने जैसे प्रवर्तन उपाय करने के लिए अनुसूची–नौ के अंतर्गत सरल क्रमांक चार के अनुसार अधिकृत किया गया है।

(ग) सीजीजीडब्ल्यूए और जल संसाधन विभाग, राज्य भू–जल संगठनों के तकनीकी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निगरानी और आवधिक निरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं।

(घ) भू–जल निष्कर्षण शर्तों की किसी भी अनुमति के उल्लंघन के मामले में, प्रस्तावक, अनुसूची–नौ के तहत सरल क्रमांक तीन के अनुसार शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

तीन. अनुमति में सुधार/संशोधन के लिए शास्ति और शुल्क का प्रावधान :

समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी भू–जल निष्कर्षण की अनुमति शर्तों का पालन न करने पर, प्रस्तावकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की विभिन्न शर्तों का पालन न करने पर, प्रस्तावित शास्ति की दरें, तालिका 9.1 में दी गई हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शास्ति की दरों की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी।

तालिका 9.1: भू–जल निष्कर्षण की अनुमति की शर्तों का अनुपालन न करने पर शास्ति का प्रावधान :

सं.क्र.	मद	शुल्क रुपये में
1.	टेलीमेट्री सिस्टम के साथ गैर–संस्थापन/दोषपूर्ण डिजिटल जल प्रवाह मीटर	2,00,000
2.	अतिरिक्त भू–जल निष्कर्षण संरचनाओं का गैर–प्रकटीकरण/ निर्माण (क) कार्यात्मक/गैर–कार्यात्मक संरचनाएं (ख) निष्क्रिय/ परित्यक्त टीप : दी गई दरें, इकाई कार्यात्मक/गैर–कार्यात्मक/निष्क्रिय/ परित्यक्त संरचनाओं के लिए हैं। समेकित शास्ति पर पहुंचने के लिए इसे ऐसी कुल संरचनाओं से गुणा किया जाएगा।	 2,00,000 1,00,000
3.	आवेदन में ताजे पानी वाले क्षेत्रों को नमकीन/खारा क्षेत्र के रूप में रिपोर्ट करना	2,00,000
4.	पीजोमीटर का न लगाया जाना	2,00,000
5.	गैर–संस्थापन/दोषपूर्ण डीडब्ल्यूएलआर/टेलीमेट्री सिस्टम	1,00,000
6.	पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं का गैर–निर्माण/अपर्याप्त क्षमता	5,00,000
7.	जल संरक्षण संरचनाओं/पुनर्भरण संरचनाओं का रखरखाव न करना	2,00,000

8.	जलभृत प्रणाली में उपचारित/अनुपचारित पानी का अंतःक्षेपण टीपः शास्ति के अलावा, प्रस्तावक को, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार जलभृत सुधार की लागत वहन करनी होगी	10,00.000
9.	जल स्तर/जल गुणवत्ता डेटा प्रस्तुत न करना	50,000
10.	दैनिक निष्कर्षण की लॉग बुक का रखरखाव न करना/भू–जल निष्कर्षण डेटा प्रस्तुत न करना	50,000
11.	पुनर्भरण संरचनाओं की तस्वीर प्रस्तुत न करना	50,000
12.	स्व–अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करना	1,00,000
13.	गैर अधिकृत/अपंजीकृत ड्रिलिंग रिग्स (प्रति संरचना) द्वारा भू–जल निष्कर्षण संरचनाओं का निर्माण	1,00,000
14.	जलापूर्ति टैंकरों का पंजीयन न होना	5,00,000
15.	गलत सूचना/वचन पत्र प्रस्तुत करना	1,00,000
16.	रिग मशीन का पंजीकरण न होना	1,00,000

अनुमति के नए/नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क, सीजीजीडब्ल्यूए द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार लिया जाएगा और आधिकारिक वेब पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मौजूदा जारी अनुमति में सुधार/संशोधन के लिए भी शुल्क देय होगा। ऐसे शुल्कों का विवरण, तालिका 9.2 में दिया गया है।

तालिका 9.2: भू–जल निष्कर्षण की मौजूदा जारी अनुमति में सुधार/संशोधन या परिवर्तन के लिए प्रभार/शुल्क :

सं.क्र.	मद	शुल्क रुपये में
1.	यूजर आईडी में परिवर्तन	5,000
2.	फर्म के नाम में परिवर्तन	5,000
3.	भू–जल निष्कर्षण की अनुमति का विस्तार	5,000
4.	भू–जल निष्कर्षण की डुप्लीकेट अनुमति जारी करना	5,000
5.	भू–जल निष्कर्षण की अनुमति के लिए शुद्धिपत्र जारी करना	5,000
6.	कोई अन्य मद/सुधार आदि	5,000

चार. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

समुचित प्राधिकारी से भू–जल निष्कर्षण की वैध अनुमति लिये बिना उद्योगों, अधोसंरचना ईकाइयों और खनन परियोजनाओं द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए भू–जल का निष्कर्षण, अवैध माना जाएगा और ऐसी संस्थाएं, इस प्रकार निष्कर्षण किये गए भू–जल की मात्रा के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित मानदंडों का उपयोग, नीचे उल्लिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना के लिए किया जाएगा :

$ईसी_{जीडब्ल्यू}$ = प्रतिदिन भू–जल खपत x पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर ($ईसीआर_{जीडब्ल्यू}$)x दिनों की संख्या x निवारण कारक

जहां भू–जल की खपत घन मी./दिन में है और $ईसीआर_{जीडब्ल्यू}$ रु./प्रति घनमीटर में है

क. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की दरें :

मूल्यांकन ईकाइयों की विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ($ईसीआर_{जीडब्ल्यू}$) की दरें, तालिका 9.3 से 9.5 में दी गई हैं।

तालिका 9.3: पैकेज्ड पेयजल ईकाइयों के लिए $ईसीआर_{जीडब्ल्यू}$

क्र. सं.	क्षेत्र श्रेणी	जल उपभोग (घन मी./दिन)			
		<200/	200 से <1000	1000 से <5000	5000 और अधिक
		पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर ($ईसीआर_{जीडब्ल्यू}$) रु./घन मी.में			
1.	सुरक्षित	12	18	24	30
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	24	36	48	60
3.	संकटग्रस्त	36	48	66	90
4.	अतिदोहित	48	72	96	120
टीप :–न्यूनतम $ईसी_{जीडब्ल्यू}$ रुपये 1,00,000/– से कम नहीं होगा।					

तालिका 9.4: खनन/अधोसंरचना डी–वाटरिंग परियोजनाओं के लिए ईसीआर$_{जीडब्ल्यू}$

क्र. सं.	क्षेत्र श्रेणी	जल उपभोग (घन मी./दिन)			
		<200/	200 से <1000	1000 से <5000	5000 और अधिक
		पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर (ईसीआर$_{जीडब्ल्यू}$) रु./घन मी.में			
1.	सुरक्षित	15	21	30	40
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	30	45	60	75
3.	संकटग्रस्त	45	60	85	115
4.	अतिदोहित	60	90	120	150
टीप :–न्यूनतम ईसी$_{जीडब्ल्यू}$ रुपये 1,00,000/– से कम नहीं होगा।					

तालिका 9.5 : औद्योगिक ईकाइयों के लिए ईसीआर$_{जीडब्ल्यू}$

क्र. सं.	क्षेत्र श्रेणी	जल उपभोग (घन मी./दिन)			
		<200/	200 से <1000	1000 से <5000	5000 और अधिक
		पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर (ईसीआर$_{जीडब्ल्यू}$) रु./घन मी.में			
1.	सुरक्षित	20	30	40	50
2.	अर्द्ध संकटग्रस्त	40	60	80	100
3.	संकटग्रस्त	60	80	110	150
4.	अतिदोहित	80	120	160	200
टीप :–न्यूनतम ईसी$_{जीडब्ल्यू}$ रुपये 1,00,000/– से कम नहीं होगा।					

ख. नुकसान और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति के लिए निवारक कारक (पैकेज्ड पेयजल ईकाइयों, खनन, उद्योगों और अधोसंरचना डी–वाटरिंग परियोजनाओं के लिए)

नुकसान और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति के लिए अवैध भू–जल निष्कर्षण की अवधि के आधार पर, तालिका 9.6 में वर्णित अनुसार, निम्नलिखित निवारक कारक ग्रहित किये जाएंगे।

तालिका 9.6 : भू–जल निष्कर्षण की मात्रा और अवैध दोहन के वर्षों की संख्या पर आधारित निवारक कारक

संक्र.	जल खपत	निरोध कारक		
		<2 वर्ष	2–5 वर्ष	>5 वर्ष
1.	<1000 केएलडी	1.00	1.00	1.25
2.	1000–5000 केएलडी	1.00	1.00	1.50
3.	>5000 केएलडी	1.00	1.25	2.00

टीप : केएलडी – किलोलीटर प्रति दिन

पांच. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें (सभी पर लागू):

(एक) सीजीजीडब्ल्यूए से भू–जल निष्कर्षण की वैध अनुमति नहीं रखने वाले व्यक्ति/एजेंसी द्वारा भू–जल की बिक्री की अनुमति नहीं है।

(दो) अधोसंरचना परियोजनाओं में, भू–जल प्रवेश/संचयन सुनिश्चित करने के लिए पक्के/पार्किंग क्षेत्र को इंटरलॉकिंग/छिद्रित टाइलों या अन्य उपयुक्त उपायों से आच्छादित किया जाना चाहिए।

(तीन) अधोसंरचना परियोजनाओं के मामले में, फर्म/इकाई, परियोजनाओं में दोहरी जल आपूर्ति प्रणाली का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। इसका अनुपालन, वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(चार) भू–जल निष्कर्षण की अनुमति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न करने पर, भू–जल निष्कर्षण की अनुमति को रद्द करने/भू–जल निष्कर्षण की अनुमति का नवीनीकरण न करने के लिए पर्याप्त कारण माना जा सकेगा।

(पांच) सुसंगत खण्डों में निर्दिष्ट सहायक दस्तावेजों के बिना, किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(छः) निष्कर्षण संरचनाएं, परियोजना संपत्ति के परिसर के अंदर स्थित होनी चाहिए।

(सात) भू–जल निष्कर्षण की अनुमति में निर्धारित शर्तों के स्व–अनुपालन की रिपोर्ट, उपयोगकर्ताओं द्वारा छत्तीसगढ़ भू–जल प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन की जाएगी तथा विभिन्न सेवाओं के लिए समय–समय पर निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा।

छः. भू–जल स्तर की निगरानी

औद्योगिक क्षेत्रों, जो कि इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित है, के अलावा, सभी परियोजना प्रस्तावक, (कठोर चट्टानी जलभृत प्रकार के लिए 100 घन मीटर/दिन से अधिक भू–जल निष्कर्षण और जलोढ़ जलभृत प्रकार के लिए 500 घन मीटर/दिन से अधिक भू–जल का निष्कर्षण कर रहें है), को भू–जल स्तर की निगरानी के लिए उनके परिसर के भीतर पीजोमीटर (अवलोकन कुएं) का निर्माण करना अनिवार्य है। इसके अलावा, औद्योगिक क्षेत्रों में (केंद्र/राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट या अधिसूचित), केंद्रीय भू–जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), स्थानीय जल–भूवैज्ञानिक स्थितियों के अनुसार आवश्यकता–आधारित पीजोमीटर का निर्माण करेगा और जल स्तर की निगरानी करेगा। परियोजना क्षेत्र में भू–जल स्तर की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु शर्तों के अनुपालन करने के लिये इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है। इस संबंध में परियोजना समर्थकों द्वारा पीजोमीटर के माध्यम से जल स्तर की निगरानी के लिए आवश्यक मानदंड, तालिका 9.7 में दिए गए हैं।

तालिका 9.7 : डिजिटल भू–जल स्तर रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) और टेलीमेट्री के साथ बनाए जाने वाले पीजोमीटर की संख्या और जल स्तर निगरानी तंत्र का प्रकार

सं.क्र.	भू–जल निकासी की मात्रा (घन मी./दिन)	पीजोमीटर की संख्या (डीडब्ल्यूएलआर और टेलीमेट्री अपेक्षा के साथ)
1.	0–100	0
2.	>100 (औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा अन्य कठोर चट्टानी जलभृत प्रकार)	1
3.	>500 (औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा अन्य जलोढ़ जलभृत प्रकार)	1

पीजोमीटर को, उपयुक्त रूप से स्थित किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीजोमीटर में टैप किया गया जलभृत का क्षेत्र, पंपिंग कुएं के समान है।

परिशिष्ट–क

(नियम 10 देखिये)

समुचित संस्था/निकाय के गैर–अधिकारी सदस्यो की योग्यता

स0 क्र0	नियम 3 में संदर्भित सदस्य	योग्यता
1.	जिला भू–जल प्रबंधन परिषद के सदस्य के रूप में 2 विषय विशेषज्ञ, जो कि धारा 4 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ) में उल्लिखित है।	जिला मजिस्ट्रेट, दो विषय विशेषज्ञों (भू–जल विशेषज्ञ) को नामांकित करेगी, जिसे अनुप्रयोग भू–विज्ञान/ भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (भू–जल विषय सहित) के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम दस वर्ष के कार्यानुभव हो।
2.	राज्य भू–जल प्रबंधन और विनियामक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में तीन विषय विशेषज्ञ, जो कि धारा 3 की उप–धारा (2) के सरल कमांक 14 में निर्दिष्ट है।	राज्य सरकार, तीन विषय विशेषज्ञों (भू–जल विशेषज्ञ) को नामांकित करेगी, जिसे अनुप्रयोग भू–विज्ञान/ भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (भू–जल विषय सहित) के साथ–साथ छत्तीसगढ़ के विभिन्न भू–जल विज्ञान स्थितियों से संबंधित प्रबंधन के क्षेत्र में न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव हो।
3.	सार्वजनिक/गैर–सरकारी संगठन /सामाजिक क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो कि धारा 3 की उप–धारा (2) के सरल कमांक 15 में निर्दिष्ट है।	राज्य सरकार सार्वजनिक/गैर–सरकारी संगठन / सामाजिक क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को नामांकित करेगी।

परिशिष्ट–ख

(नियम 27 देखिये)

अपराध के निराकरण के लिए आवेदन पत्र

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 21 की उप–धारा (3))

सं0क्र0	विवरण	अभियुक्ति
1.	आवेदक का नाम	
2.	किस धारा के अधीन अपराध किया गया है *	
3.	प्रकरण की स्थिति (अर्थात विचारणीय/न्यायालय में लम्बित/दोषी/बरी हो चुका है)	
4.	प्रशमन हेतु औचित्य के साथ अपराधों का विवरण (पृथक–पृथक)	
5.	क्या आवेदक ने अपराध से संबंधित शास्ति की राशि एवं देय कोई अन्य राशि का भुगतान किया है?	
6.	क्या आवेदक प्रशमन शुल्क का भुगतान करता है जैसा कि प्रशमन अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा?	
7.	क्या आवेदक के मामले मे पहले भी समान अपराध दर्ज किये गये है। यदि हॉ, तो कितनी बार ?	
8.	क्या धारा 41 में उल्लिखित प्रथम अपराध के प्रशमन के लिये आवेदन है ?	
9.	क्या आवेदक को, प्रशमन चाहे गये अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था ?	

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर प्रस्तुत किये गए विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता हूं, तो मेरा आवेदन, अस्वीकार/रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

मैं सहमत हूँ

टीप :

1. प्रत्येक अपराध के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दर्शाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) आवेदक द्वारा किये गये अपराध के विरुद्ध जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा जारी नोटिस।
5. प्रशमन अधिकारी, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ

स्थानः– हस्ताक्षर .....

दिनांकः– वर्तमान पता .....

.....

* अपराध जिसके लिये कम्पाउंडिंग की मांग की जाती है।

परिशिष्ट–एक

पेय और घरेलू उपयोग के लिए जल आवश्यकताओं का अनुमान (स्रोतः राष्ट्रीय भवन निर्माण संहित 2016, बीआईएस)

(क) आवासीय भवन :

आवास	जनसंख्या
1. शयनकक्ष आवास इकाई	4
2. शयनकक्ष आवास इकाई	5
3. शयनकक्ष आवास इकाई	6
4. शयनकक्ष आवास इकाई और उससे ऊपर	7

टिप्पणियाँ:

1) उपरोक्त आंकड़ों को, जहां भी लागू हो, सहायक कर्मियों सहित घरेलू परिवार के आंकडे माने जाते हैं।

2) योजनाबद्ध विकास के लिए, घरेलू परिवार इकाइयों की अपेक्षित संख्या और प्रकार पर सम्यक् विचार करने के बाद, जनसंख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।

3) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवासीय इकाई के लिए, जनसंख्या की आवश्यकता 4 होगी और स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए, जनसंख्या की आवश्यकता 2 होगी।

एक सामान्य नियम के रूप में घरेलू और गैर–घरेलू जरूरतों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन निम्नलिखित दरों पर विचार किया जा सकता है :

(क) 20,000 तक की आबादी वाले समुदायों के लिएः

1) स्टैंड पोस्ट के माध्यम से जल आपूर्ति :	40 एलएफडी (न्यूनतम)
2) गृह सेवा के माध्यम से जल आपूर्ति : कनेक्शन	70 से 100 एलएफडी

(ख) 20,000 से 100,000 जनसंख्या वाले समुदायों के लिए पूर्ण फ्लशिंग प्रणाली सहित : 100 से 135 एलएफडी

(ग) 100,000 से अधिक जनसंख्या वाले समुदायों के लिए पूर्ण फ्लशिंग प्रणाली सहित : 150 से 200 एलएफडी

टीप– मौजूदा स्थितियों और जल की उपलब्धता के आधार पर, मध्यम आय समूह (एमआईजी) और निम्न आय समूह (एलआईजी) और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के घरों के लिए, 150 से 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन, दी जाने वाली जल आपूर्ति के मान को घटाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन किया जा सकता है।,

150 से 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन में से, 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन, फ्लशिंग आवश्यकताओं के लिए और शेष मात्रा अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए ली जा सकती है।

ख. आवासों के अलावा अन्य भवनों के लिए जल की आवश्यकताएँ :

सं. क्र.	भवन का प्रकार	घरेलू लीटर प्रति व्यक्ति/दिन	फ्लशिंग लीटर प्रति व्यक्ति/दिन	कुल खपत लीटर प्रति व्यक्ति/दिन
1.	कैंटीन सहित कारखाने, जहां स्नान कक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक है	30	15	45
2.	कैंटीन सहित कारखाने, जहां कोई स्नान कक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है	20	10	30
3.	अस्पताल (कपड़े धोने और रसोई को छोड़कर): क) बिस्तरों की संख्या 100 से अधिक नहीं	230	110	340
	बी) बिस्तरों की संख्या 100 से अधिक	300	150	450
	ग) बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी)	10	5	15
4.	नर्सेस होम और मेडिकल क्वार्टर	90	45	135
5.	छात्रावास	90	45	135
6.	लॉन्ड्री, रसोई, स्टाफ और जल निकायों को छोड़कर, होटल (3 स्टार तक)	120	60	180
7.	लॉन्ड्री, रसोई, स्टाफ और जल निकायों को	260	60	320

	छोड़कर, होटल (4 स्टार और उससे ऊपर)			
8.	कार्यालय (कैंटीन सहित)	25	20	45
9.	रेस्तरां और फूड कोर्ट, जिसमें रसोई के लिए पानी की आवश्यकता भी शामिल है: क) रेस्तरां	55 प्रति सीट	15 प्रति सीट	70 प्रति सीट
	ख) फूड कोर्ट	25 प्रति सीट	10 प्रति सीट	35 प्रति सीट
10.	क्लब हाउस	25	20	45
11.	स्टेडियम	4	6	10
12.	सिनेमा, कॉन्सर्ट हॉल और थिएटर और मल्टीप्लेक्स	5 प्रति सीट	10 प्रति सीट	15 प्रति सीट
13.	स्कूल/शैक्षिक संस्थान : क) बोर्डिंग सुविधाओं के बिना	25	20	45
	ख) बोर्डिंग सुविधाओं के साथ	90	45	135
14.	शॉपिंग और रिटेल (मॉल) क) कर्मचारी	25	20	45
	ख) विजिटर	5	10	15
15.	यातायात टर्मिनल स्टेशन (क) हवाई अड्डे	40	30	70
	(ख) स्नान सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन (जंक्शन)	40	30	70
	(ग) स्नान सुविधा रहित रेलवे स्टेशन (जंक्शन)	30	15	45

	(घ) स्नान सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन (मध्यवर्ती)	25	20	45
	(ड.) स्नान की सुविधा रहित रेलवे स्टेशन (मध्यवर्ती)	15	10	25
	(च) अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल	25	20	45
	(छ) अंतरराज्यीय बस टर्मिनल / मेट्रो स्टेशन	10	5	15

टिप्पणियाँ:

1. विजिटर के लिए जल की मांग की गणना के लिए, प्रति व्यक्ति प्रति दिन 15 लीटर की खपत ली जा सकती है।

2. जल की मांग में मरीजों, परिचारकों, आगंतुकों और कर्मचारियों की आवश्यकता शामिल है। रसोई, कपड़े धोने और क्लिनिकल पानी के लिए, अतिरिक्त जल की मांग की गणना, वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार की जाएगी।

3. व्यक्तियों की संख्या, स्टेशनों द्वारा संभाले जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले कर्मचारियों और विक्रेताओं पर सम्यक ध्यान दिया जाएगा।

4. सीजनल एवरेज पीक संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

5. अस्पतालों को श्रेणी–क (25 से 50 बिस्तर), श्रेणी–ख (51 से 100 बिस्तर), श्रेणी–ग (101 से 300 बिस्तर), श्रेणी–घ (301 से 500) और श्रेणी–ड. (501 से 750 बिस्तर) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

परिशिष्ट–दो

पीजोमीटर के निर्माण और भू–जल स्तर एवं गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिशानिर्देश

पीजोमीटर, एक बोरवेल/ट्यूबवेल है, जिसका उपयोग, केवल टेप/साउंडर या स्वचालित/डिजिटल जल स्तर मापने वाले उपकरण को नीचे करके जल स्तर मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग, जहां आवश्यक हो, जल के गुणवत्ता परीक्षण हेतु जल का नमूना लेने के लिए भी किया जाता है। पीजोमीटर की संस्थापना के लिए सामान्य दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

- पीजोमीटर को, न्यूनतम यदि दोहित किया गया जलभृत, कठोर चट्टान है, 15 मीटर की दूरी पर और यदि जलभृत, पंपिंग कुएं से जलोढ़ है जिसके माध्यम से भू–जल निकाला जा रहा है, तो 50 मीटर की दूरी पर स्थापित/निर्माण किया जाना होता है। पीजोमीटर का व्यास, लगभग चार इंच से छः इंच होना चाहिए।

- पीजोमीटर की गहराई, उस पंपिंग कुएं के समान होनी चाहिए, जिससे भू–जल निकाला जा रहा है। यदि, अलग–अलग गहराई पर जलभृतों का दोहन करने के लिए एक से अधिक पंपिंग कुओं का निर्माण किया जाता है, तो पंपिंग कुओं के रूप में विभिन्न जलभृतों का दोहन करने के लिए एक से अधिक पीजोमीटर का निर्माण करने की आवश्यकता होगी।

- आसपास के ट्यूबवेलों से लगभग चार से छः घंटे तक पंपिंग बंद करने के बाद ही पीजोमीटर में जल स्तर की माप ली जानी चाहिए।

- भू–जल निष्कषर्ण वाले उद्योगों और खदानों द्वारा वर्ष में एक बार प्री–मानसून (अप्रैल/मई) अवधि के दौरान भू–जल गुणवत्ता की निगरानी की जानी चाहिए। भू–जल के नमूनों का विश्लेषण, एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराया जाना चाहिए।

- मानक संदर्भ और पहचान के लिए पीजोमीटर/ट्यूबवेल स्थल, पीजोमीटर/ट्यूबवेल संख्या, गहराई और दोहित किए गए क्षेत्र की व्यवस्था के लिए, पीजोमीटर/ट्यूबवेल स्थल पर, एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।

- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी भी अन्य स्थल–विशिष्ट आवश्यकता का, ध्यान में रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट–तीन

प्रदूषणकारी उद्योगों/परियोजनाओं के संयंत्र परिसरों में प्रदूषण से बचाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय

यह देखा गया है कि टेनरी, स्लॉटर हाउस, डाई, केमिकल, कोल वॉशरी, अन्य खतरनाक इकाइयों आदि जैसे प्रदूषणकारी उद्योगों में और उनके आसपास भू–जल प्रदूषित है। भू–जल की गुणवत्ता में अति गिरावट को रोकने के लिए, वेलहेड सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करना आवश्यक है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों/परियोजनाओं को मौजूदा और नई श्रेणी दोनों के लिए नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया जाता है।

1. प्रसंस्करण इकाई के आसपास कोई भी ट्यूबवेल/बोरवेल/खुदा हुआ कुआं निर्मित नहीं किया जाना चाहिए। ट्यूबवेल/बोरवेल का निर्माण, उसी स्थान पर किया जाना चाहिए, जहां स्वच्छता बनाए रखी गई हो।

2. असेंबली/केसिंग के लिए केवल माइल्ड स्टील पाईप का उपयोग किया जाना चाहिए और पीवीसी (पॉली विनाइल क्लोराइड) या इसी तरह के पाइप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पीवीसी या इसी तरह के पाइप वाले ट्यूबवेल/बोरवेल को त्याग देना चाहिए और वापस भर देना चाहिए।

3. ट्यूबवेल/बोरवेल के चारों ओर, 3 मीटर (लंबाई) X 3 मीटर (चौड़ाई) X 2 मीटर (गहराई) की आरसीसी (प्रबलित कंक्रीट सीमेंट) ग्राउटिंग प्रदान की जानी चाहिए। ट्यूबवेल/बोरवेल का पाइप भू–स्तर से 1 मीटर ऊपर (1एमएजीएल) ऊंचा होना चाहिए। निर्मित ट्यूबवेल/बोरवेल में किसी भी सतही प्रदूषण को प्रवेश करने से रोकने के लिए, ट्यूबवेल/बोरवेल को, 0.5 मीटर ऊंचाई और 1.5 मीटर गहराई की आरसीसी दीवार से चारों ओर घेरा होना चाहिए।

योजना/खण्डीय आरेख संदर्भ के लिए संलग्न है

4. ट्यूबवेल/बोरवेल में एनआरवी (नॉन–रिटर्न वाल्व) यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाना चाहिए कि निर्मित ट्यूबवेल/बोरवेल का उपयोग, विशेष रूप से केवल भू–जल निकालने के लिए किया जाता है।

5. किसी भी समय निर्मित ट्यूबवेल/बोरवेल/पीजोमीटर में कोई जल या तरल पदार्थ नहीं डाला जाना चाहिए।

6. इस श्रेणी के अंतर्गत उद्योगों/परियोजनाओं को, संयंत्र परिसर के भीतर कोई भी पुनर्भरण उपाय लागू नहीं करना चाहिए।

7. एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) या ईटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) के आसपास स्थित/निर्मित किसी भी ट्यूबवेल/बोरवेल को त्याग दिया जाना चाहिए और वापस भर दिया जाना चाहिए।

निगरानी के उद्देश्य से निर्मित किये जाने वाले पीजोमीटर को, ऐसे उद्योगों/परियोजनाओं के लिए ट्यूबवेल/बोरवेल के लिए लागू समान प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए।

वेलहेड सुरक्षा दर्शाने वाले रेखांक/खण्डीय डायग्राम

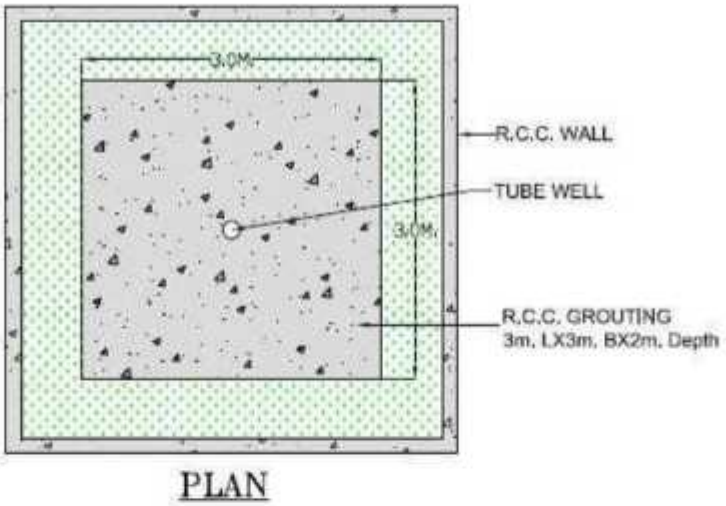

PLAN

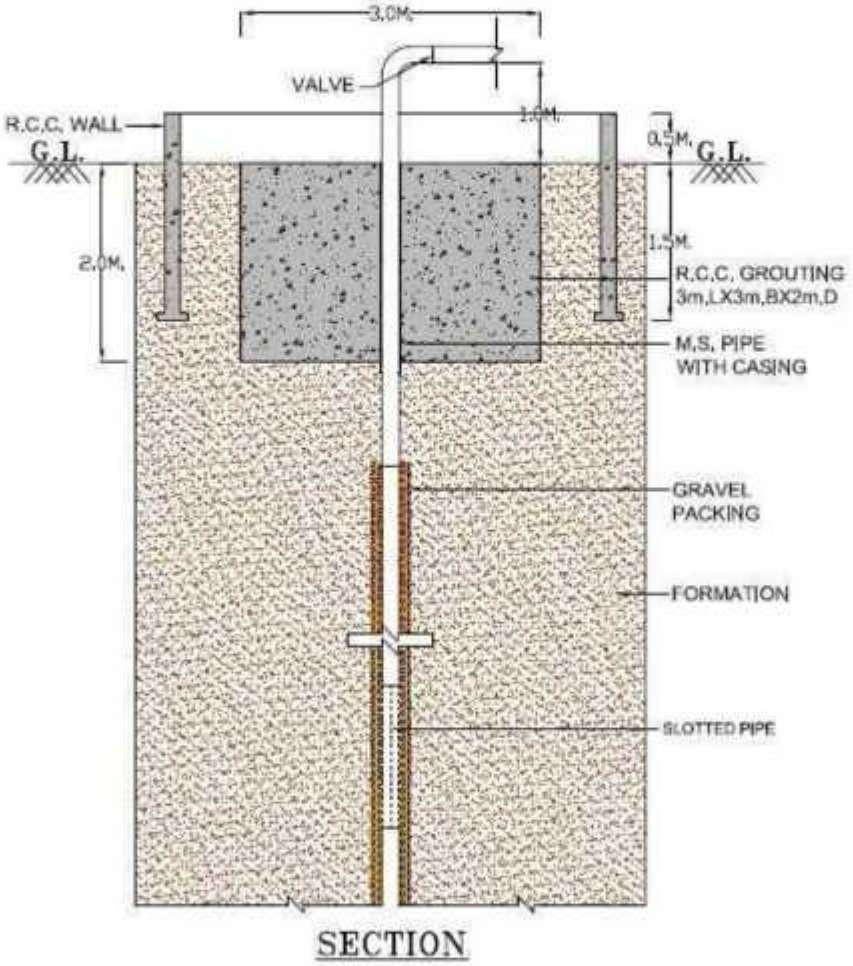

SECTION

वेलहेड सुरक्षा दर्शाने वाले रेखांक/खण्डीय डायग्राम

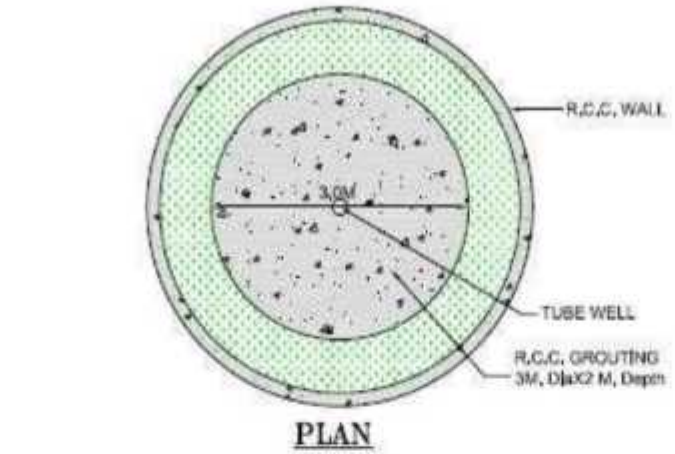

PLAN

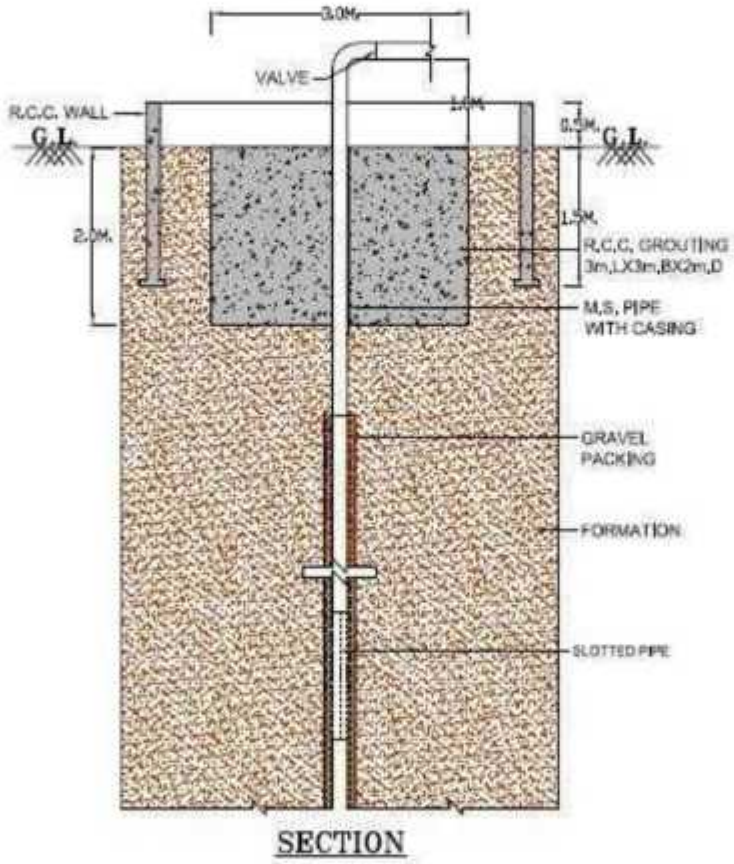

SECTION

परिशिष्ट–चार

उद्योगों के लिए भू–जल निष्कर्षण की अनुमति प्राप्त करने के लिए हाइड्रो–जियोलॉजिकल रिपोर्ट की रूपरेखा

1. परियोजना क्षेत्र का सीमांकन करते हुए स्थल विवरण, निर्देशांक, गूगल/टोपोशीट मानचित्र आदि देते हुए प्रस्तावित परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी।
2. परियोजना क्षेत्र में और उसके आस–पास भू–जल की स्थिति, जिसमें जल स्तर और गुणवत्ता डेटा एवं मानचित्रों के साथ–साथ गुणवत्ता संबंधी मुद्दे, यदि कोई हो, भी शामिल हैं। खदानों के मामले में, कोर और बफर जोन दोनों में भू–जल की स्थिति का वर्णन किया जाना चाहिए।
3. निर्मित किये जाने के लिये प्रस्तावित ट्यूबवेल/बोरवेल का विवरण। इसमें ड्रिलिंग की गहराई, व्यास, अस्थायी लिथोलॉजिकल लॉग, कम किए जाने वाले पंप का विवरण, पंप की एच.पी., ट्यूबवेल/बोरवेल आदि का अस्थायी स्त्राव, योजना/मानचित्र पर स्थानों को चिह्नित स्थल, प्रस्तावित पीजोमीटर का स्थान शामिल है।
4. खदानों के मामले में अनुमोदित खदान योजना और खदान/अधोसंरचना जल निकासी परियोजनाओं के मामले में विस्तृत जल डी–वाटरिंग योजना।
5. खनन/अधोसंरचना जल डी–वाटरिंग परियोजनाओं के मामले में, पंप किए गए पानी का प्रस्तावित उपयोग।
6. किसी भी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रस्तावित जोखिमों और प्रस्तावित प्रबंधन रणनीतियों को उजागर करते हुए, परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास भू–जल व्यवस्था पर प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन।
7. खारे जल डी–वाटरिंग करने वाले उद्योगों द्वारा अपशिष्ट जल के निपटान के लिए प्रस्तावित उपाय।
8. जल संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले उपाय, जिसमें पुनर्चक्रण, पुनःउपयोग, उपचार आदि शामिल हैं। इसमें फर्म द्वारा अपनाए जाने वाले जल संतुलन चार्ट के साथ–साथ अपनाई जाने वाली जल संरक्षण विधियों का विवरण भी शामिल है।
   - परियोजना के भीतर मौजूद/प्रस्तावित सीवेज उपचार संयंत्रों/प्रवाह उपचार संयंत्रों/संयुक्त प्रवाह उपचार संयंत्रों की क्षमता और प्रवाह चार्ट के साथ संक्षिप्त विवरण।
   - भू–जल के बचाव/उपयोग को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले जल संरक्षण उपायों का विवरण।
   - विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए पानी के उपयोग को दर्शाने वाला कुल जल संतुलन चार्ट।
9. परियोजना से संबंधित कोई अन्य विवरण।

परिशिष्ट–पांच

भू–जल स्थितियों पर रिपोर्ट का प्रारूप
(खनन परियोजनाओं के लिए)

परिचय
परियोजना विवरण

पृष्ठभूमि

उद्देश्य और व्यापकता

क्षेत्रीय सेटिंग

स्थान

भूमि उपयोग

जलवायु

स्थलाकृति और जल निकासी

भूविज्ञान–क्षेत्रीय एवं स्थानीय

सामान्य जलविज्ञान (जलभृत प्रकार, जलभृत गहराई, दोहन क्षेत्र आदि)

भू–जल की स्थिति (कोर और बफर जोन में)

जल स्तर में स्थानिक और लौकिक भिन्नताएँ, भू–जल गुणवत्ता (उथला और गहरा जलभृत)

स्थानीय भू–जल पर भू–जल निष्कर्षण का प्रभाव

कुओं की निगरानी में जल स्तर/पीजोमीटर का हाइड्रोग्राफ

ऐतिहासिक जल स्तर का रुझान विश्लेषण, फ्लो नेट विश्लेषण (भू–जल प्रवाह निदेशन) अनुमोदित खदान योजना निष्कर्षों के अनुसार वर्षवार/बेंच वार खदान डी–वाटरिंग की गणना

परिशिष्ट–छः

अधोसंरचना परियोजनाओं की सांकेतिक सूची

व्यावसायिक भवनों सहित आवासीय टाउनशिप
कार्यालय भवन
विद्यालय
कॉलेज
विश्वविद्यालय
विशेष आर्थिक क्षेत्र
मेट्रो स्टेशन
रेलवे स्टेशन
बस डिपो
हवाईअड्डा
बंदरगाह
राजमार्ग अवसंरचना
अग्निशमन केंद्र
गोदाम
बिजनेस प्लाजा
मॉल और मल्टीप्लेक्स
अस्पताल
नर्सिंग होम
रिसार्ट
होटल/रेस्तरां/फूड प्लाजा
अवकाश गृह/अतिथि गृह/छात्रावास
बैंक्वेट हॉल/मैरिज गार्डन
आईटी कॉम्प्लेक्स
लॉजिस्टिक एवं कार्गो
क्लब
व्यापार केंद्र/कृषि बाजार

स्थल–विशिष्ट अधोसंरचना परियोजनाओं की सांकेतिक सूची

सं. क्र.	अधोसंरचना परियोजनाएं
1.	विशेष आर्थिक क्षेत्र
2.	मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन एवं बस डिपो
3.	हवाई अड्डा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक, कार्गो और गोदाम
4.	राजमार्ग अवसंरचना
5.	अग्निशमन केंद्र
6.	अस्पताल एवं नर्सिंग होम

7.	शैक्षणिक संस्थान जिसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र/कौशल विकास केंद्र शामिल है

टीपः– 1. भू–जल उपयोग के लिए अनुमति की आवश्यकता में, पेयजल/घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता भी शामिल हो सकेगी।

2. स्थल विशिष्ट अर्ध–संकटग्रस्त, संकटग्रस्त और अति–दोहित क्षेत्र को संदर्भित करता है।

परिशिष्ट–सात

त्यक्त बोरवेलों और ट्यूबवेलों में गिरने के कारण छोटे बच्चों की घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों के संबंध में 2009 की सिविल रिट याचिका 36 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

संदर्भः त्यक्त बोरवेलों और ट्यूबवेलों में गिरने से छोटे बच्चों की घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय

भारत संघ और अन्य उत्तरदाता(ओं)

आदेश

इस न्यायालय द्वारा 11 फरवरी, 2010 के आदेश के तहत अपेक्षित दिशानिर्देश जारी करने के बाद, मामूली संशोधनों के अध्यधीन, वर्तमान रिट याचिका में कुछ भी नहीं बचा है।

वह संशोधन निम्नानुसार हैः

(एक) भूमि/परिसर के मालिक को, बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों, अर्थात् जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/ग्राम पंचायत के सरपंच/किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी/भू–जल विभाग/लोक स्वास्थ्य/नगरपालिक निगम के संबंधित अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को बोरवेल/ट्यूबवेल के निर्माण के बारे में लिखित रूप में सूचित करना होगा।

(दो) सभी ड्रिलिंग एजेंसियों, अर्थात् सरकारी/अर्द्धसरकारी, निजी आदि का, जिला प्रशासन/वैधानिक प्राधिकरण, जहां भी लागू हो, से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(तीन)निम्नलिखित विवरण के साथ कुएं के पास निर्माण के समय साइनबोर्ड का निर्माणः –

(क) कुएं के निर्माण/पुनर्वास के समय ड्रिलिंग एजेंसी का पूरा पता

(ख) उपयोगकर्ता एजेंसी/कुएं के मालिक का पूरा पता

(चार) निर्माण के दौरान कुएं के चारों ओर कांटेदार तार की बाड़ या कोई अन्य उपयुक्त अवरोध खड़ा करना

(पांच) कुएं के आवरण के चारों ओर 0.50 X 0.50 X 0.60 मीटर (भू– स्तर से 0.30 मीटर ऊपर और भू–स्तर से 0.30 मीटर नीचे) मापने वाले सीमेंट/कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण

(छः) स्टील प्लेट को वेल्डिंग करके या बोल्ट और नट के साथ केसिंग पाइप पर एक मजबूत कैप लगाकर वेल असेंबली की कैपिंग

(सात) पंप की मरम्मत के मामले में, ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए

(आठ) कार्य पूरा होने के बाद मिट्टी के गड्डों और नालियों को भरना

(नौ) नीचे से भू–स्तर तक मिट्टी/रेत/पत्थर/कंकड़/ड्रिल कटिंग आदि द्वारा त्यक्त बोरवेलों को भरना

(दस) किसी विशेष स्थान पर ड्रिलिंग कार्य पूरा होने पर, भूमि की स्थिति ड्रिलिंग शुरू होने से पहले की तरह पुनर्स्थापित की जानी है

(ग्यारह) जिला कलेक्टर को यह सत्यापित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है और संबंधित राज्य/केंद्र सरकार एजेंसियों के माध्यम से बोरवेल/ट्यूबवेल की स्थिति के बारे में उचित निगरानी जांच की जा रही है

(बारह) खोदे गए बोरवेलों/ट्यूबवेलों की जिला/ब्लॉक/ग्रामवार स्थिति अर्थात् उपयोग में आने वाले कुओं की संख्या, त्यक्त बोरवेल/खुले पाए गए ट्यूबवेलों की संख्या, भू–स्तर तक उचित रूप से भरे गए त्यक्त बोरवेलों/ट्यूबवेलों की संख्या और भू– स्तर तक भरे जाने वाले त्यक्त बोरवेलों/ट्यूबवेलों की शेष संख्या को जिला स्तर पर बनाए रखा जाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, उपरोक्त की निगरानी ग्राम सरपंच और कृषि विभाग के कार्यकारी के माध्यम से की जानी है।

शहरी क्षेत्रों के मामले में, उपरोक्त की निगरानी संबंधित भू–जल /लोक स्वास्थ्य/नगरपालिक निगम आदि विभाग के कनिष्ठ अभियंता और कार्यकारी के माध्यम से की जानी है।

(तेरह) यदि किसी भी स्तर पर बोरवेल/ट्यूबवेल को 'त्याग' कर दिया जाता है, तो उपरोक्त एजेंसियों द्वारा संबंधित भू–जल /लोक स्वास्थ्य/नगरपालिक निगम विभाग से /निजी ठेकेदार आदि से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि 'त्यक्त' बोरवेल/ट्यूबवेल, भू–स्तर तक उचित रूप से भरा हुआ है। त्यक्त कुओं का यादृच्छिक निरीक्षण भी संबंधित एजेंसी/विभाग के कार्यकारी द्वारा किया जाना है। उपरोक्त ऐसे सभी आंकड़ों की जानकारी, राज्य के जिला कलेक्टर/खंड विकास कार्यालय में संधारित की जानी है।

हमें सूचित किया गया है कि प्रचार–प्रसार से संबंधित 11 फरवरी, 2010 के पूर्व आदेश के अंतिम पैराग्राफ का विधिवत अनुपालन किया गया है।

उपरोक्त के अधीन, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

.....सीजेआई.

(एस.एच कपाड़िया)

.....जे

(के.एस. राधाकृष्णन)

.....जे

(स्वतंत्र कुमार)

नई दिल्ली,

परिशिष्ट–आठ

उद्योगों द्वारा जल अंकेक्षण (स्रोत – सीआईआई)

जल अंकेक्षण, जल निष्कर्षण या उपचार के स्थल से, वितरण प्रणाली के माध्यम से और उन क्षेत्रों में, जहां इसका उपयोग किया जाता है और अंत में छोड़ा जाता है, जल के प्रवाह को मापकर उद्देश्यपूर्ण रूप से जल संतुलन प्राप्त करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। जल अंकेक्षण करने में जल संतुलन, जल उपयोग की गणना करना और जल बचाने के तरीकों की पहचान करना शामिल है।

जल अंकेक्षण में, प्रारंभिक जल सर्वेक्षण और विस्तृत जल अंकेक्षण शामिल है। प्रारंभिक जल सर्वेक्षण, संयंत्र की गतिविधियों, जल की खपत और जल के स्त्राव पैटर्न और जल की बिलिंग, दरों और जल उपकर के संबंध में पृष्ठभूमि जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। उद्योग से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा के विश्लेषण के बाद, विस्तृत जल अंकेक्षण किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

- सुविधा प्रबंधक और कर्मियों के साथ स्थल पर प्रशिक्षण और चर्चा
- जल प्रणाली विश्लेषण
- बेसलाइन जल मानचित्र की मात्रा का निर्धारण
- दबाव और प्रवाह मीटर और विभिन्न अन्य उपकरणों का उपयोग करके निगरानी और माप
- अक्षमताओं और स्त्राव की मात्रा का निर्धारण
- जल गुणवत्ता भार और स्त्राव की मात्रा का निर्धारण
- प्रवाह और गुणवत्ता मापदंडों में परिवर्तनशीलता की मात्रा का निर्धारण
- जल उपचार और पुनःउपयोग या प्रत्यक्ष उपयोग के लिए रणनीतियाँ

अंततः एक विस्तृत जल संतुलन विकसित हो गया है। विभिन्न उपयोगकर्ता क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता की आवश्यकता को मैप किया जाता है, जो 'पुनर्चक्रण' और 'पुनःउपयोग' के अवसरों को विकसित करने में मदद करता है।

विस्तृत जल अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जल की खपत और अपशिष्ट जल उत्पादन पद्धति
- विशिष्ट जल उपयोग एवं संरक्षण

- सुविधा का पूर्ण जल संतुलन
- जल बचत के अवसर
- प्रस्तावों को क्रियान्वित करने की विधि
- पूर्ण विवरण और आंकड़े
- अपेक्षित निवेश

उद्योग जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:

- जल बजट के लिए मानदंडों की स्थापना
- जल की खपत कम करने के लिए औद्योगिक प्रक्रिया का आधुनिकीकरण
- री–सर्क्युलेटिंग कूलिंग सिस्टम के साथ जल का पुनर्चक्रण
- ओजोनेशन शीतलन जल दृष्टिकोण, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक रासायनिक उपचार की तुलना में गिराव में पांच गुना कमी आ सकती है
- कुछ प्लेनम फ्लश को समाप्त करके, निरंतर प्रवाह से आंतरायिक प्रवाह प्रणाली में परिवर्तित करके और उपयोग पर नियंत्रण में सुधार करके गैर–आयनीकृत पानी के पुनःउपयोग में कमी
- बागवानी के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग
- निपटान के मानदंडों का पालन करने के लिए अपशिष्टों का उचित प्रसंस्करण।

परिशिष्ट–नौ

जल गहन उद्योगों की सूची

पैकेज्ड पेयजल

मिनरल वाटर प्लांट

चमड़े का कारखाना

आसवनी

शराब की भट्ठी

शीतल पेय

कागज एवं लुगदी

उर्वरक

कपड़ा रंगाई

कपड़ा छपाई

कपड़ा कताई

चीनी

डेयरी उत्पाद

वाटर पार्क एवं मनोरंजन केंद्र

बर्फ निर्माण इकाइयाँ

खोखली ईंटें एवं टाइल्स विनिर्माण

क्रशर इकाइयाँ एवं रेत विनिर्माण

तैयार किया गया कंक्रीट

मिट्टी प्रसंस्करण इकाइयाँ

वाहन सेवा स्टेशन

परिशिष्ट–दस

ट्यूब/बोरवेल के पास साइनबोर्ड के लिए मानक प्रारूप

1) स्वामी का नाम ————————————————————————————

2) संपर्क नंबर ————————————————————————

3) पता – ग्राम ——————————————————————

ब्लॉक————————————————जिला ——————————

4)खसरा नंबर/पटवारी हल्का नंबर ——————————————————————

5) ड्रिलिंग एजेंसी का नाम ————————————————————————

6) संपर्क नंबर ——————————————————————————

7) ड्रिलिंग तिथि ————————————————————————

8) ट्यूब/बोरवेल का विवरण

क) कुल गहराई———————————————————————————

ख) डाय. ——————————————————————————

ग) ट्यूब/बोरवेल की स्थिति – सक्रिय/निष्क्रिय/त्यक्त

परिशिष्ट–ग्यारह

जिला/ब्लॉक/ग्रामवार बोरवेल/ट्यूबवेल की स्थिति के लिए मानक प्रारूप रजिस्टर

स. क.	जिला/ब्लॉक /ग्राम	खोदे गए बोरवेलों/ ट्यूबवेलों की संख्या	उपयोग में आने वाले बोरवेलों /ट्यूबवेलों की संख्या	त्यक्त बोरवेलों /खुले पाए गए ट्यूबवेलों की संख्या	उचित रूप से भरे गए परित्यक्त बोरवेलों/ ट्यूबवेलों की संख्या	जमीनी स्तर तक त्यक्त बोरवेलों/ ट्यूबवेलों की शेष संख्या जिसको जमीनी स्तर तक भरा जायेगा

परिशिष्ट–बारह

ट्यूब/बोरवेल के विवरण की रिपोर्टिंग और अपलोडिंग के लिए मानक प्रारूप

1) स्वामी का नाम ——————————————————

2) संपर्क नंबर ——————————————————

3) पता – गांव ——————————————————

ब्लॉक——————————————जिला ——————————(छ.ग.)

4) खसरा नंबर/पटवारी हल्का नंबर ——————————————

5) ड्रिलिंग एजेंसी का नाम ——————————————

6) संपर्क नंबर ——————————————

7) ड्रिलिंग तिथि ——————————————

8) ट्यूब/बोरवेल का विवरण

क) कुल गहराई——————————————

बी) डाय.——————————————

ग) ट्यूब/बोरवेल की स्थिति – सक्रिय/निष्क्रिय/त्यक्त

स्वामी द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य एवं सही हैं और निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। मैं समझता हूं कि यदि छानबीन और जांच के किसी भी प्रक्रम में या उसके बाद कोई भी, कोई जानकारी और विवरण गलत पाया जाता है, तो मैं जिम्मेदार होउंगा।

तारीख : ——————

स्वामी के हस्ताक्षर एवं नाम

स. क.	प्ररुप	आवेदन के प्रकार/विषय
1	प्ररुप–1 (क)	मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता)
2	प्ररुप–1 (ख)	कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा जारी एन.ओ.सी. वाले वाणिज्यिक या औद्योगिक या अवसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता)
3	प्ररुप–1 (ग)	मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (भू–जल का घरेलू या कृषि उपयोगकर्ता)
4	प्ररुप–1 (घ)	कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (घरेलू या कृषि उपयोग के लिए भू–जल के भावी उपयोगकर्ता)
5	प्ररुप–2 (क)	पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र (अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता के पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन)
6	प्ररुप–2 (ख)	पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र (गैर–अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक /सामूहिक उपयोगकर्ता के पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन)
7	प्ररुप–3 (क)	मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र (औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता)
8	प्ररुप–3 (ख)	मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र (केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण या जल संसाधन विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. वाले औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता)
9	प्ररुप–3 (ग)	मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र (घरेलू एवं कृषि उपयोगकर्ता)
10	प्ररुप–4 (क)	कुएं के पंजीकरण हेतु आवेदन की अस्वीकृति–पत्र
11	प्ररुप–4 (ख)	किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता द्वारा नये नलकूप के निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र
12	प्ररुप–4 (ग)	अधिसूचित/गैर–अधिसूचित क्षेत्र हेतु किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक / अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता द्वारा कुओं के निर्माण के लिए अनुमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र।

13	प्ररुप–4 (घ)	औद्योगिक / वाणिज्यिक / अधोसंरचनात्मक / सामूहिक उपयोगकर्ता को नये कुओं के निर्माण के लिये अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र।
14	प्ररुप–4 (ड.)	औद्योगिक / वाणिज्यिक / अधोसंरचनात्मक / सामूहिक उपयोगकर्ता को नये कुओं के निर्माण के लिये अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र
15	प्ररुप–4 (च)	कुएं के निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन की अस्वीकृति पत्र
16	प्ररुप–5 (क)	नई ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (नई ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण)
17	प्ररुप–5 (ख)	मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र (मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण)
18	प्ररुप–6 (क)	नई ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र
19	प्ररुप–6 (ख)	मौजुदा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र
20	प्ररुप–7	ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण हेतु आवेदन का रद्दकरण पत्र

प्ररुप–1 (क)

मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9(1))

श्री /श्रीमति :

बुक सं0–

आवेदन पत्र क्रमांक :–

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0/होल्डिंग सं0

3. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएं का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(एक) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो):

(दो) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(तीन) आवास पाइप और खाली पाइप की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(चार) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(एक) डग वेल का व्यास :

(दो) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा/पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि हाँ हो तो विवरण दें।

हाँ	नहीं

4. मौजूदा/प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरण :

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप की क्षमता ($मी^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर/डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

5. कुएं की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है :
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

6. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें (उद्योगों के लिए), यदि,–

(क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एनओसी प्रदान किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :

(ख) हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)
यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

टीपः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

8. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान –

(एक) रूपये :

(दो) वाउचर सं0 :

(तीन) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/उप–ट्रेजरी/पी.एस.यू. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है –

(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) –

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता हूं, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

टीप :

1. प्रत्येक व्यक्ति के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें मद कमांक 2(अ), (ब) और (स) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ

प्ररुप–1 (ख)

मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा जारी एन.ओ.सी. वाले वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9(1))

श्री /श्रीमति :

बुक सं0–

आवेदन पत्र क्रमांक :–

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0/होल्डिंग सं0

3. मौजूदा कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएं का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(एक) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो):

(दो) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(तीन) आवास पाइप और खाली पाइप की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(चार) छलनी की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(एक) डग वेल का व्यास :

(दा) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा/पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि हाँ हो तो विवरण दें।

हाँ	नहीं

4. मौजूदा/प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरण :

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप की क्षमता ($मी^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर/डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

5. कुएं की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उददेश्य :
(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) वार्षिक चलने का समय :
(ग) दैनिक चलने का समय :
(घ) क्या क्षेत्र को पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्राप्त होती है :
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

6. कृपया केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण या भू–जल विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. का विवरण प्रस्तुत करें।
एन.ओ.सी. द्वारा जारी (कृपया टिक करें)
केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण ☐
जल संसाधन विभाग द्वारा ☐

एन0ओ0सी निर्गत करने का दिनांक –
एन0ओ0सी समाप्त होने का दिनांक –

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

8. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें (उद्योगों के लिए), यदि,–
(क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
(ख) हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)
यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।
टीपः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

9. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान –
(एक) रूपये :
(दो) वाउचर सं0 :
(तीन) दिनांक :
(ख) ट्रेजरी/उप– ट्रेजरी/पी.एस.यू. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है –
(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) –

10. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद, किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता हूं, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

टीप :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें मद क्रमांक 2(अ), (ब) और (स) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ ☐

प्ररुप–1 (ग)

मौजूदा कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(भू–जल का घरेलू या कृषि उपयोगकर्ता)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9(2))

श्री /श्रीमति :

बुक सं0–

आवेदन पत्र कमांक

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा/प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0/होल्डिंग सं0

3. मौजूदा कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएं का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(एक) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(दो) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(तीन) आवास पाइप और खाली पाइप की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(चार) छलनी की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(एक) डग वेल का व्यास :

(दो) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा/पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि हाँ हो तो विवरण दें।

हाँ	नहीं

4. मौजूदा/प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरण :

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप की क्षमता ($मी^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

5. कुएं की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उददेश्य : (सिंचाई/घरेलू/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) पारम्परिक प्रतिभूवी क्षेत्र हे0 में (सिंचाई कुओं के लिये) :

(ग) परम्परागत साझेदार क्षेत्र स्वामी ऊपर प्रदर्शित 5(ख) के अनुसार :

(घ) उपरोक्त 5 (ख) में इंगित क्षेत्र में, विभिन्न फसल मौसमों में कुएं द्वारा सिंचित क्षेत्र
(एक) खरीफ– हे0
(दो) रबी– हे0
(तीन) जायद– हे0

(ङ) कुल वार्षिक चलने का समय (सिंचाई के मामले में) :
(च) घरेलू उपयोग के मामले में दैनिक चलने का समय :

6. क्या आवासीय परिसर का भूखंड का आकार 300 वर्ग मीटर से अधिक है? (केवल घरेलू उपयोगकर्ता के लिए) : हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा।

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता हूं, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

टीप :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए 'N.A.' लिखे।

6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दर्शाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ

प्ररुप–1 (घ)

कुएं के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

(घरेलू या कृषि उपयोग के लिए भू–जल के भावी उपयोगकर्ता)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9(2))

श्री /श्रीमति :

बुक सं0–

आवेदन पत्र क्रमांक :–

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. प्रस्तावित कुओं के स्थान विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0/होल्डिंग सं0

3. प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएं का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(एक) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(दो) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(तीन) आवास पाइप और खाली पाइप की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(चार) छलनी की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(एक) डग वेल का व्यास :

(दो) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा/पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि हाँ हो तो विवरण दें।

हाँ	नहीं

4. प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस के विवरण :

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप की क्षमता ($मी^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

5. कुएं की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उददेश्य : (सिंचाई/घरेलू/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) पारम्परिक प्रतिभूवी क्षेत्र हे0 में (सिंचाई कुओं के लिये) :

(ग) परम्परागत साझेदार क्षेत्र स्वामी ऊपर प्रदर्शित 5(ख) के अनुसार :

(घ) उपरोक्त 5 (ख) में इंगित क्षेत्र में, विभिन्न फसल मौसमों में कुएं द्वारा सिंचित क्षेत्र
(एक) खरीफ– हे0
(दो) रबी– हे0
(तीन) जायद– हे0

(ङ) कुल वार्षिक चलने का समय (सिंचाई के मामले में) :
(च) घरेलू उपयोग के मामले में दैनिक चलने का समय :

6. क्या आवासीय परिसर का भूखंड का आकार 300 वर्ग मीटर से अधिक है? (केवल घरेलू उपयोगकर्ता के लिए) : हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

टीप :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए 'N.A.' लिखे।

6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दर्शाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ

प्ररुप–2 (क)

पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

(अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक या औद्योगिक या अधोसंरचनात्मक या सामूहिक उपयोगकर्ता के पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9 (1))

श्री /श्रीमति :

बुक सं0–

आवेदन पत्र कमांक :–

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा कुओं के पंजीकरण का विवरण :

(अ) पंजीकरण संख्या –

(ब) पंजीकरण का दिनांक –

3. मौजूदा पंजीकृत कुओं के स्थान का विवरण :

(क) जिला :

(ख) विकास खण्ड :

(ग) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0/होल्डिंग सं0

4. मौजूदा पंजीकृत कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएं का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(एक) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(दो) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(तीन) आवास पाइप और खाली पाइप की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(चार) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(एक) डग वेल का व्यास :

(दो) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा/पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि हाँ हो तो विवरण दें।

हाँ	नहीं

5. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरण :

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप की क्षमता ($मी^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

6. कुएं की उपयोगिता के विवरण :
   (क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
   (औद्योगिक / वाणिज्यिक / अधोसंरचनात्मक / सामूहिक उपयोग / अन्य (कृपया टिक करें)
   (ख) वार्षिक चलने का समय :
   (ग) दैनिक चलने का समय :
   (घ) क्या क्षेत्र को पाइप्ड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति होती है :
   हाँ / नहीं (कृपया टिक करें)

7. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का विवरण :

8. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का कारण :

9. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
   हाँ / नहीं (कृपया टिक करें)

10. कृपया अपशिष्ट जल / अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें (उद्योगों के लिए), यदि,
   (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
   (ख) हाँ / नहीं (कृपया टिक करें)
   यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।
   टीपः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

11. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
   (क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान –
   (एक) रूपये :
   (दो) वाउचर सं0 :
   (तीन) दिनांक :
   (ख) ट्रेजरी / उप–ट्रेजरी / पी.एस.यू. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है –
   (ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) –

12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता हूं, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ

टीप :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें मद 3(अ), (ब) और (स) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ

प्ररुप–2 (ख)

पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

(गैर–अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता के पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9(1))

श्री /श्रीमति :

बुक सं0–

आवेदन पत्र क्रमांक :–

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. मौजूदा कुओं के पंजीकरण का विवरण :

(अ) पंजीकरण संख्या –

(ब) पंजीकरण का दिनांक –

3. मौजूदा पंजीकृत कुओं के स्थान विवरण :

(क) जिला :

(ख) विकास खण्ड :

(ग) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0/होल्डिंग सं0

4. मौजूदा पंजीकृत कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएं का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(एक) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(दो) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(तीन) आवास पाइप और खाली पाइप की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(चार) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले में:

(एक) डग वेल का व्यास :

(दो) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा/पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि हाँ हो तो विवरण दें।

हाँ	नहीं

5. मौजूदा पंपिंग डिवाइस के विवरण :

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ख) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप की क्षमता ($मी^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर / डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

6. कुएं की उपयोगिता के विवरण :
   (क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
   (औद्योगिक / वाणिज्यिक / अधोसंरचनात्मक / सामूहिक उपयोग / अन्य (कृपया टिक करें)
   (ख) वार्षिक चलने का समय :
   (ग) दैनिक चलने का समय :
   (घ) क्या क्षेत्र को पाइप्ड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति होती है :
   हाँ / नहीं (कृपया टिक करें)

7. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का विवरण :
8. पंजीकृत कुओं में संशोधन या परिवर्तन का कारण :

9. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
   हाँ / नहीं (कृपया टिक करें)

10. कृपया अपशिष्ट जल / अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें (उद्योगों के लिए), यदि,–
   (क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :
   (ख) हाँ / नहीं (कृपया टिक करें)
   यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।
   टीपः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

11. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
   (क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान –
   (एक) रूपये :
   (दो) वाउचर सं0 :
   (तीन) दिनांक :
   (ख) ट्रेजरी / उप– ट्रेजरी / पी.एस.यू. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है –
   (ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) –

12. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता है, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

टीप :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दिखाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) मौजूदा कुएं, कमांड क्षेत्र और मौजूदा कुओं का मानचित्र, जिन्हें मद 3(अ), (ब) और (स) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ ☐

प्ररुप–3 (क)

मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता)

(जिला भू जल प्रबंधन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9 (1))

पंजीकरण सं0 .....

1. (क) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमति.....
   (ख) पिता का नाम : .....
   (ग) आवेदक का पता : .....
   (घ) आवेदन पत्र का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि : .....
   (ङ) हस्ताक्षर नमूना : .....

2. स्थान का विवरण :
   (क) जिला :
   (ख) विकास खण्ड :
   (ग) प्लाट संख्या :
   (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0

3. मौजूदा कुएं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
   (क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :
   (ख) कुएँ का प्रकार :
   (ग) कुएँ की गहराई (मी0) :
   (घ) कुएँ का उद्देश्य :
   (ड.) निर्माण आकार (नलकूप के लिए)
   (च) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिए)
   (छ) व्यास (डगवेल के लिये)
   (ज) उपयोग में लाए जा रहे पंप का प्रकार :
   (झ) पम्प का एच0पी0 :
   (ञ) संचालन उपकरण :
   (ट) निष्कर्षण की दर ($मी^3$/घण्टे)

(ठ) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :–

(1) निकाले गए भू–जल की मात्रा को मापने और रिकार्ड करने के उद्देष्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकार्ड करता है, और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरित साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। सरल क्र. 3 (ट) में दिखाए गए कुएं से भू–जल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।

(2) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भू–जल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(3) मौजूदा कुओं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामलें में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(4) इस प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 2 और 3 में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निष्कर्षण की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भू–जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(5) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(6) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) प्रत्येक भू–जल उपयोगकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि अपने भू–जल निष्कर्षण संरचना को डिजिटल फ्लोमीटर से सुसज्जित करें ।

(8) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :–
पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचलित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का

नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार है :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित/ निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भू–जल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भू–जल स्तर का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले के साथ–साथ गहरे भू–जल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटिकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचलित जल स्तर रिकार्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचलित जल स्तर रिकार्डर की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
- जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ के लिए पीजोमीटर को, हाइड्रोग्राफ मॉनिटिरिंग सिस्टम में लाने के लिये और इसके सत्यापन के लिए निर्देशांक, कम स्तर (अर्थात् स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टेप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- प्री–मानसून (मई/जून) और पोस्ट मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भू–जल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
- स्थान, पाईजोमीटर/ ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ ट्यूबवेल की गहराई ओर जोन टैप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(9) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

कार्यालय की मोहर

प्ररुप–3 (ख)

मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण द्वारा या जल संसाधन विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. वाले औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता)

(जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9 (1))

पंजीकरण सं0 .....

1. (क) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमति.....
   (ख) पिता का नाम : .....
   (ग) आवेदक का पता : .....
   (घ) आवेदन पत्र का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि : .....
   (ङ) हस्ताक्षर नमूना : .....
2. स्थान का विवरण :
   (क) जिला :
   (ख) विकास खण्ड :
   (ग) प्लाट संख्या :
   (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0
3. मौजूदा कुएं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
   (क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :
   (ख) कुएँ का प्रकार :
   (ग) कुएँ की गहराई (मी0) :
   (घ) कुएँ का उद्देश्य :
   (ड.) निर्माण आकार (नलकूप के लिए)
   (च) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिए)
   (छ) व्यास (डगवेल के लिये)
   (ज) उपयोग में लाए जा रहे पम्प का प्रकार :
   (झ) पम्प का एच0पी0 :
   (ञ) संचालन उपकरण :

(ट) निकालने की दर (मी^{3}/घण्टे)

(ठ) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर
और पदनाम

शर्तें :–

(1) निष्कर्षण किये गये भू–जल की मात्रा को मापने और रिकार्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने पानी के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकार्ड करता है, और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरित साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। सरल कमांक 3 (ट) में दिखाए गए कुएं से भू–जल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।

(2) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भू–जल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(3) मौजूदा कुओं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामलें में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(4) इस प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 2 और 3 में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निकासी की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन जिला भू–जल प्रबंधन परिषद की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(5) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(6) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) प्रत्येक भू–जल उपयोगकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि अपने भू–जल निष्कर्षण संरचना को डिजिटल फ्लोमीटर से सुसज्जित करें ।

(8) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :–
पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचलित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके जल के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो जल के गुणवत्ता परीक्षण के लिए जल का

नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार है :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित/निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भू–जल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भू–जल स्तर का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले के साथ–साथ गहरे भू–जल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटिकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचलित जल स्तर रिकार्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचलित जल स्तर रिकार्डर की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छः घंटे के लिए रोक दी गई है।
- जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ के लिए पीजोमीटर को, हाइड्रोग्राफ मॉनिटिरिंग सिस्टम में लाने के लिये और इसके सत्यापन के लिए निर्देशांक, कम स्तर (अर्थात् स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टेप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- प्री–मानसून (मई/जून) और पोस्ट मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भू–जल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
- स्थान, पाईजोमीटर/ ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पाईजोमीटर/ ट्यूबवेल की गहराई ओर जोन टैप किए जाने के लिए पाईजोमीटर/ ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(9) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

कार्यालय की मोहर

प्ररुप–3 (ग)

मौजूदा/नये कुओं के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

(घरेलू एवं कृषि भू–जल उपयोगकर्ता)

(नगरीय स्थानीय निकाय की समिति/विकास खण्ड स्तरीय भू–जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9 (2))

पंजीकरण सं0 .....

1. (क) आवेदक का नाम : श्री/श्रीमति.....

   (ख) पिता का नाम : .....

   (ग) आवेदक का पता : .....

   (घ) आवेदन पत्र का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि : .....

   (ङ) हस्ताक्षर नमूना : .....

2. स्थान का विवरण :

   (क) जिला :

   (ख) विकास खण्ड :

   (ग) प्लाट संख्या :

   (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0

3. मौजूदा कुएं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :

   (क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

   (ख) कुएँ का प्रकार :

   (ग) कुएँ की गहराई (मी0) :

   (घ) कुएँ का उद्देश्य :

   (ड.) निर्माण आकार (नलकूप के लिए)

   (च) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिए)

   (छ) व्यास (डगवेल के लिये)

   (ज) उपयोग में लाए जा रहे पंप का प्रकार :

   (झ) पम्प का एच0पी0 :

(ञ) संचालन उपकरण :

(ट) निकालने की दर ($मी^3$/घण्टे)

(ठ) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :

दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम

शर्तें :–

(1) जिला भू–जल प्रबंधन परिषद, अगर स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या अन्य किसी कारणों से कुओं से भू–जल के निकासी को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(2) मौजूदा कुओं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में, नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

(3) इस प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 2 और 3 में दर्शाए गए कुएं के सम्बन्ध में स्थान, डिजाइन, निष्कर्षण की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन समुचित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले लाएगा।

(4) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(5) समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

कार्यालय की मोहर

प्ररुप–4 (क)

कुएं के पंजीकरण हेतु आवेदन की अस्वीकृति–पत्र

(जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 9 (1))

संख्या : दिनांक :

सेवा में,

श्री / श्रीमति.....

विषय : कुएं के पंजीकरण के अनुदान के लिए आपके आवेदन की अस्वीकृति।

संदर्भ : आपका आवेदन संख्या : जमा करने का दिनांक :

महोदय / महोदया,

आपको सूचित करना है कि आपका आवेदन संख्या.....दिनांक..... जो कुएं के पंजीकरण के अनुदान के लिए प्रेषित किया गया है, निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है :

(1) अपूर्ण आवेदन
(2) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करना
(3) अपेक्षित आवेदन शुल्क के भुगतान में कमी
(4) आवेदन शुल्क गलत मद में जमा करने के कारण
(5) अन्य

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर

प्ररुप–4 (ख)

किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / अधोसंरचनात्मक / सामूहिक उपयोगकर्ता द्वारा नये नलकूप के निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 3 की उप–धारा (6) के खण्ड (घ) और धारा 12 के अधीन)

श्री / श्रीमति को जारी किया गया :

बुक सं0–

आवेदन पत्र कमांक :–

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष / स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. प्रस्तावित कुओं के स्थान का विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0/होल्डिंग नं0

3. प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएं का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(एक) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(दो) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(तीन) आवास पाइप और खाली पाइप की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(चार) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(एक) डग वेल का व्यास :

(दो) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा/पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि हाँ हो तो विवरण दें।

हाँ	नहीं

4. प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस का विवरण :

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंटफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ब) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप की क्षमता ($मी^3$/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर/डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

5. कुएं की उपयोगिता का विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप्ड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती है :
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

6. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें (उद्योगों के लिए) :
यदि,–

(क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :

(ख) हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)
यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

टीपः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

8. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान –

(एक) रूपये :

(दो) वाउचर सं0 :

(तीन) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/उप– ट्रेजरी/पी.एस.यू. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है –

(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) –

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता हूँ, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है।

मैं सहमत हूँ ☐

टीप :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दर्शाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) प्रस्तावित कुएं का मानचित्र, जिन्हें मद कमांक 2(अ), (ब) और (स) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ

प्ररुप–4 (ग)

अधिसूचित/गैर अधिसूचित क्षेत्र हेतु किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता द्वारा कुओं के निर्माण के लिए अनुमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 12)

श्री /श्रीमति :

बुक सं0– आवेदन पत्र कमांक :–

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष/स्त्री

(ङ) राष्ट्रीयता :

(च) आवेदक का पता :

2. प्रस्तावित कुओं के स्थान का विवरण :

(अ) जिला :

(ब) विकास खण्ड :

(स) प्लॉट नंबर/खसरा नंबर (आधार कार्ड/बिजली बिल/भूमि के स्वामित्व के लिए पते के रूप में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करें) :

(द) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0/होल्डिंग नं0

3. प्रस्तावित कुओं का विवरण :

(क) कुएं के निर्माण/स्त्रोत आने की तिथि :

(ख) कुएं का प्रकार : डग वेल/ट्यूब वेल/बोरिंग/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

(ग) कुएं की लगभग गहराई (मी0) :

(घ) ट्यूब वेल के मामले में :

(एक) आवास पाइप की अनुमानित लंबाई (मी0) और व्यास (मिमी0) (यदि कोई हो) :

(दो) छलनी की लंबाई (मीटर) और व्यास (मिमी) :

(तीन) आवास पाइप और खाली पाइप की सामाग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(चार) छलनी की सामग्रीः (पीवीसी/आयरन/जस्ती लोहा)

(ङ) डग वेल के मामले मेंः

(एक) डग वेल का व्यास :

(दो) डग वेल की संरचना का प्रकार (कृपया टिक करें) : कच्चा/पक्का

(च) क्या कुएं की पानी की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई है। यदि हाँ हो तो विवरण दें।

हाँ	नहीं

4. प्रस्तावित पंपिंग डिवाइस का विवरण :

(क) उपयोग किए जाने वाले पंप का प्रकार (कृपया टिक करें) :
(सेंट्रीफ्यूगल/सबमर्सिबल/टर्बाइन/इजेक्ट पंप, आदि)

(ब) कॉलम पाइप की लंबाई (सबमर्सिबल/टर्बाइन पंप के मामले में) :

(ग) पंप की क्षमता (मी^{3}/घंटा) :

(घ) एच0पी0

(ङ) आपरेशनल डिवाइस (कृपया टिक करें) : इलेक्ट्रिक मोटर/डीजल इंजन।

(च) विद्युतीकरण की तिथि (बिजली चलित पंप के मामले में) :

5. कुएं की उपयोगिता के विवरण :

(क) प्रस्तावित कुएं का उद्देश्य :
(औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोग/अन्य (कृपया टिक करें)

(ख) वार्षिक चलने का समय :

(ग) दैनिक चलने का समय :

(घ) क्या क्षेत्र को पाइप्ड जलापूर्ति के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त होती है :
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

6. कृपया अपशिष्ट जल/अपशिष्ट के उपचार की विधि प्रस्तुत करें (उद्योगों के लिए) :
यदि,

(क) लागू होता है, तो उल्लेख करें कि क्या छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त किया गया है, जो अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए है :

(ख) हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

यदि हाँ, उसकी प्रति संलग्न करें।

टीपः यदि आवेदक ने अपशिष्ट या अपशिष्ट जल के निर्वहन के लिए छत्तीसगढ़ प्रदूषण बोर्ड से एनओसी प्राप्त नहीं की है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।

7. क्या परिसर के भीतर वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है
हाँ/नहीं (कृपया टिक करें)

8. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :

(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान –

(एक) रूपये :

(दो) वाउचर सं0 :

(तीन) दिनांक :

(ख) ट्रेजरी/उप– ट्रेजरी/पी.एस.यू. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है –

(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) –

9. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता हूँ, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

टीप :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दर्शाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ग) प्रस्तावित कुएं का मानचित्र, जिन्हें मद क. 2(अ), (ब) और (स) में संदर्भित किया गया है।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज (जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ

प्ररुप–4 (घ)

औद्योगिक/वाणिज्यिक/अधोसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोगकर्ता को नये कुओं के लिये अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र

(जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 3 की उप–धारा (6) और धारा 12)

अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्याः
.....तक के लिए वैद्य

1. (क) आवेदक का नाम (उपभोगता) : श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री.....
   (ख) आवेदक का पता :
   (ग) किसान की श्रेणी (कृपया टिक करें) : छोटे किसान/सीमांत किसान/अन्य
   (घ) आवेदन संख्या का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि :
   (ड.) आवेदक का हस्ताक्षर नमूना :

2. स्थान का विवरण :
   (क) जिला :
   (ख) विकास खण्ड :
   (ग) प्लाट संख्या :
   (घ) नगर पालिका/निगम, वार्ड नं0/होल्डिंग नं0

3. प्रस्तावित कुएं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
   (क) कुएँ का प्रकार :
   (ख) कुएँ की गहराई (मी0) :
   (ग) कुएँ का उद्देश्य :
   (घ) निर्माण आकार (नलकूप के लिए)
   (ड.) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिए)
   (च) व्यास (डगवेल के लिये)
   (छ) उपयोग में लाए जा रहे पम्प का प्रकार :
   (ज) पम्प का एच0पी0 :
   (झ) संचालन उपकरण :
   (ञ) निकासी के दर की अधिकतम सीमा ($मी^3$/घण्टे)
   (ट) दैनिक चलने की अधिकतम सीमा
   (ठ) भू–जल के वार्षिक निकासी की अधिकतम सीमा

यह अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदक (उपयोगकर्ता) को सरल क्रमांक 2 में निर्दिष्ट स्थान पर एक कुएं के लिए अधिकृत करता है, जो भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए, जैसा कि सरल क्रमांक 3(ञ) में दिखाया गया है, घन्टे/दिन चल रहा है और सरल

क्रमांक (3ञ) में दिखाए गए अनुसार भू–जल के अधिकतम स्वीकार्य वार्षिक निष्कर्षण के लिए है। इस ओवरलीफ में कही गयी शर्तों के पालन के लिए मान्य है।

आपका आभारी,

जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम
कार्यालय की मोहर

शर्तें :–

(1) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामलें में, नया प्राधिकार प्राप्त करना होगा।

(2) इस प्रमाण पत्र के सरल क्रमांक 2 और 3 में दर्शाए गए प्रस्तावित कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निष्कर्षण की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(3) निकाले गए भू–जल की मात्रा को मापने और रिकार्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने जल के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकार्ड करता है, और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरित साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। सरल क्रमांक 3 (ञ) में दिखाए गए कुएं से भू–जल के निष्कर्षण की दर पानी के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी, यदि स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भू–जल के निष्कर्षण को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(5) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(6) प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र, जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा। आवेदक, इसकी वैधता की समाप्ति के कम से कम नब्बे दिवस के पूर्व, नये आवेदन के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(7) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) प्रत्येक भू–जल उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगा कि वह अपने भू–जल निष्कर्षण संरचना को डिजिटल फ्लो मीटर से सुसज्जित करें।

(9) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :–

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचलित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके जल के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो जल के गुणवत्ता परीक्षण के लिए जल का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार है :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित/निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भू–जल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भू–जल स्तर का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले के साथ–साथ गहरे भू–जल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटिकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दशमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचलित जल स्तर रिकार्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचलित जल स्तर रिकार्डर की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छः घंटे के लिए रोक दी गई है।
- जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ के लिए पीजोमीटर को, हाइड्रोग्राफ मॉनिटिरिंग सिस्टम में लाने के लिये और इसके सत्यापन के लिए निर्देशांक, कम स्तर (अर्थात् स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टेप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- प्री–मानसून (मई/जून) और पोस्ट मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भू–जल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, जल संसाघन विभाग, छत्तीसगढ़, को रासायनिक विश्लेषण के लिए।
- स्थान, पीजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पीजोमीटर / ट्यूबवेल की गहराई ओर जोन टैप किए जाने के लिए पीजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(10) संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

(11) यदि इस परमिट को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई विशेष जानकारी, जो किसी भी बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाई जाती है, यह परमिट रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

प्ररुप–4 (ड.)

औद्योगिक / वाणिज्यिक / अधोसंरचनात्मक / सामूहिक उपयोगकर्ता को नये कुओं के लिये अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र

(जिला भू जल प्रबंधन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्याः
.....................तक के लिए वैद्य

1. (क) आवेदक का नाम (उपभोगता) : श्री / श्रीमति.....................................पुत्र / पुत्री.................
   (ख) आवेदक का पता :
   (ग) किसान की श्रेणी (कृपया टिक करें) : छोटे किसान / सीमांत किसान / अन्य
   (घ) आवेदन संख्या का क्रमांक तथा जमा करने की तिथि :
   (ड.) आवेदक का हस्ताक्षर नमूना :

2. कृपया केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण या जल संसाधन विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. का विवरण प्रस्तुत करें।
   एन0ओ0सी0 निर्गत किया गया (कृपया टिक करें) :

   केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण ☐

   जल संसाधन विभाग ☐

   एन.ओ.सी. जारी करने की तिथि

   एन.ओ.सी. की समाप्ति की तिथि

3. स्थान का विवरण :
   (क) जिला :
   (ख) विकास खण्ड :
   (ग) प्लाट संख्या :
   (घ) नगर पालिका / निगम, वार्ड नं0 / होल्डिंग नं0

4. मौजूदा कुएं एवं पम्पिंग डिवाइस का विवरण :
   (क) कुएँ का प्रकार :
   (ख) कुएँ की गहराई (मी0) :
   (ग) कुएँ का उद्देश्य :
   (घ) निर्माण आकार (नलकूप के लिए)
   (ड.) छलनी की स्थिति (नलकूप के लिए)
   (च) व्यास (डगवेल के लिये)
   (छ) उपयोग में लाए जा रहे पम्प का प्रकार :

(ज) पम्प का एच0पी0 :
(झ) संचालन उपकरण :
(ञ) निकासी के दर की अधिकतम सीमा (मी/घण्टे)
(ट) दैनिक चलने की अधिकतम सीमा
(ठ) भू जल के वार्षिक निकासी की अधिकतम सीमा

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवेदक (उपयोगकर्ता) को सरल क. 3 में निर्दिष्ट स्थान पर एक कुएं के लिए अधिकृत करता है, जो भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए, जैसा कि सरल क. 3(ञ) में दिखाया गया है, घन्टे/दिन चल रहा है और सरल क. 3(ञ) में दिखाए गए अनुसार भू–जल के अधिकतम स्वीकार्य वार्षिक निष्कर्षण के लिए है। इस ओवरलीफ में कही गयी शर्तों के पालन के लिए मान्य है।

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम
कार्यालय की मोहर

शर्तें :–

(1) प्रस्तावित कुएं के स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामलें में, नया प्राधिकार प्राप्त करना होगा।

(2) इस प्रमाण पत्र के सरल क्र. 2 और 3 में दर्शाए गए मौजूदा कुएं के संबंध में स्थान, डिजाइन, निष्कर्षण की दर और पंपिंग डिवाइस का कोई परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी विचलन इस पंजीकरण को रद्द करने की ओर ले जाएगा।

(3) निकाले गए भू–जल की मात्रा को मापने और रिकार्ड करने के उद्देश्य से, प्रत्येक उपयोगकर्ता ने जल के मीटर की पुष्टि की होगी, जो पंपिंग उपकरणों के आउटलेट पर दर और निष्कर्षण की मात्रा रिकार्ड करता है, और यह माना जाएगा कि मीटर द्वारा दर्ज की गई मात्रा जब तक विपरित साबित न हो जाए, उक्त उपयोगकर्ता द्वारा निकाला गया है। सरल क. 3 (ञ) में दिखाए गए कुएं से भू–जल के निष्कर्षण की दर जल के मीटर से दर्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी, यदि स्थिति की मांग है, तो गुणवत्ता के खतरों या किसी अन्य कारणों से कुओं से भू–जल के निष्कर्षण को रोकने का अधिकार सुरक्षित है।

(5) यदि इस पंजीकरण को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए किसी विवरण/सूचना को बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाया जाता है, तो यह पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

(6) अनुमति, जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी । आवेदक, इसकी वैधता की समाप्ति के कम से कम नब्बे दिवस के पूर्व, नये आवेदन के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(7) पीजोमीटर का निर्माण और टेलीमेट्री के साथ डिजिटल जल स्तर रिकार्डर की स्थापना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगी। पीजोमीटर की गहराई और जोन का दोहन पंपिंग कुओं के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल जल स्तर रिकार्डर से प्राप्त डेटा, मासिक आधार पर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) प्रत्येक भू–जल उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य होगा कि अपने भू–जल निष्कर्षण संरचना को डिजिटल फ्लो मीटर से सुसज्जित करें ।

(9) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश :–

पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचलित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जब भी जरूरत हो पानी के गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पीजोमीटर की स्थापना के लिए सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार है :

- पंपिंग कुएं से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर पीजोमीटर स्थापित / निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से भू–जल निकाला जा रहा है। पीजोमीटर का व्यास लगभग 4" से 6" होना चाहिए।
- पीजोमीटर की गहराई समान होनी चाहिए क्योंकि पंपिंग कुएं के मामले में जहां से भू–जल स्तर का सार हो रहा है। यदि, एक से अधिक पीजोमीटर स्थापित हैं, तो दूसरे पीजोमीटर को उथले के साथ–साथ गहरे भू–जल जलभरण निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा।
- मापने की आवृत्ति मासिक होनी चाहिए और माप की सटिकता सेमी तक होनी चाहिए। सूचित माप दो दषमलव तक मीटर में दिया जाना चाहिए।
- जल स्तर साउंडर या स्वचलित जल स्तर रिकार्डर (AWLR)/डिजिटल स्वचलित जल स्तर रिकार्डर की माप के लिए टेलीमेट्री सिस्टम का उपयोग सटीकता के लिए किया जाना चाहिए।
- पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए, इसके बाद ही आसपास के नलकूपों से पंपिंग लगभग चार से छह घंटे के लिए रोक दी गई है।
- जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ के लिए पीजोमीटर को, हाइड्रोग्राफ मॉनिटिरिंग सिस्टम में लाने के लिये और इसके सत्यापन के लिए निर्देशांक, कम स्तर (अर्थात् स्तर के संबंध में), गहराई, जोन टेप और असेंबली कम के बारे में सभी विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- प्री–मानसून (मई/जून) और पोस्ट मानसून (अक्टूबर/नवंबर) अवधि के दौरान भू–जल की गुणवत्ता को एक वर्ष में दो बार मॉनिटर करना पड़ता है। एनएबीएल अनुमोदित प्रयोगशाला से गुणवत्ता का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, एक नमूना (1 लीटर क्षमता की बोतल) संबंधित निदेशक, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, को रासायनिक विश्लेषण के लिए।

- स्थान, पीजोमीटर/ट्यूबवेल नंबर, मानक संदर्भ और पहचान के लिए पीजोमीटर/ट्यूबवेल की गहराई ओर जोन टैप किए जाने के लिए पीजोमीटर/ट्यूबवेल साइट पर एक स्थायी डिस्प्ले बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।
- माप के लिए सुरक्षा और पहुंच के संबंध में किसी अन्य साइट की विशिष्ट आवश्यकता का ध्यान रखा जा सकता है।

(10) संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य शर्त भी लगाया जा सकता है।

(11) यदि इस परमिट को जारी करने के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई विशेष जानकारी, जो किसी भी बाद के चरण में सत्यापन के दौरान गलत पाई जाती है, यह परमिट रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।

प्ररुप–4 (च)

कुएं के निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन की अस्वीकृति–पत्र

(जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 3 की उप–धारा 6 के खण्ड (घ) और धारा 12)

क्रमांक :– दिनांक :–

सेवा में,

श्री / श्रीमति.....

विषय : कुएं का प्राधिकार प्रदान करने के लिए आपके आवेदन की अस्वीकृति।

संदर्भ : आपका आवेदन संख्या : जमा करने का दिनांक :

महोदय / महोदया,

आपको सूचित करना है कि आपका आवेदन संख्या.....दिनांक..... जो कुएं के पंजीकरण के अनुदान के लिए प्रेषित किया गया है, निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है :

(1) अपूर्ण आवेदन।
(2) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करना।
(3) अपेक्षित आवेदन शुल्क के भुगतान में कमी।
(4) आवेदन शुल्क गलत मद में जमा करने के कारण।
(5) अन्य।

आपका आभारी

जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
कार्यालयीन मुहर

प्ररुप–5 (क)

नई ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

नई ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 4 की उप–धारा (3) के खण्ड (छ) और धारा 18)

श्री /श्रीमति :

बुक सं0–

आवेदन पत्र क्रमांक :–

1. आवेदक का विविरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष/स्त्री

(ड.) फर्म का पैन संख्या :

(च) फर्म की जी0एस0टी0 संख्या :

(छ) राष्ट्रीयता :

(ज) आवेदक का पता :

2. वह जिला जिसमें फर्म ड्रिलिंग कार्य करना चाहती है :

टीप : एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा।

3. ड्रिलिंग मशीन/ मशीनों का विवरण दें :

4. ड्रिलिंग का उद्देश्य : (कृपया टिक करें) :
(क) शासकीय कार्य : (हाँ/नहीं)
(ख) निजी कार्य : (हाँ/नहीं)
(ग) दोनो : (हाँ/नहीं)

5. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान –
(एक) रूपये :
(दो) वाउचर सं0 :
(तीन) दिनांक :
(ख) ट्रेजरी/उप– ट्रेजरी/पी.एस.यू. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है –
(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) –

6. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता हूं, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

टीप :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।

2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।
3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी नये कुओं के प्राधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए 'N.A.' लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
   (ख) पैनकार्ड की छायाप्रति।
   (ग) जी0एस0टी0 नम्बर की छायाप्रति।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ

प्ररुप–5 (ख)

मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 4 की उप–धारा (3) के खण्ड (छ) और धारा 18)

श्री /श्रीमति :

बुक सं0– आवेदन पत्र क्रमांक :–

1. आवेदक का विवरण :

(क) आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) : (कृपया आईडी प्रूफ संलग्न करें)

(ख) जन्मतिथि :

(ग) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति :

(घ) लिंग (टिक करें) : पुरूष/स्त्री

(ड.) फर्म का पैन संख्या :

(च) फर्म की जी0एस0टी0 संख्या :

(छ) राष्ट्रीयता :

(ज) आवेदक का पता :

2. वह जिला जिसमें फर्म ड्रिलिंग कार्य करना चाहती है :

टीप : एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भू–जल प्रबंधन परिषद को आवेदन करना होगा।

3. ड्रिलिंग मशीन/ मशीनों का विवरण दें :

4. ड्रिलिंग का उद्देश्य : (कृपया टिक करें) :
(क) शासकीय कार्य : (हाँ/नहीं)
(ख) निजी कार्य : (हाँ/नहीं)
(ग) दोनो : (हाँ/नहीं)

5. आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण :
(क) आवेदन शुल्क की राशि का भुगतान –
(एक) रूपये :
(दो) वाउचर सं0 :
(तीन) दिनांक :
(ख) ट्रेजरी/उप– ट्रेजरी/पी.एस.यू. बैंक का नाम, जहां आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है –
(ग) बैंक शाखा का नाम (यदि भुगतान बैंक में किया गया है) –

6. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहेगा :

आवेदक की घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विशेष विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच और अन्वेषण या उसके बाद किसी सूचना और विवरण के मामले में गलत पाया जाता हूं, तो मेरा आवेदन/पंजीयन खारिज/रद्द किए जाने योग्य है

मैं सहमत हूँ ☐

टीप :

1. प्रत्येक कुओं के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन पत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
2. आवेदन पत्र, जमा करने से पहले सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं। किसी भी सुधार/परिवर्तन को विधिवत प्रमाणित किया जाएगा।

3. यदि किसी विवरण/सूचना को सत्यापन/जांच के किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
4. यदि किसी नये कुओं के प्राधिकृत/अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु किसी विवरण/सूचना को पंजीकरण जारी होने के बाद किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो पंजीकरण रद्द करने के लिए उत्तरदायी है।
5. कृपया जो लागू नहीं है उनके लिए **'N.A.'** लिखे।
6. कृपया आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :–
   (क) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण दर्शाने वाला दस्तावेज।
   (ख) आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान का कोई अन्य प्रमाण।
7. संबंधित प्राधिकरण, मामले की योग्यता की जांच के लिए मालिक आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैं सहमत हूँ

प्ररुप–6 (क)

नई ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र

(जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 4 की उप–धारा (3) के खण्ड (छ) और धारा 18)

पंजीकरण संख्या .....

1. (क) फर्म का नाम
   (ख) आवेदक का नाम : श्री / श्रीमति .....
   (ग) पुत्र / पुत्री
   (घ) आवेदक का पता
   (ड.) आवेदन फार्म क्रमांक ..... जमा करने का दिनांक .....

2. जिले का नाम जिसमें ड्रिलिंग के लिए एजेंसी पंजीकृत है :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :
दिनांक :

आपका आभारी

जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम
कार्यालय की मोहर

शर्तें :–

(1) ड्रिलिंग एजेंसी अधिसूचित क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग का कार्य नहीं करेगी। अधिसूचित क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www. .in से डाउनलोड की जा सकती है।
(2) ड्रिलिंग एजेंसी भू–जल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। भू–जल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www. .in से डाउनलोड की जा सकती है।
(3) एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भू–जल प्रबंधन परिषद में आवेदन करना होगा।
(4) कोई अन्य शर्त, जो कि जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा अधिरोपित की जा सकती है।

प्ररुप–6 (ख)

मौजूदा ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीकरण प्रमाण पत्र

(जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 4 की उप–धारा (3) के खण्ड (छ) और धारा 18)

पंजीकरण संख्या .....

1. (क) फर्म का नाम
   (ख) आवेदक का नाम : श्री / श्रीमति .....
   (ग) पुत्र / पुत्री
   (घ) आवेदक का पता
   (ड.) आवेदन फार्म क्रमांक ..... जमा करने का दिनांक .....

2. जिले का नाम जिसमें ड्रिलिंग के लिए एजेंसी पंजीकृत है :

पंजीकरण का यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जारी किया गया है, जो ओवरलीफ शर्तों के अनुसार है।

स्थान :
दिनांक :

आपका आभारी,
जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम
कार्यालय की मोहर

शर्तें :–

(1) ड्रिलिंग एजेंसी अधिसूचित क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग का कार्य नहीं करेगी। अधिसूचित क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www. .in से डाउनलोड की जा सकती है।
(2) ड्रिलिंग एजेंसी भू–जल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं करेगी। भू–जल गुणवत्ता संवेदनशील क्षेत्रों की सूची वेबपोर्टल www. .in से डाउनलोड की जा सकती है।
(3) एक से अधिक जिलों के लिए, फर्म को अलग से जिला भू–जल प्रबंधन परिषद में आवेदन करना होगा।
(4) कोई अन्य शर्त, जो कि जिला भू–जल प्रबंधन परिषद द्वारा अधिरोपित की जा सकती है।
(5) समस्त पंजीकृत ड्रिलिंग एजेंसी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने ड्रिलिंग रिग मशीन को जीपीएस सिस्टम से सुसज्जित करे ।
(6) पंजीकृत ड्रिलिंग एजेंसी, समुचित लिंक / वेब पोर्टल पर प्रत्येक तीन माह में निष्पादित ड्रिलिंग कार्य का विवरण ऑन–लाईन भी उपलब्ध करायेगा ।

प्ररुप–7

ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण हेतु आवेदन का रद्दकरण पत्र

(जिला भू–जल प्रबंधन परिषद का चिन्ह अथवा होलोग्राम)

(छत्तीसगढ़ भू–जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2022 की धारा 4 की उप–धारा (3) के खण्ड (छ) और धारा 18)

क्रमांक :– दिनांक :–

सेवा में,

श्री / श्रीमति.....

विषय : ड्रिलिंग के अनुमोदन हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन का रद्दकरण।

संदर्भ : आपका आवेदन संख्या : जमा करने का दिनांक :

महोदय / महोदया,

आपको सूचित करना है कि आपका आवेदन संख्या.....दिनांक..... जो कुएं के पंजीकरण के अनुदान के लिए प्रेषित किया गया है, निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जाता है :

(1) अपूर्ण आवेदन
(2) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा नहीं करना
(3) अपेक्षित आवेदन शुल्क के भुगतान में कमी
(4) आवेदन–शुल्क गलत मद में जमा करने के कारण
(5) अन्य

आपका आभारी

जारी करने वाले प्राधिकारी का
हस्ताक्षर
कार्यालय की मोहर

INDEX

Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Rules, 2024.

Section No.	Particulars
	CHAPTER – I PRELIMINARY
1	Short title, extent and commencement
2	Definitions
	CHAPTER – II Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority
3	Make provisions for smooth and proper functioning
4	I. Functionary of Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority II. Functions of the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall be. III. Fund of the State Ground Water Management and Regulatory Authority
5	I. Functionary of District Ground Water Management Council II. Functions of the District Ground Water Management Council shall be III. The fund of District Ground Water Management Council
6	I. Functionary of Block Level Ground Water User Registration Committee II. Function of Block-Level Ground Water User Registration Committee shall be III. Fund of Block Level Ground Water User Registration Committee
7	To provide support by the District/Local Administration
8	Honorarium
9	Terms of office
10	Minimum qualification
11	Meetings
	CHAPTER – III IDENTIFICATION AND DEMARCATION OF NOTIFIED AREAS
12	Manner of identification and demarcation of areas to be declared as Notified areas
13	Issuance of Notification

	CHAPTER – IV REGISTRATION OF WELLS AND BAN ON NEW WELL IN NOTIFIED AND NON-NOTIFIED AREAS
14	Procedure for application for registration of well
15	Procedure of modification or alteration in registered well
16	Disposal of application for certificate of registration by District Ground Water Management Council or Block/Urban Level Ground water User Registration Committee
17	Registers for certificate of Registration
18	Application Fee
19	Ban on Construction of new well in notified area
20	Preparation and Implementation of Ground Water Security Plan in notified area
21	Process for registration of drilling agencies
22	Application Fee
	CHAPTER – V GRANT OF PERMISSION
23	Exemption
24	Procedure for issuance of permission certificate for users
25	Procedure for renewal of no objection certificate
26	Disposal of application for grant of permission by Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority
27	Register for grant of permission
28	Application fee for grant of permission certificate and fee for ground water extraction/drawl
	CHAPTER – VI FIXING LIMIT OF ABSTRACTION OF GROUND WATER FOR COMMERCIAL, INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURAL OR BULK USER
29	Procedure for fixing limit
	CHAPTER – VII USE OF APPROPRIATE TECHNOLOGY FOR MONITORING OF GROUND WATER USAGE
30	Use of technology for monitoring of machinery system
	CHAPTER–VIII VIOLATION, OFFENCES, PENALTIES AND COMPOUNDING OF OFFENCES
31	Process of compounding of offences
32	Delegate of the powers
33	Employees of the Authority to be Public Servants

34	Introduced of the scheme
	CHAPTER – IX GRIEVANCE REDRESSAL
35	Procedure for grievance redressal
	CHAPTER – X PROCESS FOR FIXING STANDARDS OF TREATED WASTE WATER, INSTALLATION OF THE TREATMENT PLANT AND RAIN WATER HARVESTING
36	Power of the appropriate body to call for information
37	Process for fixing standards of treated waste water
38	Procedure for installation of treatment plant
39	Procedure for restriction for discharging untreated effluent into ground water or surface water
40	Process of imposing provisions for Rain Water Harvesting
	CHAPTER – XI GROUND WATER CONSERVATION FUND
41	Ground Water Conservation Fund
	CHAPTER – XII MISCELLANEOUS
42	Identification of the running schemes
43	Norms prescribed
44	Decision to the Cases
	SCHEDULE–I
	Industrial Use
	SCHEDULE-II
	Mining Projects
	SCHEDULE-III
	Infrastructure Project
	SCHEDULE- IV
	Application Fee
	IVA – Validity/Renewal of Permission of Ground water abstraction
	IVB - Extension of Permission of Ground Water Abstraction
	SCHEDULE-V
	Registration of Drilling Rigs
	SCHEDULE-VI
	Drinking & Domestic use for Residential apartments/ Group Housing Societies/ Government water supply agencies in urban areas

	SCHEDULE-VII
	Commercial Use
	SCHEDULE-VIII Ground water abstraction/ restoration charges
	I. Drinking and domestic use for residential apartments/ group housing societies/ Government water supply agencies in Urban areas.
	II. Packaged Drinking Water units
	III.Other Industries & infrastructure projects
	IV. Mining projects
	V. Bulk Water Supply
	VI. Abstraction of Saline ground water
	VII. Protection of Wetland Areas
	VIII. All user extracting ground water for swimming pools
	SCHEDULE-IX
	IA. General Compliance Conditions in Permission of Ground water abstraction
	IB. Safety Measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells
	II. Monitoring of compliance of Permission of Ground Water Abstraction Conditions
	III. Provision of Penalty and Charges for correction/modifications in Permission
	IV. Environmental Compensation
	V. Other important Conditions (Applicable to all)
	VI . Ground Water Level Monitoring
	Appendix-A
	Qualification of non-official members of Appropriate Authorities
	Appendix-B
	Application form for Compounding of an Offence
	Annexure-I
	Estimation of Water Requirements for drinking and domestic use (Source: National Building Code 2016, BIS)
	Annexure-II
	Guidelines for Construction of Piezometers and monitoring of Ground Water Levels and Quality

	Annexure-III
	Measures to be adopted to ensure prevention from pollution in the plant premises of polluting industries/projects
	Annexure-IV
	Outline of Hydro-Geological Report for obtaining Permission to abstract Ground Water for industries
	Annexure-V
	Format of the Report on ground water conditions (for mining projects)
	Annexure-VI
	Indicative list of Infrastructure projects
	Annexure-VII
	Supreme Court Order in Civil Writ petition 36 of 2009 regarding measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells
	Annexure-VIII
	Water audits by the industries (Source – CII)
	Annexure-IX
	List of Water Intensive Industries
	Annexure-X
	Standard Format for the signboard near the Tube/Bore well
	Annexure-XI
	Standard Format for District/ Block/ Village wise status of bore wells/tube wells Resister
	Annexure-XII
	Standard Format for Reporting & uploading Tube/Bore well details
	Format of Application Forms

Nava Raipur Atal Nagar, the 20th January 2025

NOTIFICATION

No. 359/F 4-404/S-2/31/O.M./Ground Water Act/19.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 28 of the Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022 (No. 18 of 2022), the State Government, hereby, makes the following rules to regulate Ground Water extraction and conservation of Ground Water resources of the State, namely:-

RULES

CHAPTER – I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Rules, 2024.

(2) It extents to the whole State of Chhattisgarh.

(3) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(4) Under the rules, the entire process of grant of permission shall be online through a web-based application system.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022 (No. 18 of 2022) ;

(ii) "Aquifer" means Geological formation capable of storing and transmitting groundwater;

(ii) "BCM" means Billion cubic metres;

(iv) "BGL" means Below Ground Level;

(v) "Block level Ground Water User Registration Committee" means the committee constituted under Section 5 of the Act;

(vi)"Challan" means receipt of depositing fee or any amount, to be deposited in the Ground Water Conservation fund" (Bhujal Sanrakshan Kosh), created under Section 27 of the Act;

(vii) "Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority (CGGWA)" means the authority constituted under Section 3 of the Act;

(viii) "Cooperative Group Housing Societies/ Builder flats" means society formed by house/flat/landowners within a residential complex/colony/gated community/apartment complex or any other similar groups called by any other name;

(ix) "Critical Block" means Block categorized as CRITICAL from the ground water resources point of view, based on the latest ground water resources assessment carried out jointly by CGWB and State Water Resources Department;

(x) "Deeper Aquifer" means in areas having multiple aquifer system, the aquifer(s) occurring below the uppermost aquifer;

(xi) "District Ground Water Management Council" means the Council constituted under Section 4 of the Act;

(xii) "Drinking and domestic use" means Water required for daily household activities including hygienic purposes, such as cooking food, bathing, cleaning / washing, sanitation etc. Besides drinking and domestic use of households, this category will cover drinking requirement of industries not requiring water for industrial process; but includes drinking, washing, cleaning use etc. in case of hospitals, hotels, malls & multiplexes, institutions, offices, banquet halls, fire stations, metro stations, railway stations, airports, seaports, stadium etc.;

(xiii) "EC^{GW}" means Environmental compensation for drawing illegal ground water;

(xiv) "ECR_{GW}" means Environmental compensation rates for drawing illegal ground water;

(xv) **"Form"** means a Form appended with these rules;

(xvi) **"Government Agency"** means a Central or State Government body;

(xvii) **"Government Department"** means either Government of India or Chhattisgarh State Government-owned /run body/offices;

(xviii) **"Ground water"** means water, which exists below the surface in the zone of saturation and can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers;

(xix) "**Ground water Abstraction structure"** means Structure used to withdraw groundwater like bore well / tube well / dug well/dug cum bore well/tunnel well;

(xx) **"Ground Water Conservation Fund (Bhujal Sanrakshan Kosh)"** means fund created under Section 27 of the Act for deposition of the receipts on account of penalties, registration fees, fee/levy on ground water abstraction etc.;

(xxi) **"Ground Water Draft"** means Quantum of ground water withdrawal;

(xxii) **"Ground water pollution"** means concentration of any parameter in ground water exceeds the maximum permissible limit for drinking water prescribed by the Bureau of Indian Standards;

(xxiii) **"Illegal Ground Water abstraction Structure"** means any ground water abstraction structure viz. bore well / tube well / dug well/dug cum bore well/tunnel well which is being used to withdraw ground water without valid Grant of permission Certificate from Chhattisgarh Ground Water Authority.

(xxiv) "**KLD**" means Kilo Litre per day;

(xxv) **"Mine"** means Area where mining activity / quarry is taking place, or area abandoned after mining/quarrying;

(xxvi) **"Mining Project"** means Project which involves mining activity / quarry either open cast orunderground or both;

(xxvii) **"Municipality"** means Municipality or Municipal Corporation or Nagar Panchayat or similar body of local urban governance by any other name owned or run by Chhattisgarh Government;

(xxviii) "**Observation well or Piezometer"** means a bore well/tube well used only for measuring the water level/piezometric head and to take water samples periodically but not used for groundwater abstraction;

(xxix) **"Over-exploited Block"** means block categorized as OVER-EXPLOITED from the ground water resources point of view, based on the latest ground water resources assessment carried out jointly by CGWB and State Water Resources Department.

(xxx) **"Rainwater Harvesting"** means the technique or system of collection and storage of rainwater, at micro watershed scale, including roof-top harvesting, for future use or for recharge of groundwater;

(xxxi) **"Recycle/Reuse"** means using treated waste water for various purposes/ putting water to multiple uses.

(xxxii) **"Rules"** means Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulations) Rules, 2024;

(xxxiii) **"Safe Block"** means block categorized as SAFE from the ground water resources point of view, based on the latest ground water resources assessment carried out jointly by CGWB and State Water Resources Department;

(xxxiv) "Saline Water" means water having salinity in excess of 2500 µsiemens/cm at 25^0C;

(xxxv)"Section" means a Section of the Act;

(xxxvi) "Semi-critical Block" means block categorized as SEMI-CRITICAL from the ground water resources point of view, based on the latest ground water resources assessment carried out jointly by CGWB and State Water Resources Department;

(xxxvii) "Supplier of Water" means Government or Government approved Water Supply Agency;

(xxxviii) "**Water Audit"** means A method of quantifying water use in simple or complex systems, with a view to reducing water usage and saving resources on otherwise wasteful water use;

(xxxix) "Water efficient technologies" means a technologies of unique advancement have develop to make water softeners more sustainable and cost effective;

(xl) "Water Intensive Industries" means industries that have high usage of water need for treatment for example - brewery and carbonated beverage water, dairy industries, sugar mills refineries, textile manufacturing, pulp and paper mill, oil and gas, steel plant, the automotive and aircraft industries etc.;

(xli) "Water Table Intersection" means intersection of the water table on excavation of the overlying material due to mining or other activities;

(xlii) "Well" means any structure used for the extraction of groundwater, including open wells, dug wells, bore wells, dug-cum-bore wells, tubewells, filter points, collector wells, infiltration galleries, recharge wells, tunnel well or any of their combinations or variations.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER – II

Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority

3. Make provisions for smooth and proper functioning.-The State Government shall make Provisions for the staff and Office including all institutional support and working facilities, budgetary requirements for State Ground Water Management and Regulatory Authority, District Ground Water Management Council and Block Level Ground Water User Registration Committee for smooth and proper functioning.

4. (I) Functionary of Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority.-

(1) The State Government shall, by notification in the Gazette, constitute, with effect from such date as may be specified in the notification, a State Authority to be known as the Chhattisgarh State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(2) The Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority shall consist of-

1. The Chief Secretary	**-Chairperson**
2. The Secretary In charge, Water Resources Department	-Member
3. The Secretary In charge, Finance Department	- Member
4. The Secretary In charge, Public Health Engineering Department	-Member
5. The Secretary In charge, Agriculture Department	-Member
6. The Secretary In charge, Industries Department	-Member
7. The Secretary In charge, Mineral Resources Department	-Member
8. The Secretary In charge, Urban Administration Development	-Member
9. The Engineer-in-Chief, Water Resources Department	-Member-Secretary
10. The Engineer-in-Chief Public Health Engineering Department	-Member
11. The Member Secretary, State Environment Conservation Board	- Member
12. The Regional Director, Central Ground Water Board (NCCR) Raipur	-Member
13. The Principal Chief Conservator of Forest	-Member
14. Three Subject Experts having long standing working experience of ground water in the State of Chhattisgarh (to be nominated by the State Government)	-Member

15. An eminent person from Public/Non- Government -Member organization/ Social Sector working in the field of ground water (to be nominated by the State Government)

(3) The term of office and the manner of filling the vacancies and other conditions of services of the Subject Experts and Eminent Persons from Public/Non-Government Organization/ Social Sector shall be such as defined in rule 9 and 10.

(4) Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Chhattisgarh shall be the Nodal Executive Officer on behalf of the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(5) The office of the Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Chhattisgarh, Shivnath Bhawan, Nava Raipur shall work as the Secretariat of the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(II) Functions of the State Ground Water Management and Regulatory Authority shall be –

(1)(a) to notify the areas for management and regulation of ground water resources as provided under Section 8;

(b) to de-notify the areas for management and regulation of ground water resources as provided under Section 10;

(c) to fix ground water abstraction limits as provided under Section 13;

(d) to grant permission for ground water abstraction for industrial/commercial / mining purposes in non-notified/notified areas;

(e) to collect levy for ground water abstraction;

(f) to develop and adopt updated technology for monitoring and Management mechanism for ground water uses;

(g) State Ground Water Management and Regulatory Authority for efficient and smooth working may delegate powers to exercise functions mentioned in this clause as it may deem fit;

(h) to supplement (and mandate, if needed) the installation and operation of ground water measurement devices if deemed suitable, in order to measure and monitor water being withdrawn, consumed and utilized;

(i) to supplement (and mandate, if needed) the creation of a water resource data base (focusing specifically on ground water if deemed necessary) to consolidate resource availability, usage and sustainability;

(j) to facilitate special ground water studies using sensors and mapping tools to help in monitoring and asset management;

(k) to prepare a Ground Water Resource Management Action Plan in coordination with District Ground Water Management Council and block-

level authorities, to plan and prepare for sustainable interventions to ensure ground water resource longevity, judicious consumption and conservation / treatment interventions;

(l) to promote the conjunctive usage of ground water and surface water, wherever feasible;

(m) to adjudge the quantum of ground water being used for irrigation purposes and supplement through alternate sources, wherever deemed feasible;

(n) to converge with other Departments in order to ascertain the viability of Integrated Water Resource Management Plans, Water Security Plans, Roadmaps for Water Conservation and other sustainability measure;

(o) to monitor land-based disputes over ground water ownership and intervene if needed.

(2) Staff of the State Ground Water Management and Regulatory Authority, -

(a) To enable the State Ground Water Management and Regulatory Authority to perform its functions properly or exercise the powers under this Act, the State Government may appoint/depute such number of technical personnel and other staff as it may consider necessary including all institutional support, facilities and the budget;

(b) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall function under the overall control and supervision of the State Government.

(III) Fund of the State Ground Water Management and Regulatory Authority,-

To enable the State Ground Water Management and Regulatory Authority to perform its functions properly or exercise the powers under this Act, the State Government shall provide necessary facilities and the budget.

5. (I) Functionary of District Ground Water Management Council– (1) District Ground Water Management Council shall be constituted and will be an overall unit for management of ground water resources at district level, which shall consist of, -

(a) Chairperson – Collector

(b) Vice Chairperson – Chief Executive Officer, Jila Panchayat

(c) Member Secretary – Executive Engineer, Water Resources Division of the District HQ;

(d) Two Members as subject Expert having longstanding working experience/knowledgein the field of Ground water, to be nominated by the Chairperson;

(e) Other Members shall be the District Level Representatives (one each) Divisional Forest Officer, Forest

Assistant Geohydrologist, District Ground Water Survey Unit,

Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board,

Deputy Director, Agriculture Department,

Commissioner / CMO Nagar Nigam/Nagar Palika of District HQ (Local Body),

General Manager/ Deputy Director, District Industry Center,

Executive Engineer, Public Health & Engineering Department.

(2) The terms and conditions of the service of the nominated subject expert of ground water members shall be such as defined in rule 9 and 10.

(II) Functions of the District Ground Water Management Council shall be, - (a) To consolidate District level Ground Water Security Plan, based on macro- watershed approach and as per the guidelines as may be prescribed;

(b) Implementation of District Ground Water Security Plan;

(c) To monitor the implementation of District Ground Water Security Plan;

(d) To conduct water awareness program;

(e) To register all existing commercial, industrial, infrastructure and bulk users in notified and non-notified areas;

(f) To recommend grant of permission for ground water abstraction in notified /non-notified areas;

(g) Registration of Drilling Agencies / Drilling Rig Machine;

(h) To carry out such other functions, as may be prescribed or assigned by the State Ground Water Management and Regulatory Authority;

(i) District Magistrate/Chairman of District Ground Water Management Council shall constitute committee of Urban local body within the territorial jurisdiction of respective district regarding registration of all existing/ new domestic/drinking/agriculture ground water users in the concerned Urban local body and to establish monitoring network (Construction of Piezometer and installation of DWLR Telemetry) for monitoring of water level. Number of Piezometers will be decided by concerned Urban local body according to area of Urban body;

(j) Co-ordinate District Ground Water Management Council with the State Ground Water Management and Regulatory Authority.

(III) The fund of District Ground Water Management Council –To enable the District Ground Water Management Council to perform its functions properly or exercise the powers under this Act, the State Government/Local Administration shall provide necessary facilities and the budgetary support.

6. (I) Functionary of Block Level Ground Water User Registration Committee, – A Block-Level Ground Water User Registration Committee, shall be Constituted which will register all existing/ new domestic and agriculture ground water users in the block, which shall consist of, -

(a) the Chairperson – Chief Executive Officer Janpad panchayat of the block ;

(b) Member-Secretary – Sub-Divisional Officer, Water Resources Sub-Division of block;

(c) Other Members shall be the Block Level Representatives (one each) from Agriculture, Panchayat and Rural Development, Industries, Public Health & Engineering and Forest;

This committee shall take guidance and instructions from concerning Sub- Divisional Magistrate (SDM) for smooth discharge of its functions and report to the SDM.

(II) Function of Block-Level Ground Water User Registration Committee shall be–

(a) to conduct water awareness programs;

(b) to register all existing / new domestic, agriculture Ground water user of non-notified and notified areas of block; and

(c) to carry out such other functions, as may be prescribed or assigned by the Authority.

(III) Fund of Block Level Ground Water User Registration Committee – To enable the Block-Level Ground Water User Registration Committee to perform its functions properly or exercise the powers under this Act, the State Government/Local Administration shall provide necessary facilities and the budgetary support.

7. To provide support by the District/Local Administration.-For efficient and smooth discharge of duties and functions defined in Section 24 of the Act and rule 29, 31 and 33 of these rules, the CGGWA and its District, Block and Urban level bodies shall be supported by District/local administration to deal with all administrative and law and order related issues

8. Honorarium.- Honorarium , as decided / specified by State Government, will be paid to the Nominated Members of the appropriate body.

9. **Terms of office.-**The terms of office of the Nominated members of Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority and District Ground Water Management Council shall be three years.

10. **Minimum qualification.-**The minimum qualifications of members referred to in rule 8 shall be as appended in Appendix-A to these rules.

11. **Meetings.-** The meetings of the appropriate body shall be at such time as may be directed by Chairperson of Body provided that the period between two consecutive meetings shall not exceed.

(a) Thirty days, in the case of Block Level Ground water User Registration Committee,
(b) Sixty days or as may be deemed necessary in the case of District Ground water Management council.
(c) 180 days or as may be deemed necessary in the case of Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority:

However, Appropriate Body may meet as many times as they deem fit.

CHAPTER – III
IDENTIFICATION AND DEMARCATION OF NOTIFIED AREAS

12. **Manner of identification and demarcation of areas to be declared as Notified areas.-**

(1) **Rural areas**:- Under the provisions of the Act, for the purpose of demarcation of the Notified areas, the over-exploited and critical blocks shall be considered. The Water Resources Department, therefore, shall identify and prepare the district-wise list of blocks categorized as over-exploited and critical blocks, based on the latest ground water resource assessment report.

(2) **Urban areas:** In the Urban area, as provided in the Act, the stressed area where ground water levels have depleted to critical/alarming level shall be considered for the purpose of declaring such area as Notified areas. The Urban local body shall identify and delineate those urban areas as stressed, where ground water level has recorded a significant decline of more than 20 cm per year during the last five years as mentioned under rules 5(II)(i). The Water Resources Department shall approve Notified Areas, as identified and delineated by committee of urban local body.

(3)The Water Resources Department shall submit the list of over exploited and critical blocks and the stressed urban area to the Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority for notifying the said areas, as provided in the Act.

13. Issuance of Notification. -

(1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall have necessary consultation on the inputs provided by the Water Resources Department related to over exploited and critical blocks categorized as per the latest Ground Water Resource Assessment and the stressed Urban areas identified by the Department on the basis of analysis of Ground Water depletion.

(2) The Authority, thereafter, shall advise the State Government to declare by notification such areas as notified areas for the purpose of implementation of different provisions of the act. On the basis of recommendation of Water Resources Department, the Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority shall also advise State Government to discontinue or redesign such Government schemes which are directly dependent on Ground Water extraction.

(3) The State Government shall duly consider the recommendation and advice of Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority for declaration of such areas as Notified areas by Notification, in the Gazette.

(4) The notification referred to in sub rule (3) shall be uploaded on the websites of all concerned departments and shall also be publisized widely in public interest.

CHAPTER – IV

REGISTRATION OF WELLS AND BAN ON NEW WELL IN NOTIFIED AND NON-NOTIFIED AREAS

14. Procedure for application for registration of well. -

(1) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using ground water in notified area or non-notified area before the date of coming into force of the Act, shall make an application in **Form 1(A),** referred to in sub section (1) of Section 9 of Act, within a period of 180 days from the date of coming into force of the Rules, to the District Ground water Management council and any future commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user in non-notified area shall also make, an application in **Form 1(A),** referred to in sub-section (1) of Section 9 of Act.

(2) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using ground water in a notified area or a non-notified area before the date of coming into force of the Act, and having valid No Objection Certificate issued by Central Ground Water Authority for extracting or using Ground

Water, shall make an application, in **Form 1(B),** referred to in sub-section (1) of section 9 of Act, within a period of ninety days from the date of coming into force of the rules, to the District Ground water Management council.

(3) Every existing user of Ground water, other than those mentioned in sub-rule (1) of 13, including domestic and agricultural users and tube wells of urban administration (local body) of Ground water, who have sunk well or boring in his or her premises or agricultural land holdings, shall make an application, in **Form 1(C)**, referred to in sub-section (2) of Section 9 of Act, within a period of six months from the date of coming into force of these rules, to the Block-level Ground Water User Registration Committee. In the Urban areas, similar procedure will be adopted by committee of urban local body as mentioned under rules 5(II)(i) for every existing drinking/domestic/agriculture Ground Water user of Urban area.

(4) Every future user of Ground Water, other than those mentioned in sub-rule (1) of rule 14, including domestic and agriculture users of Ground Water, who desires to sink well or boring in his or her premises or Agricultural land holdings, shall make an application, in **Form 1(D),** referred to in sub-section (2) of Section 9 of Act to the Block-level Ground Water User Registration Committee, prior to sinking of such well, in the Urban area similar procedure will be adopted by committee of urban local body as mentioned under rule 5(II)(i) for every future drinking/domestic/agriculture Ground Water user of Urban area:

Provided that a user who has sunk more than one well for extracting or using Ground Water in the area shall be required to submit separate application Forms for each well.

(5) Form 1(A,B,C,D) shall be downloaded free of cost from the online web portal of Authority.

(6) Improper filling up of form, and failure to annex all necessary documents specified in, Form 1(A,B,C,D) shall make the application liable to be rejected.

(7) All applications as mentioned in above sub-rules shall be submitted online at web portal of Authority.

15. Procedure of modification or alteration in registered well.-

(1) If any registered Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user of Ground Water in notified area, having certificate of registration, wants to carry out any modification or alteration in registered well, he or she or a group of persons or an agency (as the case may be) shall obtain clearance for the same from State Ground

Water Management and Regulatory Authority by submitting **Form 2(A)** to respective District Ground Water Management Council. For this, concerning user shall pay fee as prescribed in Table 9.2 of Schedule-IX.

(2) If any registered commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user of Ground Water wants to carry out any modification or alteration in registered well in non-notified area, he or she or a group of persons or agency (as the case may be) shall obtain clearance for the same from Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority by submitting **Form 2(B)** to respective District Ground Water Management Council. For this, concerning user shall pay fee as prescribed in sub table 9.2 of Schedule IX.

16. Disposal of application for certificate of registration by District Ground Water Management Council or Block/Urban Level Ground water User Registration Committee. –

(1) On receipt of the application under sub-rule (1) of rule 14, if the District Ground Water Management Council considered that the application is for issuance of a certificate of registration under sub-section (1) of Section 9 of the Act, it shall, after being satisfied in its meeting, approve the case and grant certificate of registration in **Form 3(A)** to the user and if the concerned District Ground Water Management Council is not satisfied with the case, it shall refuse to grant certificate of registration after giving substantial reason and shall intimate accordingly to the user in **Form 4(A).**

(2) On receipt of the application under sub-rule (2) of rule 14, existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk users, who submit a copy of valid No Objection Certificate issued by Central Ground Water Authority shall automatically be registered. Such users shall get electronically generated certificate of registration in **Form 3(B),** within 15 days of online submission of proper application.

(3) On receipt of the application under sub rule (3) and sub rule (4) of rule 14, Agricultural and domestic users of Ground Water shall automatically be registered. Such users shall get electronically generated certificates of registration in **Form 3(C),** within 15 days from online submission of proper application.

(4) Users, whose application for grant of registration have been rejected under sub rule (1), may apply to Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority through Secretary of the Authority, for disposal of application. Decision

of State Ground Water Management and Regulatory Authority in such cases shall be final.

(5) Any decision taken by the concerned District Ground Water Management Council or Block-level Ground Water User Registration Committee, under this rule regarding grant or refusal of certificate or registration shall be intimated to the user electronically, within a period of one month from the date of receipt of such application.

(6) Users may also receive a duly signed copy of registration certificate from office of the District Ground Water Management Council or Block-level Ground Water User Registration Committee, as the case may be.

17. Registers for certificate of Registration.-

(1) For every registration certificate issued in Form 3(A) or 3(B), an e-register shall be maintained at online web portal of Authority.

(2) Each District Ground Water Management Council shall also maintain a separate register of duly signed copies of registration certificate issued in Form 3(A) and 3(B).

(3) Each Block level Ground Water User Registration Committee shall also maintain a separate register of duly signed copies of registration certificate issued in Form 3(C).

18. Application Fee. –

(1) A Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk users shall deposit such amount of fee as decided by Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority for filling application for registration of well as stated in sub-rule (1) and (2) of rule 14. Please refer Schedule–IV.B for application fee. Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority may periodically review the amount of fee for different category of users of Ground Water.

(2) There shall be no fee for filling application under sub-rule (3) and (4) of rule 14.

(3) The application fee referred to in sub-rule (1) and (2) shall be paid online and shall be deposited in Ground Water Conservation Fund (Bhujal Sanrakshan Kosh), created by State Government.

19. Ban on Construction of new well in notified area. - On submission of the list of Over-exploited, Critical block and the stressed urban area by Water Resources Department, Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority shall advise State Government to ban on Construction of new well except for Government

schemes for drinking water supply and tree plantation in notified area as provided in Section 10 of the Act. Such ban shall continue till the area is de-notified.

20. Preparation and Implementation of Ground Water Security Plan in notified area.– For ensuring and achieving sustainability of Ground Water stress in notified areas, District Ground Water Management Council shall prepare Ground Water Security Plan, based upon macro- watershed approach and input Ground Water data base and shall responsible for implementation and monitoring of the District Ground Water Security Plan.

21. Process for registration of drilling agencies.-

(1) Any person including firm, agency or company, who desires to perform drilling work for Ground Water extraction shall make, in **Form 5(A),** an application referred to Section 18 of the Act, to the District Ground Water Management Council. Separate registration for drilling shall be required for each district;

(2) Any person including firm, agency or company, who is engaged in drilling work for Ground Water extraction prior to commencement of Rule, shall make, in **Form 5(B),** an application referred to Section 18 of the Act, within a period of 180 days from the date of coming into force of the Rule, to the District Ground Water Management Council;

(3) On receipt of the application under sub rule (1) of rule 21, if the District Ground Water Management Council considers that the application is for issuance of a certificate of registration under Section 18, it shall, after being satisfied in its meeting, approve the case and grant certificate of registration in **Form 6(A)** to such drilling agency and if the concerned District Ground Water Management Council is not satisfied with the case, it shall refuse to grant certificate of registration and shall intimate accordingly to such person in **Form 7(A);**

(4) On receipt of the application under sub-rule (2) of rule 21, the District Ground Water Management Council shall issue certificate of registration in **Form-6(B)** to such drilling agency;

(5) If any person including firm, agency or company, desires to perform drilling work in more than one District, he or she or as the case may be, shall be required to submit separate application for each District;

(6) If any person including firm, agency or company, who has already obtained registration certificate for drilling work in one district and also wants to register in another District, he or she shall make, in Form 5(A) an application. He or she shall also have to up-load a copy of registration already obtained with the Form;

(7) On receipt of the application under sub-rule (6) of rule 21, the District Ground Water Management Council shall issue certificate of registration in Form 6(B) to such drilling agency within seven days of receiving the application;

(8) District Ground Water Management Council shall also ensure that drilling agency registered under sub-rule (3), sub-rule (4) and sub-rule (7) shall not execute drilling work in notified area.

(9) Registered drilling agencies shall also provide details of drilling work executed in every month online.

(10) Any decision taken by the concerned District Ground Water Management Council, under this rule regarding grant or refusal of certificate of registration shall be intimated to the user electronically, within a period of one month from the date of receipt of such applications.

(11) User may also receive a duly signed copy of registration from office of the District Ground Water Management Council.

(12) Separate registers for issuance of registration certificate to drilling agencies shall be maintained by District Ground Water Management Council.

(13) It will be mandatory for all registered drilling agencies to equip their drilling rig machine with GPS System.

22. Application Fee.-

(1) Any applicant under rule 21(1)(2)(6) shall deposit such amount of fee as prescribed in Schedule–V.

(2) The application fee referred to in sub-rule (1) above, shall be paid online and shall be deposited in Ground Water Conservation Fund (Bhujal Sanrakshan Kosh).

CHAPTER – V
GRANT OF PERMISSION

23. Exemption.- Following categories of users/persons shall be exempted from seeking Permission for Ground Water Abstraction.-

(i) Individual domestic consumers in both rural and urban areas for drinking water and domestic uses where public water supplies do not exist;

(ii) Rural drinking water supply schemes;

(iii) Armed Forces Establishments and Central Armed Police Forces establishments in both rural and urban areas;

(iv) Agricultural Consumers for agriculture activities including fishery culture, dairy, horticulture and veterinary uses;

(v) Micro and small Enterprises drawing ground water less than 10 cum/day;

(vi) All industries/ mining projects/ infrastructure projects drawing ground water only for drinking/ domestic purposes up to 5 Cum /day in all assessment units;

(vii) Residential Apartments and Group Housing Societies:-

(a) For drinking water and domestic uses, drawing ground water up to 20 m3 /day subject to the conditions mentioned in **Schedule-VI** of the rule.

(b) Dwelling units for Economically Weaker Sections (EWS) under Government schemes:

However, above all ground water users shall get themselves registered with the appropriate body as the case may be.

24. Procedure for issuance of permission certificate for users.- (1) Any future or existing user, under sub-clause (1) of rule 14, who does not have No Objection Certificate issued by Central Ground Water Authority or by Water Resources Department, Chhattisgarh shall make, in **Form 4(B),** an application to the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority for issuance of grant of Permission.

(2) **Form 4(B)** shall be downloaded free of cost from the online web portal of Authority.

(3) Such forms not duly filled and enclosed with required documents in **Form 4(B)**, shall be liable to be rejected.

(4) All new/existing industries, industries seeking expansion, infrastructure projects and mining projects abstracting ground water, unless specifically exempted as mentioned in Chapter-V of these rules, will now be required to seek permission from Chhattisgarh Ground Water Authority.

25. Procedure for renewal of no objection certificate.- (1) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using Ground Water in notified or non-notified areas, and having valid No-Objection Certificate issued by the Central Ground Water Authority before the date of

commencement of the Act, and desires to continue extraction of Ground Water, shall make an application in **Form 4(C).**

(2) A user, having pre-existing right of Ground Water, shall apply for renewal of No-Objection on or before the expiry of the validity of existing No-Objection Certificate.

26. Disposal of application for grant of permission by Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority.-

(1) Application as received above shall be Scrutinized by District Ground Water Management Council in accordance to the provisions of Rules and shall be forwarded to Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority.

(2) On receipt of the application under rule 24, if, the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority considers that the application is for issuance of grant of Permission under Section 12 of Act, it may grant Permission in **Form 4(D)** to the user and if the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority is not satisfied with the case, it shall refuse to issue Permission and shall intimate accordingly in **Form 4(F)**.

(3) Permission issued under sub-rule (2) shall be valid for a period as prescribed in Schedule-IV (A). In case of violation of any of the condition of Permission Certificate or change in Ground Water status of the area, Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority shall have the right to either cancel Permission or impose restriction as the Authority finds appropriate.

(4) On receipt of the application under rule 25, District Ground Water Management Council forwards the application to the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority after scrutiny with comments. On recommendation of District Ground Water Management Council, Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority, may renew Permission in **Form 4(E)** for a period as prescribed in Schedule-IV(A).

(5) Any decision taken by the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority, under this rule regarding grant or refusal of Permission shall be intimated to the user electronically, within a period of ninety days from the date of receipt of such application:

Provided that the user may receive the copy of the intimation by hand from the office of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority.

27. Register for grant of permission.- Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority shall maintain separate register for issuing certificate of Permission in prescribed form.

28. Application fee for grant of permission certificate and fee for ground water extraction/drawl.-

(1) A Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user seeking permission to extract Ground Water shall deposit such amount of fee as may be prescribed in Schedule-IV(A). The Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority may review the amount of fee for different category of users of Ground Water from time to time.

(2) After grant of Permission on an application referred to in sub-rule (1) of rule 24, an annual amount of fee/Levy for Ground Water extraction, as prescribed in Schedule-VIII shall be deposited annually by such user. The Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority may review the amount of fee of extraction for different category of users of ground water, from time to time.

(3) The fee referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) shall be paid in such manner as prescribed in **Form 4(B)** and shall be deposited in Ground Water Conservation Fund (Bhujal Sanrakshan Kosh).

CHAPTER – VI

FIXING LIMIT OF ABSTRACTION OF GROUND WATER FOR COMMERCIAL, INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURAL OR BULK USER

29.Procedure for fixing limit.-

(1) For fixing Ground Water abstraction limit for all the existing Commercial, Industrial, Infrastructural or bulk users of Ground Water, the Water Resources Department, in consultation with stakeholders, shall submit a proposal to the Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority.

(2) On the basis of proposal submitted by Water Resources Department, the Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority may fix Ground Water Abstraction limits for all the Commercial, Industrial, Infrastructural or bulk users of Ground Water.

(3) Ground Water Abstraction limits fixed under sub-rule (2) shall be written in the registration or grant of Permission Certificate for wells of existing Commercial, Industrial, Infrastructural or bulk users of Ground Water in notified as well as non notified areas and for all the new Commercial, Industrial, Infrastructural or bulk user of Ground Water in notified areas, as the case may be.

CHAPTER – VII

USE OF APPROPRIATE TECHNOLOGY FOR MONITORING OF GROUND WATER USAGE

30. Use of technology for monitoring of machinery system.-

(1) For Monitoring of exploitation of Ground Water, appropriate technology shall be used to monitor and collect the required data for various categories of ground Water users and power to use such technology shall be vested with appropriate authority.

(2) It will be mandatory for all users of Ground Water to provide and share information and to abide by such instructions of the appropriate authority on the use of specific software, applications, tools and smart meters etc.

(3) The appropriate Authority shall make use of available technology to collect real-time information/data of the Ground Water exploitation/usage.

(4) Use of technology such as Geo-tagging of Ground Water Abstraction structure, GPS technology for rig machine, Water supply tanker, IoT-based sensors and such other technology available in future may be used.

CHAPTER–VIII

VIOLATION, OFFENCES, PENALTIES AND COMPOUNDING OF OFFENCES

31. Process of compounding of offences.-

(1) The violation and offences defined in Section 18 and 19 of the Act shall be dealt with and penalized as per Schedule-IX and provisions made under respective sections of the Act.

(2) The application for compounding of an offence shall be made in the form appended as Appendix-B to these rules.

(3) The compounding fee shall be applicable as per provisions of the section 21 of the Act read with Table-9.1, 9.3, 9.4 and 9.5 of Schedule-IX of this rule.

(4) Information and data regarding the security arrangement for any old, incomplete, defunct, abandoned or un useful tube/bore well as described in Section 19(1)(e) of the Act shall be dealt and maintained as per I.B of Schedule-IX.

32. **Delegate of the powers.-** CGGWA/ District Ground Water Management Council may delegate powers to any person/group of persons to inspect any premises, ask for records, to enter into any premises, inspect installation of tools & equipments and call for records and seizure of equipments/premises etc. in case of violation. Such person/group of persons shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

33. **Employees of the Authority to be Public Servants.** - All employees of the State Ground Water Management and Regulatory Authority and other authorized persons when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Rule shall deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

34. **Introduced of the scheme.-**The State Government/CGGWA may introduce one-time settlement schemes or any other schemes for regularization of existing irregular Ground Water usages.

CHAPTER – IX
GRIEVANCE REDRESSAL

35. **Procedure for grievance redressal.-**

(1) Any aggrieved person may submit his or her grievance with sufficient justification online at web portal of Authority on issues referred to Section 23 of the Act.

(2) The District Ground Water Grievance Redressal Officer may, if require, issue notice to the alleged user to submit his or her explanation within a period of thirty days from the receipt of Grievance application.

(3) The alleged person shall submit his or her explanation to District Ground Water Grievance Redressal Officer, within a period of thirty days of receiving notice.

(4) District Ground Water Grievance Redressal Officer shall decide the grievance and communicate his or her decision to the aggrieved person within thirty days of receiving of explanation of alleged user:

Provided that the aggrieved person may prefer an appeal against the decision of the District Ground Water Grievance Redressal Officer to the State Ground water Management and Regulatory Authority within sixty days from the date of receipt of the decision of the District Ground Water Grievance Redressal Officer.

CHAPTER –X

PROCESS FOR FIXING STANDARDS OF TREATED WASTE WATER, INSTALLATION OF THE TREATMENT PLANT AND RAIN WATER HARVESTING

36. Power of the appropriate body to call for information.- An Appropriate body may call any information from any Government Department or any other person which is required for efficient discharge of its duties and functions and the said Department and person shall be bound to furnish such information within a reasonable time.

37. Process for fixing standards of treated waste water.-

(1) On the direction of the Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority, the Water Resources Department, in consultation with Central Ground Water Board, Central and State pollution control boards, Department of Urban Administration / Public Health Engineering Chhattisgarh shall submit a proposal to it for approval of standards for treated waste within such time as may be directed by the said Authority.

(2) On the basis of proposal submitted by Water Resources Department, State Ground water Management and Regulatory Authority shall approve standards for treated waste water.

(3) Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority shall issue direction to Ground Water user for compliance of approved standard while granting grant of Permission Certificate.

38. Procedure for installation of treatment plant.-

(1) The Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority shall ensure through District Ground Water Management Councils that all Commercial, Industrial, Infrastructural or bulk users of Ground Water that pollute Ground Water or Surface water, will install treatment plants within a period of one year from the date of commencement of these rules.

(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification of all industries in the district thereof, within two months from the date of commencement of these rules.

(3) On the basis of report of physical verification, the District Ground Water Management Council shall prepare a list of those industries, which have not constructed appropriate treatment plant. No user, whatsoever shall directly discharge polluted effluents in any water body/Nala/River/underground source of water.

(4) List of each district as prepared under sub-rule (3) shall be submitted to the Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority.

(5) The Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority shall direct the industries referred to in sub-rule (4) that the industries which have not installed appropriate treatment plants shall install the said plant within a period of six months from the date issuance of direction.

(6) After end of six-month period of direction under sub-rule (5), each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification of all industries in concerning districts in a two-month period. On the basis of report of physical verification, District Ground Water Management Council shall again prepare a list of those industries, which have not complied to the direction issued by Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority under sub-rule (5)

(7) List of each district as prepared under sub-rule (6) shall again be submitted to Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority.

(8) Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority shall take action against such user of ground water, who still fails to set up treatment plant within the said period by,-

(i) issuing order for constructions of necessary treatment plant at such user cost by the agency identified by the Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority.

(ii) directing District Ground Water Management Council of concerning district, to issue order for start of prosecution under the provisions of Section 19 of the Act.

39. Procedure for restriction for discharging untreated effluent into ground water or surface water.-

(1) Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority shall monitor through appropriate Authorities that –

(a) No Government department/undertaking/corporations/Urban body/ Panchayat and private organization or private user etc. discharges untreated effluents into Ground Water or Surface Water.

(b) No untreated Nala or sewer, etc. are directly discharged into rivers/ponds/lakes or any Ground Water or Surface Water.

(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification for process of effluent discharge adopted by such Government bodies as provided under sub-rule (1), within two months from the date of commencement from these rules.

(3) On the basis of report of physical verification, District Ground Water Management Council shall prepare a list of the Government bodies referred to in sub-rule (1), which have not adopted appropriate process for treating effluent and are directly discharging untreated effluent into Ground Water or Surface Water.

(4) List of each district as prepared under sub-rule (3) shall be submitted to State Ground water Management and Regulatory Authority.

(5) The Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority shall issue such instructions to government bodies referred to in sub-rule (4), so as to ensure,-

(a) the construction of appropriate treatment plants within one year from the date of issuance of the said instructions, or

(b) to make functional the existing treatment plant within six months from the date of issuance of the said instruction.

(6) At the end of period specified under sub-rule (5), each District Ground Water Management Council shall again conduct physical verification of those Government departments/undertakings/corporations/bodies, etc. which have not yet adopted appropriate processes for treating effluents and/or still directly discharging untreated effluents into Ground Water or Surface Water, within two months.

(7) List of those Government bodies who have not complied to the advisory issued by Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority under sub-rule (6) shall be submitted to Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority for action.

40. Process of imposing provisions for Rain Water Harvesting.-

(1) Appropriate body shall ensure that Rain Water Harvesting structures have been properly constructed by all users having plot area of 300 square meters or more. Installation of Rain Water Harvesting structures shall be made compulsory for different users:

Provided that in first phases, installation of Rain Water Harvesting structures shall be made compulsory for every such user, who have submersible pump or any similar ground water extracting device for extraction of ground water in his or her premises.

(2) In first phase every Government Department/Semi-Government Department/ Authorities/Aided Institution/Public sector Undertaking (either fully or partially funded by Government) Private Institutions or Organizations, having plot area of 300 square meter or more, or who are extracting ground water through submersible pumps or similar device, shall also ensure that Rain Water Harvesting structures have been properly constructed in their premises within one year of date of commencement of Rule.

(3) In second phase (after one year of first phase), every user other than those mentioned in sub-rule (2), having plot area of 300 square meter or more, or who are extracting ground water through submersible pumps or similar device, shall also ensure Rain Water Harvesting structures have been properly constructed in their premises, within one year of end of first phase.

(4) After installation of Rain Water Harvesting structures, every user shall inform online on web portal of Authority.

(5) If such user under sub-rule (2) and sub-rule (3), fails to do so, he or she or concerning body shall be punished in such manner and with such penalty as may be determined by the State Ground water Management and Regulatory Authority.

(6) Besides penalty referred to in sub-rule (5), submersible pump or any other ground water extracting device shall immediately be disconnected, sealed and seized by the District Ground Water Management Council.

(7) Area-specific design of Rain Water Harvesting structures and quantum of recharge shall be decided by Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority. Such designs shall also be made available online.

(8) Water resources department/Urban Administration Department/Public Health Engineering Department shall also assist for competent technical persons, who shall provide necessary technical assistance for installation of appropriate Rain Water Harvesting structures.

(9) Appropriate Authorities shall organize training programs for demonstrating Rain Water Harvesting techniques. Appropriate Authorities shall also invite different non-government organizations to participate in such training programs.

(10) Appropriate Authorities shall also conduct awareness campaign to sensitize different users for Rain Water Harvesting.

(11) All National/State level institutions like, 'All India Council of Technical Education', 'National Medical Commission', 'University Grants Commission', or other similar bodies shall also ensure compliances required as per these Rule including Installation of appropriate Rain Water Harvesting structures, smart meter etc. into premises.

(12) District Ground Water Management Council shall also issue direction to concerning implementing department to rejuvenate the defunct wells for water harvesting work.

(13) Appropriate Authorities shall also issue direction to concerning implementing department to take appropriate actions for water harvesting, viz, reuse the surplus drawl water from hand pumps, etc. in urban and rural areas.

CHAPTER – XI

GROUND WATER CONSERVATION FUND

41. Ground Water Conservation Fund.-

(1) The State Government has created a fund known as Ground Water Conservation Fund (Bhujal Sanrakshan Kosh) and all the receipts on account of penalties, registration fees, fee/levy on ground water abstraction, etc. shall be credited to this fund.

(2) Ground Water Conservation Fund shall be utilized for Conservation and Recharge of Ground Water. This fund shall also be used for development of monitoring mechanism of ground water abstraction, infrastructure development of appropriate Body, for usage of appropriate technology including Software & Hardware, hiring of consultants & experts and other personnel as may be required.

CHAPTER – XII

MISCELLANEOUS

42. Identification of the running schemes.-

(1) District Ground Water Management Council shall identify such existing either Government or privately run schemes which either encourage excessive Ground Water drawl or have adverse impact on water quality of that area.

(2) District Ground Water Management Council shall submit proposal for revisiting such schemes to State Ground water Management and Regulatory Authority.

(3) Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority shall take immediate action and will issue direction to concerned departments/owners to change or redesign their existing policies or schemes. All concerned departments/owner shall have to change or redesign their existing policies or schemes in such delineated zones.

43. Norms prescribed.- The diameter and depth of the bore well used/to be used for drinking water purposes shall be as per the norms prescribed by Public Health Engineering /Urban Administration Department.

44. Decision to the Cases.- Anything, which has not been provided in these rules shall be put before Chhattisgarh Ground water Management and Regulatory Authority. Decisions, in such cases shall be taken in consonance with the provisions of Act, and communicated accordingly.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJESH SUKUMAR TOPPO, Secretary.

SCHEDULE–I

Industrial Use: -In Over-exploited assessment units, permission shall not be granted for ground water abstraction to any new industry except those falling in the category of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). However, permission for drinking/ domestic use for work force, green belt use by these new industries shall be permitted. Expansion of existing industries involving increase in quantum of ground water abstraction in over-exploited assessment units shall not be permitted. Permission shall not be granted to new packaged water industries or water intensive industries (Annexure-IX) in Overexploited areas, even if they belong to MSME category.

Permission for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:-

(i) Permission shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.

(ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependenceon ground water resources.

(iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m3 /day shall be required to undertake biennial (once in two years) water audit through certified auditors of agencies as approved by CGGWA and submit audit reports within three months of completion of the same to CGGWA. Compliance of the earlier given reports may be checked by certified water auditors after one year and the report in this regard may be shared with CGGWA. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next three years through appropriate means.

(iv) In industrial areas (as designated or, notified by Central/State Government), Central Ground Water Board (CGWB) shall construct need-based piezometers as per local hydro-geological conditions and further monitor water levels.

In other than industrial areas as mentioned above, construction of observation well(s)/(piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in **Schedule-IX(VI)** shall be mandatory for industries/Infrastructure drawing/ proposing to draw more than 100 m3 /day of ground water for Hard rock aquifer type and more than 500 m3 /day of ground water for Alluvium aquifer type. Monitoring of water levels in these areas shall be done by the project proponents. Minimum distance between the abstraction structure and piezometer will be 15 m if the aquifer tapped is hard rock and 50 m if the aquifer is alluvium. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/wells. Detailed guidelines for design and construction of piezometers are given in **Annexure-II**. Monthly water level data shall be submitted to the CGGWA through the web portal.

(v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughterhouse, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry and accordingly reduce their abstraction of ground water requirement.

(vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.

(vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g., Tanning, Slaughterhouses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution **(Annexure-III).**

(viii) All industries drawing ground water in safe, semi-critical and critical assessment units shall be required to pay ground water abstraction charges as applicable as per Tables 8.2A and 8.3A. of **Schedule-VIII.**

(ix) All existing industries drawing ground water in over-exploited assessment units shall be liable to pay ground water restoration charges as applicable as per Tables 8.2 B and 8.3 B. of **Schedule-VIII.**

(x) It will be mandatory for every Industrial ground water user to have equipped their ground water abstraction structure with digital flow meter

Documents to be submitted with the application

(a) An affidavit on non judicial stamp paper of Rs. 100.00 (Rs. One Hundred only) regarding non availability of water supply from local government agencies in cases where ground water requirement is up to 10 m^3/day.

(b) Certificate regarding non/ partial availability of fresh water/ treated waste water supply from the local government water supply agency, where such agency is responsible to supply water for industrial purpose, in cases where requirement of ground water is more than 10 m^3/day.

(c) In case of saline ground water extraction, ground water quality data of existing bore well/ tube well/ dug well from any NABL accredited laboratory or Government approved laboratory.

Note: In case of new projects, water quality data / report of nearby existing wells from above-mentioned laboratories may be submitted for saline ground water extraction

(d) For all new projects, document as proof of new establishment / commencement of operation i.e. Consent to Establish/ Environmental Clearance/ any other document from a statutory agency.

(e) Copy of Rain Water Harvesting Plan submitted to Government agency by the applicant or a proposal for rain water harvesting/ recharge in the project premises as per the prevailing Model Building Bye Laws issued by Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India..

(f) **Impact Assessment report:** All projects extracting/proposing to extract ground water in excess of 100 m3 /day in Over-exploited, Critical and Semi-critical areas and in excess of 500 m3 /day in areas underlain by non-alluvium and 2000 m3 /day in areas underlain by alluvium in Safe assessment units shall have to mandatorily submit impact assessment report and ground water modeling study of existing/ proposed ground water withdrawal on the ground water regime covering 5 KM radius area around the project site prepared by accredited consultants. Pro-forma for the report is given in **Annexure-IV**

SCHEDULE-II

MINING PROJECTS:-

All existing as well as new mining projects will be required to obtain permission for ground water abstraction. Since mining projects are location-specific, there will be no ban on grant of Permission for abstraction of ground water for such projects in over-exploited assessment units.

Permission for mining projects shall be granted subject to the following specific conditions:

(i) It shall be mandatory for all the mining industries to ensure that water available from de-watering operations is properly treated and should be gainfully utilized for supply for irrigation, dust suppression, mining process, recharge in downstream and for maintaining e-flows in the river system.

(ii) Construction of observation well(s) (piezometers) along the periphery in the premises, for monthly ground water level monitoring, shall be mandatory for mines drawing/ proposing to draw more than 100 m3 /day of ground water. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be commensurate with aquifer used for irrigation/drinking water in the buffer area. Detailed guidelines for design and construction of piezometers are given in Annexure-II.

(iii) In addition, the proponent shall monitor ground water levels by establishing observation wells (piezometers) in the core and buffer zones as specified in the Permission.

(iv) In case of coal and other base metal mining the project proponent shall use the advance dewatering technology (by construction of series of dewatering abstraction structures) to avoid contamination of surface water.

(v) In addition to this, all mining units shall also monitor the water quality of mine seepage and mine discharge through NABL accredited/ Govt. approved laboratories and the same shall be submitted atthe time of self compliance.

(vi) All mining projects drawing ground water in safe, semi-critical and critical assessment units shall be required to pay ground water abstraction charges as applicable as per Tables 8.4 A. of Schedule-VIII.

(vii) All mining projects drawing ground water in over-exploited assessment units shall be liable to pay ground water restoration charges as per Table 8.4 B. of Schedule-VIII

(viii) All the mining projects purchasing ground water from the irrigation tube wells through tankers shall be liable to pay ground water restoration charges as per the table 8.4A and 8.4 B. of Schedule-VIII.

Documents to be submitted with the application

(a) Mining plan approved by the concerned Govt. agency/ department.

(b) Copy of Rain Water Harvesting Plan submitted to Government agency by the applicant or a proposal for rain water harvesting/ recharge in the project premises as per the prevailing Model Building Bye Laws issued by Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India or as feasible in the mine premises and as approved by CGGWA/State agencies.

(c) Comprehensive report prepared by accredited consultant on ground water conditions in both core and buffer zones of the mine, depth wise and year wise mine seepage calculations, impact assessment of mining and dewatering on ground water regime and its socio-economic impact, details of recycling, reuseand recharge, reduction of pumping with use of technology for mining and water management to minimize and mitigate the adverse impact on ground water, based on local conditions. Format for reportis given in **Annexure-V**

(d) For all new projects, document as proof of new project commencement operation i.e. Consent to Establish/ Environmental Clearance / any other document from a statutory agency.

SCHEDULE-III

INFRASTRUCTURE PROJECTS: Since infrastructure projects are location specific, grant of Permission to such projects located in over-exploited assessment units shall not be banned. New infrastructure projects/ residential buildings may require dewatering during construction activity and/ or use ground water for construction. In both cases, applicants shall seek Permission from CGGWA before commencement of work. However, in over-exploited assessment units, use of ground water for construction activity shall be permitted only if no treated sewage water, or Surface water is available within 10 km. radius of the site. New as well as existing Infrastructure projects shall also be required to seek Permission for abstraction of ground water.

No Permission shall be granted for extraction of groundwater for Water Parks, Theme Parks and Amusement Parks in over-exploited assessment units.

Commercial infrastructure projects requiring ground water for drinking /domestic use shall also be covered under this category. Further, the Indicative list of location-specific Infrastructure projects is given in **Annexure-VI**.

The Permission for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions :

(i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regularmonitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data through the web portal to CGGWA as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by CGGWA.

(ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground waterrequirement is more than 50 m^3/day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing,gardening etc.

(iii) For infrastructure dewatering/ construction activity, Permission shall be valid for specific period asper the detailed proposal submitted by the project proponent.

(iv) All infrastructure projects drawing ground water in safe, semi-critical and critical assessment units shallbe required to pay ground water abstraction charges as applicable as per Table 8.3 A. of Schedule-VIII.

(v) All infrastructure projects (new/ existing) drawing ground water in over-exploited assessment units shall be liable to pay ground water restoration charges as per Table 8.3 B. of Schedule-VIII.

(vi) All stadiums, cricket grounds, and other sports grounds/courts, golf courses etc shall construct/install appropriate mechanism for artificial recharge of ground water / rain water harvesting

(vii) It will be mandatory for every infrastructure ground water user to have equipped their ground water abstraction structure with digital flow meter.

Documents to be submitted with the application:-

(a) In cases where dewatering is involved, submission of impact assessment report along with groundwater modelling in 5 km radius prepared by an accredited consultant on the ground water situation in the area giving detailed plan of pumping, proposed usage of pumped water and comprehensive impact assessment of the same on the ground water regime shall be mandatory. The report should highlight environmental risks and proposed management strategies to overcome any significant environmental issues such as ground water level decline, land subsidence etc.

(b) An affidavit on non-judicial stamp paper of Rs. 100.00 (Rs. One Hundred only) regarding non availability of water from any other source in case water is required for construction in safe and semi critical areas.

(c) Certificate from a government agency regarding non availability of treated sewage water or surface water for construction within 10 km. radius of the site in critical and over-exploited areas.

(d) Certificate of non-availability of water from local government water supply agency in respect of all categories of assessments units for commercial use.

(e) Copy of Rain Water Harvesting Plan submitted to Government agency by the applicant or a proposal for rain water harvesting/ recharge in the project premises as per the prevailing Model Building Bye Laws issued by Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India.

(f) Details of water requirement computed as per National Building Code, 2016 **(Annexure-I)**, taking into account recycling/ reuse of treated water for flushing, irrigating green areas etc. (in case of completed infrastructure projects for commercial use).

(g) Completion certificate from the concerned agency for infrastructure projects requiring water for commercial use.

(h) For all new projects, building plan approval or any other relevant document as proof of new project from a statutory agency.

SCHEDULE- IV

Application Fee: -

A. Application Fee (in Rupees) to be deposited along with the online application for **seeking Permissions for Ground Water Abstraction**.

1. **For Industrial use**:	A. 10-100 cum/day :	- 5000/-
	B. >100 – 500 cum/day:	- 10,000/-
	C. >500-1000 cum/day:	- 20,000/-
	D. >1000 cum/day :	- 25,000/-

In case of renewal, the application fee shall be deposited at the half of the above rates.

2. **For Infrastructure use**:	A. Government /PSU/Semi-Government:	10,000/-
	B. Others than above:	15,000/-

In case of renewal, the application fee shall be deposited at the half of the above rates

3. **For Mining use**:	A. Direct users	:	25,000/-
	B. Indirect users	:	10,000/-

In case of renewal, the application fee shall be deposited at the half of the above rates.

B. Application fee (in Rupee) to be deposited along with the online application for **Registration** of Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user of Ground Water

1. **For Industrial use**:	A. 10-100 cum/day :	1000/-
	B. >100 – 500 cum/day:	2500/-
	C. >500-1000 cum/day:	4000/-
	D. >1000 cum/day :	5000/-
2. **For Infrastructure use**:	A. Government /PSU/Semi-Government:	1000/-
	B. Others than above:	5000/-
3. **For Commercial Use**	All commercial users:	5000/-
4. **For Bulk User**	All bulk users:	5000/-
5. **For Mining use**:	A. Direct users	: 5,000/-
	B. Indirect users :	2500/-

Application Fee shall be deposited by the applicant online through link provided in the web portal of the Authority.

IV A – Validity/Renewal of Permission of Ground water abstraction

Permission of Ground water abstraction shall be renewed periodically, subject to the compliance of the conditionsmentioned therein:

(i) The applicant shall apply for renewal of Permission of Ground water abstraction at least ninety days prior to expiry of its validity.

(ii) Application for renewal of Permission of Ground water abstraction shall be accompanied by the Compliance Report.

(iii) Before granting renewal, Chhattisgarh Ground Water Authority shall satisfy itself that the conditions of Permission of Ground water abstraction have been complied with.

(iv) In case of change in category of the assessment unit, renewals would be granted with conditions aslaid down for new category.

(v) Permission of Ground water abstraction will be renewed for the terms specified for various uses as follows:-

Category	Use	Validity of Permission	Renewal Period
Critical, Semi-critical and Safe	Infrastructure projects for drinking & domestic use and urban Water Supply Agencies	3 years	3 years
	Industries	3 years	3 years
	Mines	2 years	2 years
Over exploited	All users in 'Over-exploited areas'	2 years	2 years

(vi) If the application for renewal is submitted in time and the CGGWA unable to process the application in time, Permission of Ground water abstraction shall be deemed to be extended till the date of renewal of Permission of Ground water abstraction.

(vii) If the proponent fails to apply for renewal within 3 months from the date of expiry of Permission of Ground water abstraction, the proponent shall be liable to pay **Environmental Compensation as mentioned in Serial number IV under Schedule IX for the period starting from the date of expiry** of Permission of Ground water abstraction till Permission of Ground water abstraction is renewed by the competent authority.

IV B - Extension of Permission of Ground Water Abstraction-

If the proponent is unable to construct the well(s) during the validity period of Permission of Ground Water Abstraction for genuine reasons, the proponent will have to apply for extension of Permission of Ground Water Abstraction. Application for extension should be supported by documents justifying the reasons for delay. Other conditions for grant of extension of Permission of Ground Water Abstraction will be the same as that for fresh Permission of Ground Water Abstraction.

Extension of Permission of Ground Water Abstraction shall be granted for a maximum period of two years. Beyond two years the applicant will have to apply a fresh for grant of Permission of Ground Water Abstraction.

SCHEDULE-V

Registration of Drilling Rigs:

District Ground Water Management Council will be responsible for registering drilling rigs operating within their District and for maintaining the database of wells drilled by them. Appropriate link shall be provided in CGGWA portal for making the data available to CGGWA.

No person including firm, agency or company shall perform or engage in drilling the ground for extraction ofground water without registration with District Ground Water Management Council concerned.

It will be mandatory for all registered drilling agency to equip their drilling rig machine with GPS System.

Registered drilling agencies shall also online provide details of drilling work executed in every three months in appropriate link/ web portal.

Fee for Registration of Drilling Rigs:

Rs. 5000 Per Rig Per District for one Year

Non compliance of Registration shall be liable for penalty as per **serial number III under SCHEDULE-IX**

SCHEDULE-VI

Drinking & Domestic use for Residential apartments/ Group Housing Societies/ Government water supply agencies in urban areas;-

For grant of Permission for ground water extraction, the project proponent has to furnish the details as per the guidelines issued by the CGGWA in proper format as available in CGGWA website as per Annexure VIII. Permission for new /existing wells shall be granted only in such cases where the local Government water supply agency is unable to supply requisite amount of water in the area.

Installation of digital water flow meter (conforming to BIS/ IS standards) in all abstraction structure(s) shall be mandatory for all Residential Apartments and Group Housing Societies. All Residential Apartments and Group Housing Societies having swimming pools drawing ground water shall be mandatorily required to seek Permission.

Permission shall be granted subject to the following specific conditions:

(i) Installation of Sewage Treatment Plants shall be mandatory for all residential apartments/ Group Housing Societies where ground water requirement is more than 20 m^3/day. The water from Sewage Treatment Plants shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc.

(ii) The Permission shall be valid for a period of five years from the date of issue or till such time local Government water supply is provided to the project area, whichever is earlier. In case the project proponent receives water supply from the concerned local Government Water Supply Agency during the validity of the Permission, intimation regarding availability of public water supply shall be sent by the project proponent to CGGWA and Permission will be cancelled by the Authority. In other cases, the project proponent will apply for renewal of Permission, ninety days before the expiry of Permission.

(iii) Proponents shall be liable to pay ground water abstraction charges for the quantum of ground water proposed to be extracted, as per rates mentioned in Table 8.1.

(iv) It will be mandatory for every ground water user to equip their ground water abstraction structure with digital flow meter.

(v) Non compliance of condition iv above shall be liable for penalty as per **serial number III under SCHEDULE IX**

Documents to be submitted with the application

(a) Details of water requirement computed as per National Building Code, 2016 (**Annexure-I**), taking into account recycling/ reuse of treated water for flushing etc.

(b) Affidavit on non-judicial stamp paper of Rs. 100.00 (Rs. One Hundred only) by the applicant, confirming non/ inadequate availability of public water supply in case of users requiring ground water up to 10 m^3/ day for drinking/ domestic use.

(c) Certificate of non-availability of water from local government water supply agency in cases requiring groundwater in excess of 10 m^3/ day for drinking/

domestic use. Government water supply agencies applying permission shall submit copy of government approval of the scheme/ project proposed to be implemented.

(d) In case of saline ground water extraction, ground water quality data of existing bore well/ tube well/ dug well from any National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory or Government approved laboratory.

Note: In case of new projects, water quality data/report of nearby existing wells from above-mentioned laboratories may be submitted for saline ground water extraction

(e) Copy of Rain Water Harvesting Plan submitted to Government agency by the applicant or a proposal for rain water harvesting/ recharge in the project premises as per the prevailing Model Building Bye Laws issued by Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India.

(f) For all New projects, a self declaration/ affidavit (duly notarized) indicating date of completion of project shall be required.

SCHEDULE-VII

Commercial Use:

No new major industries (all industries other than MSME) shall be granted Permission in over-exploited assessment areas except as per the policy guidelines.

Availability of ground water shall be duly considered while granting Permission for commercial use.

Commercial entities extracting ground water shall be required to submit online water audit report including an audit of water use as mentioned in the relevant sections. State Ground Water Authority (CGGWA) shall publish all such audit reports online.

CGGWA will engage independent agencies to verify the compliance of Permission conditions periodically.

It will be mandatory for every commercial ground water user to have equipped their ground water abstraction structure with digital flow meter.

SCHEDULE-VIII

Ground water abstraction/ restoration charges

All residential apartments/ group housing societies/ Government water supply agencies in urban areas shall be requiredto pay ground water abstraction charges.

All industries/mining/ infrastructure projects drawing ground water in safe, semi-critical and critical assessment units will have to pay ground water abstraction charges based on quantum of ground water extraction and category of assessment unit as per details given in this guideline.

All existing mining/ infrastructure projects and existing industries including MSME drawing ground water in over- exploited assessment units will have to pay ground water restoration charges based on quantum of ground water extraction. Further, new MSME, new infrastructure and new Mining projects in over exploited areas shall also be required to pay ground water restoration charges.

Existing industries, infrastructure units and mining projects which have installed/constructed artificial rechargestructures in compliance of the conditions prescribed in the groundwater guidelines prevailing at the time of grant of Permission or its renewal shall be eligible for a rebate of 50% (fifty percent) in the ground water abstraction charges/groundwater restoration charges, subject to their satisfactory performance and verification.

The revenue generated from the proposed water abstraction/ restoration charges shall be kept in a separate fund for implementation of site-specific suitable demand/ supply side interventions.

8.1 Rates of Ground water abstraction /restoration charges

I. Drinking and domestic use for residential apartments/ group housing societies/ Government water supplyagencies in Urban areas

All residential apartments/ Group Housing Societies requiring water only for drinking/domestic use requiring Permission would pay ground water abstraction charges as per rates given below in **Table 8.1.**

Table 8.1 Ground Water Abstraction charges for Drinking & Domestic use.

Quantum of Groundwater withdrawal (m^3/day)	Rate of ground water abstraction charges (Rs. per m^3)
0-25	No charge
> 25- < 200	1.00
200 and above	2.00

Government/ Government-authorized agencies supplying water for drinking/ domestic use and Government infrastructure projects shall pay ground water abstraction charges @ Rs. 0.50 per m^3 irrespective of quantum of ground water abstraction.

II. Packaged Drinking Water units

Rates of ground water abstraction charges for packaged drinking water units in safe, semi-critical and criticalassessment units are given in Table 8.2 A and those for ground water restoration charges in over-exploited assessmentunits are given in Table 8.2 B.

Table 8.2 A: Rates of ground water abstraction charges for packaged drinking water units (Rs. per m^3)

S. No.	Category of area ↓ Groundwater use →	Quantum of ground water withdrawal				
		Up to 50m^3/ day	51 to <200 m^3/day	200 to <1000 m^3/day	1000 to <5000 m^3/day	5000 m^3/day and above
1.	Safe	1.00	3.00	5.00	8.00	10.00

2.	Semi-critical	2.00	5.00	10.00	15.00	20.00
3.	Critical	4.00	10.00	20.00	40.00	60.00

Table 8.2 B: Rates of ground water restoration charges for packaged drinking water units (Rs. per m^3)

S. No.	Category of area → ↓ Groundwater use	Quantum of ground water withdrawal				
		Up to 50 m^3/day	51 to <200 m^3/day	200 to <1000 m^3/day	1000 to <5000 m^3/day	5000 m^3/day and above
1.	Over-exploited (existing industries only)	8.00	20.00	40.00	80.00	120.00

III. Other Industries & infrastructure projects

Rates of ground water abstraction charges for other industries and infrastructure projects in safe, semi-critical andcritical assessment units are given in Table 8.3 A and those for ground water restoration charges in over- exploited assessment units are given in Table 8.3 B.

Table 8.3 A: Rates of Ground Water abstraction charges for other industries & infrastructure projects(Rs. per m^3)

S. No.	Category of area → ↓ Groundwater use	Quantum of ground water withdrawal			
		< 200 m^3/day	200 to <1000 m^3/day	1000 to <5000 m^3/day	5000 m^3/day and above
1.	Safe →	1.00	2.00	3.00	5.00
2.	Semi-critical	2.00	3.00	5.00	8.00
3.	Critical	4.00	6.00	8.00	10.00

Table 8.3 B: Rates of ground water restoration charges for other industries & infrastructure projects(Rs. per m^3)

S. No.	Category of area ↓ Groundwater use →	Quantum of ground water withdrawal			
		< 200 m^3/day	200 to <1000 m^3/day	1000 to <5000 m^3/day	5000 m^3/day and above
1.	Over-exploited (existing industries /new Industries as per the present Guidelines)	6.00	10.00	16.00	20.00

IV Mining projects

Rates of ground water abstraction charges for mining, which are drawing ground water in safe, semi-critical and critical assessment units are given in Table 8.4 A and those for ground water restoration charges in case of projects drawing ground water in over-exploited assessment units are given in Table 8.4 B.

Table 8.4 A: Rates of ground water abstraction charges for mining (Rs. per m^3)

S. No.	Category of area ↓ Groundwater use →	Quantum of ground water withdrawal			
		< 200 m^3/day	200 to <1000 m^3/day	1000 to <5000 m^3/day	5000 m^3/day and above
1.	Safe	1.00	2.00	2.50	3.00
2.	Semi-critical	2.00	2.50	3.00	4.00
3.	Critical	3.00	4.00	5.00	6.00

Table 8.4 B: Rates of ground water restoration charges for mining (Rs. per m^3)

S. No.	Category of area ↓ Groundwater use →	Quantum of ground water withdrawal			
		< 200 m^3/day	200 to <1000 m^3/day	1000 to <5000 m^3/day	5000 m^3/day and above
1.	Over-exploited	4.00	5.00	6.00	7.00

Water Abstraction and Restoration charges set-off Scheme.

Ground water charges shall be volumetric and shall be based on actual consumption. The initial quantity (up to 10 m3/day) shall be charged at the lowest applicable rate of the charges above and if the usage is exceeded the permitted quantities, the entire usage of water during the billing period shall be charged at higher rates mentioned in the said table.

The consumer will get due credit for conservation of water. The quantity of water conserved and/or recharged to ground water will be set-off with the usage of water consumed. The set-off water used and conserved and/or recharged shall be done at the end of the year.

V. Bulk Water Supply

All private tankers abstracting ground water and use it for supply as bulk water suppliers will now mandatorily seek Permission for ground water abstraction. The bulk water suppliers through tankers drawing ground water in safe, semi-critical and critical assessment units shall pay groundwater abstraction charges as per the **Table-8.5 A.** The bulk water suppliers drawing ground water in over- exploited assessment units shall pay the groundwater restoration charges as per the **Table-8.5 B.**

All those users abstracting ground water and using it for supply as bulk water supplies through private tankers shall mandatorily seek Permission for ground water abstraction as per Rules for Bulk water suppliers as issued and updated by CGGWA from time to time.

All tankers will have to install **GPS based system** for their monitoring of movement/area of operation.

Table-8.5A: Groundwater abstraction charges for Bulk/Tanker water supplies	
Category	Rate per m3 (in Rs.)
Safe	**10**
Semi Critical	**20**
Critical	**40**

Table-8.5 B: Groundwater restoration charges for Bulk/Tanker water supplies	
Category	Rate per m3 (in Rs.)
Over Exploited	**60**

VI. Abstraction of Saline ground water

Abstraction of saline ground water in areas having either saline ground water at all depths or pockets of saline ground water in an otherwise fresh water area for use by industries/ dewatering by infrastructure/ mining projects including those located in over-exploited areas would be encouraged. Such industries shall be exempted from paying ground water abstraction charges.

The list of such assessment units having saline ground water at all depths as per the latest assessment of dynamic ground water resources will be made available by the CGGWA in their website. However, due care shall be taken in respect of disposal of effluents by the units so as to protect the water bodies and the aquifers from pollution.

Abstraction of saline ground water shall be according to the Guidelines for Saline Ground Water Abstraction as issued and updated by CGGWA from time to time.

VII. Protection of Wetland Areas

The wet land areas in the State are very crucial as they are direct reflection of the presence of ground water in such areas. The protection of the wetland areas is being separately handled by the Wetland Authorities. Since ground water is very crucial for the survival of the wetland area, any excessive ground water development within the zone of wetland area would affect the volume of water in that wetland.

Projects falling within 500 m from the periphery of demarcated wetland areas shall mandatorily submit a detailed proposal indicating that any ground water abstraction by the project proponent does not affect the protected wetland areas. Furthermore, before seeking permission from CGGWA, the projects shall take consent/approval from the appropriate Wetland Authority/ State Authority or any other appropriate local government authority to establish their projects in the area.

VIII. ALL USERS EXTRACTING GROUNDWATER FOR SWIMMING POOLS

(New provision made as per public notice issued by CGWA on dated 20th July 2021)

Although individual domestic consumers are exempted from seeking Permission for ground water extraction in both rural and urban areas, all such users, whether existing or new, extracting ground water for swimming pools, shall be required to seek Permission from Chhattisgarh Ground Water Management and Regulatory Authority The users extracting ground water for swimming pools shall include Residential Apartments, Group Housing Societies, Townships, Bungalows/Villas, Farmhouses, Clubs, Hotels, Resorts, Sports/Swimming Complexes, Swimming Academies, Schools and other such Institutions. No Permission shall be granted for ground water abstraction for swimming pools for new users in over-exploited areas.

The entire process of grant of Permission shall be online through a web based application system and the applications for Permission can be submitted through online portal of CGGWA.

Permission shall be granted subject to the following specific conditions:

1. Permission for the extraction of ground water for swimming pools shall be granted only in such cases where the local Government water supply agency is unable to supply requisite amount of water in the area.

2. All such users shall be required to pay ground water abstraction/ restoration charges for the quantum of ground water proposed to be extracted, as per rates mentioned in the Table 8.3A & 8.3B, clause 3 of Schedule VIII of the Rule.

3. Installation of digital water flow meter (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure(s) shall be mandatory for all such users seeking Permission for the extraction of ground water for swimming pools and intimation regarding their installation shall be communicated to the CGGWA within 30 days of grant of Permission through the web-portal. The users shall mandatorily get water flow meter calibrated from an authorized agency once in a year.

4. All such users extracting ground water shall install roof top rain water harvesting & recharge systems in the premises as per the prevailing building bye laws in the State. Users will have to ensure that water from the swimming pools is not used for ground water recharge.

5. Extraction of ground water for swimming pools without a valid Permission from appropriate authority shall be considered illegal and such users shall be liable to pay Environmental Compensation for the quantum of ground water so extracted as per Table 9.4 of serial number IV of Schedule-IX of the Rule.

6. In case of violation of any of the Permission conditions, the proponents shall be liable to pay the penalties as per serial number III of Schedule-IX of the Rule.

7. To monitor the compliance of Permission conditions, District Collectors/Deputy Commissioners (DCs) /District Magistrates (DMs) are authorized to take enforcement measures like sealing of illegal wells, disconnection of electricity, launching of prosecution against those violating the Permission conditions and taking action for imposition of Environmental Compensation. Technical officers of CGGWA and State Water Resources Department are authorized to take actions with respect to monitoring and periodic inspections with the approval of competent authority.

SCHEDULE- IX

I A. General Compliance Conditions in Permission of Ground water abstraction

(i) Installation of tamper proof digital water flow meter/ Pre-Paid Meter (s) (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure(s) shall be mandatory for all users seeking Permission and intimation regarding their installation shall be communicated to the CGGWA within 30 days of grant of Permission through the web-portal.

In case the ground water extraction is from multiple bore/tube wells within the same premises, tamper-proof digital water flow meter(s)/Pre-Paid Meter (s) with telemetry can be installed at common outlet point(s).

(ii) Proponents shall mandatorily get water flow meter calibrated on from an authorized agency once in a year.

(iii) Proponents shall install roof top rain water harvesting & recharge systems in the project area.

(iv) Proponents shall pay ground water abstraction/ restoration charges based on quantum of ground water extraction as applicable as per the rates given in Schedule-VIII.

(v) Purpose-built observation wells (piezometers) for ground water level monitoring shall be installed as per **Schedule IX(VI)**. Water level data shall be made available to CGGWA through web portal. Detailed guidelines for construction of piezometers are given in **Annexure-II.**

(vi) Proponents shall monitor quality of ground water from the abstraction structure(s) once in a year. Water samples from bore wells/ tube wells / dug wells shall be collected during April/May every year and analyzed in NABL accredited laboratories for basic parameters (cations and anions), heavy metals, pesticides/ organic compounds etc. Water quality data shall be made available to CGGWA through the web portal.

(vii) If the existing well becomes defunct due to mechanical/other failure within the validity period of Permission, the user can construct a replacement well under intimation to CGGWA on web portal. The defunct well shall be properly sealed **(Refer *I.B* under Schedule-IX).** The user will be required tosubmit documentary proof in this regard. However, if the existing abstraction structures fails to yield water and the proponent desires to drill another tube well in the same premises, prior permission of the Authority shall be required. If the replacement well is to be drilled in some different place, the proponent shall obtain fresh Permission.

(viii) Wherever feasible, requirement of water for greenbelt (horticulture) shall be met from recycled / treated waste water.

(ix) In case of change of ownership, new owner of the premises will have to apply for incorporation of necessary changes in the Permission with documentary proof within 60 days of taking over possession of the premises.

I.B Safety Measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells

(i) The owner of the land/ premises, before taking any steps for constructing bore well/ tube well shall inform in writing to the concerned District Ground Water Management Council about the construction of bore well/ tube well (refer Form 8A) .

(ii) Registration of all the drilling agencies, namely Government/ Semi Government, Private etc.

shall be mandatory with the District Ground Water Management Council.

(iii) Following safety measures shall be taken by the owner and drilling agency of the tube/bore well

(a) There shall be a signboard near the tube/bore well with complete address of the user agency/owner of the well and address of the drilling agency at the time of construction/ rehabilitation of well as per Annexure-X .

(b) Erection of barbed wire fencing or any other suitable barrier around the tube/bore well.

(c) Construction of cement/ concrete platform measuring 0.50x0.50x0.60 meter (0.30 meter aboveground level and 0.30 meter below ground level) around the well casing.

(d) Capping of well assembly by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe with bolts & nuts.

(e) In case of pump repair, the tube well should not be left uncovered.

(f) Filling of mud pits and channels after completion of works.

(g) Filling up abandoned bore wells by clay/sand/boulders/pebbles/drill cuttings etc. from bottom to ground level.

(h) On completion of the drilling operations at a particular location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling.

(iv) District Collector shall have power to verify the compliance of the above safety measures and proper monitoring check through the District Ground Water Management Council.

(v) District/ Block/ Village wise status of bore wells/tube wells drilled viz. No. of wells in use, No. of abandoned bore wells/ tube wells found open, No. of abandoned bore wells/ tube wells properly filled up to ground level and balance number of abandoned bore wells/ tube wells to be filled up to ground level is to be maintained at District Ground Water Management Council as per Annexure-XI.

(a) In rural areas, the monitoring of the above is to be done through Village Sarpanch and the Executive from the Agriculture Department.

(b) In case of urban areas, the monitoring of the above is to be done through Junior Engineer and the Executive from the concerned Water Resources Department /Public Health/ Municipal Corporation etc.

(c) Owner of the tube well and drilling agency of the tube well shall be responsible for reporting and uploading the above details as per Annexure XII on designated web portal.

(vi) Random inspection of the abandoned wells shall be done by the Executive of the concerned agency/ department. Information on all such data on the above are to be maintained in the District Ground Water Management Council.

II. Monitoring of compliance of Permission of Ground Water Abstraction Conditions

To monitor the compliance of Permission of Ground Water Abstraction conditions, Chhattisgarh Ground Water Authority shall take the following steps:

(a) Suitable MIS will be developed for compliance monitoring.

(b) District Collectors/District Magistrates (DMs) are authorized to take enforcement measures like sealing of unauthorized ground water abstraction structures, disconnection of electricity, launching of prosecution against those violating the Permission of Ground Water Abstraction conditions and taking action for imposition of Environmental Compensation as per **serial number IV under Schedule-IX**.

(c) Technical officers of CGGWA and Water Resources Department, State groundwater organizations are authorized to take actions with respect to monitoring and periodic inspections with the approval of competent authority.

(d) In case of violation of any of the Permission of Ground Water Abstraction conditions, the proponents shall be liable to pay the penalties as per **serial number III under Schedule-IX**

III. Provision of Penalty and Charges for correction/modifications in Permission.

Penalty shall be imposed on the proponents for non-compliance of Permission of Ground Water Abstraction conditions issued by the appropriate authority. Rates of penalty proposed for non-compliance of various conditions of Permission of Ground Water Abstraction are given in Table 9.1. The rates of the penalty shall be reviewed periodically with the approval of competent authority.

Table 9.1: Penalty provision for non Compliance of Permission of Ground Water Abstraction conditions

S. No.	Items	Charges in Rs.
1	Non installation/faulty Digital water Flow meter with telemetry system.	2,00,000
2	Non disclosure/ construction of additional groundwater abstraction structures a) Functional / Non-functional Structures. b) Defunct/Abandoned Note: Given rates are for unit Functional/non-functional/ defunct/ abandoned structures. This shall be multiplied with total such structures to arrive at consolidated penalty.	2,00,000 1,00,000
3	Reporting of fresh water zones as Brackish / Saline zones in application.	2,00,000
4	Non Installation of Piezometer.	2,00,000
5	Non Installation/faulty DWLR/Telemetry system	1,00,000
6	Non Construction/Inadequate capacity of Recharge / Water conservation structures.	5,00,000
7	Non maintenance of water conservation structures/ recharge structures.	2,00,000
8	Injection of treated/untreated water into the aquifer system. Note: In addition to penalty, the proponent shall bear the cost of aquifer remediation as per the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.	10,00.000
9	Non Submission of Water level/Water quality Data.	50,000
10	Non-maintenance of log book of daily withdrawal/non submission ofGroundwater abstraction data.	50,000
11	Non submission of photograph of recharge structure(s).	50,000
12	Non Submission of Self Compliance report.	1,00,000
13	Construction of groundwater abstraction structures by un authorized/unregistered Drilling Rigs (per structures).	1,00,000
14	Non registration of water supply tankers.	5,00,000
15	Submission of false information/ undertaking.	1,00,000
16	Non registration of Rig Machine	1,00,000

Application fee for fresh/ renewal of Permission shall be charged as per the rates prescribed by CGGWA from time to time and intimated through the official web portal. Fee shall also be payable for correction/ modification in the existing issued Permission. The details of such charges are given in Table 9.2

Table 9.2: Charges/Fee for correction/Modification or alteration in the existing issued Permission of Ground Water Abstraction

S. No.	Items	Charges in Rs.
1	Change in User ID	5,000
2	Change in firm Name	5,000
3	Extension of Permission of Ground Water Abstraction	5,000
4	Issuance of duplicate Permission of Ground Water Abstraction	5,000
5	Issuance of corrigendum to Permission of Ground Water Abstraction	5,000
6	Any other items/corrections etc	5,000

IV. Environmental Compensation

Extraction of ground water for commercial use by industries, infrastructure units and mining projects without a valid Permission of Ground Water Abstraction from appropriate authority shall be considered illegal and such entities shall be liable to pay Environmental Compensation for the quantum of ground water so extracted. The norms prescribed by Central Pollution Control Board (CPCB) shall be utilized for calculating the Environmental compensation as mentioned below:

EC_{GW} = Ground water consumption per day x Environmental Compensation rate (ECR_{GW}) x No. of days x Deterrence factor

where ground water consumption is in m3/day and ECR_{GW} in Rs./ cum

A. Rates of Environmental Compensation:

Rates of Environmental Compensation (ECR_{GW}) for various types of users in different categories of assessment units are given in Table 9.3 to 9.5.

Table 9.3 : ECR_{GW} for Packaged Drinking Water units

S.No.	Area Category	Water Consumption (cum/day)			
		<200/	200 to <1000	1000 to <5000	5000 & above
		Environmental Compensation Rate (ECRGW) in Rs./m3			
1	Safe	12	18	24	30
2	Semi critical	24	36	48	60
3	Critical	36	48	66	90
4	Over- exploited	48	72	96	120
Note :-Minimum EC_{GW} shall not be less than Rs 1,00,000/-					

Table 9.4: ECR_{GW} for Mining/ infrastructure dewatering projects

S.No.	Area Category	Water Consumption (cum/day)			
		<200	200 to <1000	1000 to <5000	5000 & above
		Environmental Compensation Rate (ECRGW) in Rs./m3			
1	Safe	15	21	30	40
2	Semi critical	30	45	60	75
3	Critical	45	60	85	115
4	Over- exploited	60	90	120	150
Note :-Minimum EC_{Gw} shall not be less than Rs 1,00,000/-					

Table 9.5: ECR_{GW} for Industrial units

S.No.	Area Category	Water Consumption (cum/day)			
		<200	200 to <1000	1000 to <5000	5000 & above
		Environmental Compensation Rate (ECRGW) in Rs./m3			
1	Safe	20	30	40	50
2	Semi critical	40	60	80	100
3	Critical	60	80	110	150
4	Over- exploited	80	120	160	200
Note :-Minimum EC_{Gw} shall not be less than Rs 1,00,000/-					

B. <u>Deterrent Factors to compensate losses and environmental damage (for packaged drinking waterunits, mining, industries and infrastructural dewatering projects)</u>

The following deterrent factors based on the duration of illegal ground water extraction shall be levied tocompensate for the losses and environmental damages as detailed in Table 9.6..

Table 9.6 : Deterrent factor based on quantum of ground water withdrawal and number of years of illegal withdrawal

S.No.	Water Consumption	Deterrence Factor		
		< 2 years	2-5 years	>5 years
1	<1000 KLD	1.00	1.00	1.25
2	1000-5000 KLD	1.00	1.00	1.50
3	>5000 KLD	1.00	1.25	2.00

Note: KLD – Kilolitre per day

V. <u>Other important Conditions (Applicable to all):</u>

(i) Sale of ground water by a person/ agency not having valid Permission of Ground Water Abstraction from CGGWA is not permitted.

(ii) In infrastructure projects, paved/parking area must be covered with interlocking/perforated tiles or other suitable measures to ensure groundwater infiltration/harvesting.

(iii) In case of Infrastructure projects, the firm/entity shall ensure implementation of dual water supply system in the projects. Compliance of the same shall be submitted through the web portal.

(iv) Non-compliance of conditions mentioned in the Permission of Ground Water Abstraction may be taken as sufficient reason for cancellation of Permission of Ground Water Abstraction accorded/ non-renewal of Permission of Ground Water Abstraction.

(v) No application shall be entertained without supporting documents as specified in relevant sections.

(vi) Abstraction structure(s) should be located inside the premises of project property.

(vii) Self compliance of conditions laid down in the Permission of Ground Water Abstraction shall be reported by the usersonline in the web portal of Chhattisgarh Ground Water Authority Processing fee prescribed from time to time shall be charged for various services.

VI . Ground Water Level Monitoring

In other than industrial areas as mentioned hereafter, all the project proponents (drawing ground water more than 100 m^3 /day of ground water) for Hard rock aquifer type and more than 500 m^3 /day of ground water for Alluvium aquifer type have to mandatorily construct Piezometers (observation wells) within their premises for monitoring of the ground water levels. Further, in industrial areas (as designated or notified by Central/State Government), **Central Ground Water Board (CGWB)** shall construct need-based piezometers as per local hydro-geological conditions and further monitor water levels. Such a mechanism of compliance conditions has been made to ensure regular monitoring of ground water level in the project area. In this regard the necessary criteria for monitoring of water levels through piezometers by the project proponents is given in Table 9.7.

Table 9.7 No. of Piezometers with Digital Water Level Recorder (DWLR) and telemetry to be constructed & Type of Water Level Monitoring Mechanism

Sl. No.	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No. of piezometer(s) (with DWLR and telemetry required)
1.	0-100	0
2.	>100 (Hard rock aquifer type in other than industrial areas)	1
3.	>500 (Alluvium aquifer type in other than industrial areas)	1

The piezometer shall be suitably located to ensure that zone of aquifer tapped in the piezometer is the same as that of the pumping well.

Appendix-A

[See rule 10]

Qualification of non-official members of Appropriate Authorities

S.NO.	Members referred to in Rule 3	Qualification
1	Two subject experts as member of District Ground Water Management Council as mentioned in clause (d) of sub-section (2) of Section 4.	District Magistrate shall nominate two subject expert (Ground Water Expert) having Master Degree in Applied Geology / Geology with ground water subject as well as minimum ten years of working experience in ground water in the State of Chhattisgarh.
2.	Three subject experts as members of State Ground water Management and Regulatory Authority as referred to in serial no. 14 of sub-section (2) of Section 3.	State Government shall nominate three subject experts (Ground Water Expert) having Master degree in Applied Geology / Geology with ground water subject as well as minimum fifteen years longstanding working experience in the field of ground water Management related to different Hydrogeological conditions of Chhattisgarh.
3.	One eminent person from Public/Non Government Organization/Social sector as referred to in serial no. 15 of sub-section (2) of Section 3.	State Government shall nominate one eminent person from Public/Non-Government Organization/Social sector.

Appendix-B
Application form for Compounding of an Offence

(Under sub-section (3) of Section 21 of the Chhattisgarh Ground Water Management And Regulation Act, 2022)

S. No.	Particulars	Remarks
1	Name of the applicant	
2	Offences committed u/s *	
3	Status of case (i.e. whether contemplated/pending in Court/ convicted/ acquitted	
4	Particulars of offences along-with justification for compounding (separate sheet)	
5	Whether the applicant has paid the Amount of penalty and any other sum due relating to the offence?	
6	Whether the applicant undertakes to pay thecompounding charges as shall be Intimated by the compounding officer?	
7	Whether similar offences in the case of the applicant has been compounded earlier. If yes, how many times?	
8	Whether the application is for compounding of first offence referred to in Section 41?	
9	Whether the applicant was convicted by a court of law for the offence sought to be compounded	

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be in correct at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application is liable to be rejected *I* cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be filled for every offence.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incompleteapplications are liable for rejection. Any correction *I* alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification *I* Scrutiny, the application is liable for rejection.
4. Please attach the following documents along with the application:
   (a) Document showing proof of ownership of land;
   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID *I* ration card *I* any other proof of identification
   (c) Notice issued by District Ground Water Management Council against offence committedby the applicant.
5. The compounding Officer reserves the right to demand for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree ✓

Place
Date

Signature.....

Current address.....
.....
.....

* Offence for which compounding is sought

OFFICE SEAL

Annexure-I

Estimation of Water Requirements for drinking and domestic use (Source: National Building Code 2016, BIS)

(a) Residential Buildings:

Accommodations	Population
1 Bedroom dwelling unit	4
2 Bedroom dwelling unit	5
3 Bedroom dwelling unit	6
4 Bedroom dwelling unit and above	7

Notes:

(1) The above figures consider a domestic household including support personnel, wherever applicable.

(2) For plotted development, the population may be arrived at after due consideration of the expected number and type of domestic household units.

(3) Dwelling unit under EWS category shall have population requirement of 4 and studio apartment shall have population requirement of 2.

As a general rule the following rates per capita per day may be considered for domestic and non-domestic needs :

(a) For communities with populations up to 20,000 :

(1)	Water supply through stand post:	40 lphd (Min)
(2)	Water supply through house service: connection	70 to 100 lphd

(b) For communities with : 100 to 135 lphd
population 20,000 to 100,000 together with
full flushing system

(c) For communities with population : 150 to 200 lphd
above 100,000 together with
full flushing system

Note—The value of water supply given as 150 to 200 litre per head per day may be reduced to 135 litre per head per day for houses for Medium Income Group (MIG) and Low Income Groups (LIG) and Economically Weaker Section of Society (EWS), depending upon prevailing conditions and availability of water.

Out of the 150 to 200 litre per head per day, 45 litre per head per day may be taken for flushing requirements and the remaining quantity for other domestic purposes.

B. Water Requirements for Buildings Other than Residences

Sl. No.	Type of Building	Domestic litres per head/ day	Flushing Litres per head/ day	Total Consumption Litres per head/ day
1.	Factories including canteen where bath rooms are required to be provided	30	15	45
2.	Factories including canteen where no bath rooms are required to be provided	20	10	30
3.	Hospital (excluding laundry and kitchen): (a) Number of beds not exceeding 100	230	110	340

Sl. No.	Type of Building	Domestic litres per head/ day	Flushing Litres per head/ day	Total Consumption Litres per head/ day
	(b) Number of beds exceeding 100	300	150	450
	(c) Out Patient Department (OPD)	10	5	15
4.	Nurses' homes and medical quarters	90	45	135
5.	Hostels	90	45	135
6.	Hotels (up to 3 star) excluding laundry, kitchen, staff and water bodies	120	60	180
7.	Hotels (4 star and above) excluding laundry, kitchen, staff and water bodies	260	60	320
8.	Offices (including canteen)	25	20	45
9.	Restaurants and food court including water requirement for kitchen: a) Restaurants	55 per seat	15 per seat	70 per seat
	b) Food Court	25 per seat	10 per seat	35 per seat
10.	Clubhouse	25	20	45
11.	Stadiums	4	6	10
12.	Cinemas, concert halls and theatres and multiplex	5 per seat	10 per seat	15 per seat
13.	Schools/Educational institutions: a) Without boarding facilities	25	20	45
	b) With boarding facilities	90	45	135
14.	Shopping and retail (mall) a) Staff	25	20	45
	b) Visitors	5	10	15
15.	Traffic Terminal stations (a) Airports	40	30	70
	(b) Railway stations (Junction) with bathing facility	40	30	70
	(c) Railway stations (Junction) without bathing facility	30	15	45
	(d) Railway stations (Intermediate) with bathing facility	25	20	45
	(e) Railway stations (Intermediate) without bathing facility	15	10	25
	(f) Interstate bus terminals	25	20	45
	(g) Intrastate Bus Terminals/ Metro Stations	10	5	15

Notes:

1. For calculating water demand for visitors, consumption of 15 liter per head per day may be taken.
2. The water demand includes requirement of patients, attendants, visitors and staff. Additional water demand for kitchen, laundry and clinical water shall be computed as per actual requirements.
3. The number of persons shall be determined by average number of passengers handled by stations, with due considerations given to the staff and vendors who are using these facilities.
4. Consideration should be given for seasonal average peak requirements.
5. The hospitals may be categorized as Category A (25 to 50 beds), Category B (51 to 100 beds), Category C (101 to 300 beds), Category D (301 to 500) and Category E (501 to 750 beds).

Annexure-II

Guidelines for Construction of Piezometers and monitoring of Ground Water Levels and Quality

Piezometer is a borewell / tubewell used only for measuring the water level by lowering a tape/sounder or automatic / digital water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows :

- The piezometer is to be installed / constructed at the minimum distance of 15 m if the aquifer tapped is hard rock and 50 m if the aquifer is alluvium from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about four inches to six inches.
- The depth of the piezometer should be the same as that of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one pumping wells are constructed tapping aquifers at different depths, more than one piezometers shall be required to be constructed tapping different aquifers as inthe pumping wells.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tubewells has been stopped for about four to six hours.
- The ground water quality has to be monitored once in a year during pre-monsoon (April/ May) period by industries and mines drawing ground water. Samples of ground water should be analyzed from NABL accredited laboratory.
- A permanent display board should be installed at Piezometer/ Tubewell site for providing the location, piezometer/ tubewell number, depth and zone tapped of piezometer/tubewell for standard referencing and identification.
- Any other site-specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care off.

Annexur-III

Measures to be adopted to ensure prevention from pollution in the plant premises of polluting industries/projects

It has been observed that ground water in and around polluting industries like Tannery, Slaughter Houses, Dye, Chemical, Coal washery, other hazardous units, etc., is polluted. In order to prevent further deterioration of ground water quality, it is essential to take all necessary measures for well head protection. All industries/ projects falling under this category are hereby directed to follow the under mentioned procedure both for existing and new category.

1. No tube well/ bore well / dug well should be constructed in the vicinity of the processing unit. Tube well/ bore well should be constructed at the place which is hygienically maintained.
2. Only Mild Steel pipe should be used for assembly/ casing and PVC (Poly Vinyl Chloride) or similar pipes should not be used. The tube well/ bore well having PVC or similar pipes should be abandoned and filled back.
3. Around the tube well/ bore well, RCC (Reinforced Concrete Cement) grouting of 3 meters (length) x 3 meters (width) x 2 meters (depth) must be provided. The pipe of the tube well/ bore well must be raised 1 meter aboveground level (1 magl). The tube well/ bore well must be surrounded by RCC wall of 0.5 meter height and 1.5 meter depth to prevent any surface contamination to enter the constructed tube well/ bore well.
   Plan/Sectional diagram is enclosed for reference.
4. The tube well/ bore well must be fitted with NRV (Non-Return Valve) in order to ensure that theconstructed tube well/ bore well is exclusively used for abstraction of ground water only.
5. At no point of time there should be any injection of any water or fluid into the constructed tube well/bore well/ Piezometer.
6. The industries/ projects under this category should not implement any recharge measures within the plant premises.
7. Any tube well/ bore well located/ constructed in the vicinity of STP (Sewage Treatment Plant) or ETP (Effluent Treatment Plant) should be abandoned and filled back.

The piezometer to be constructed for monitoring purpose should follow the same procedure as that for tube well/ bore well for such industries/ projects.

Plan/ Sectional diagram showing well head protection

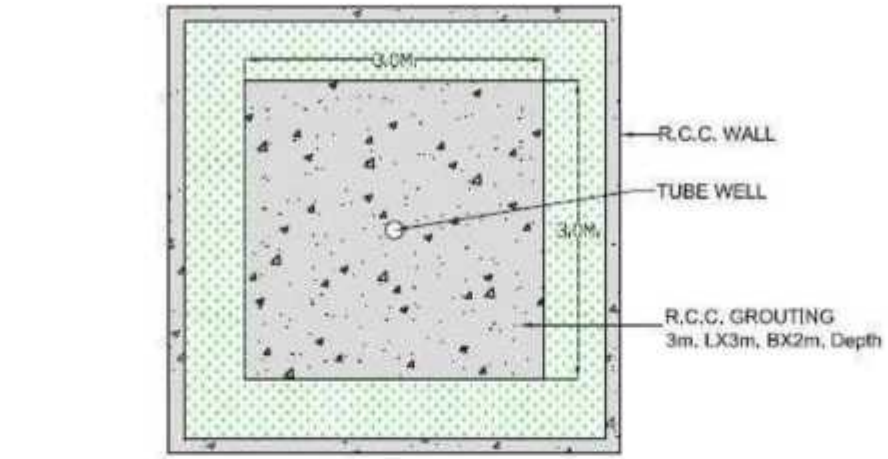

PLAN

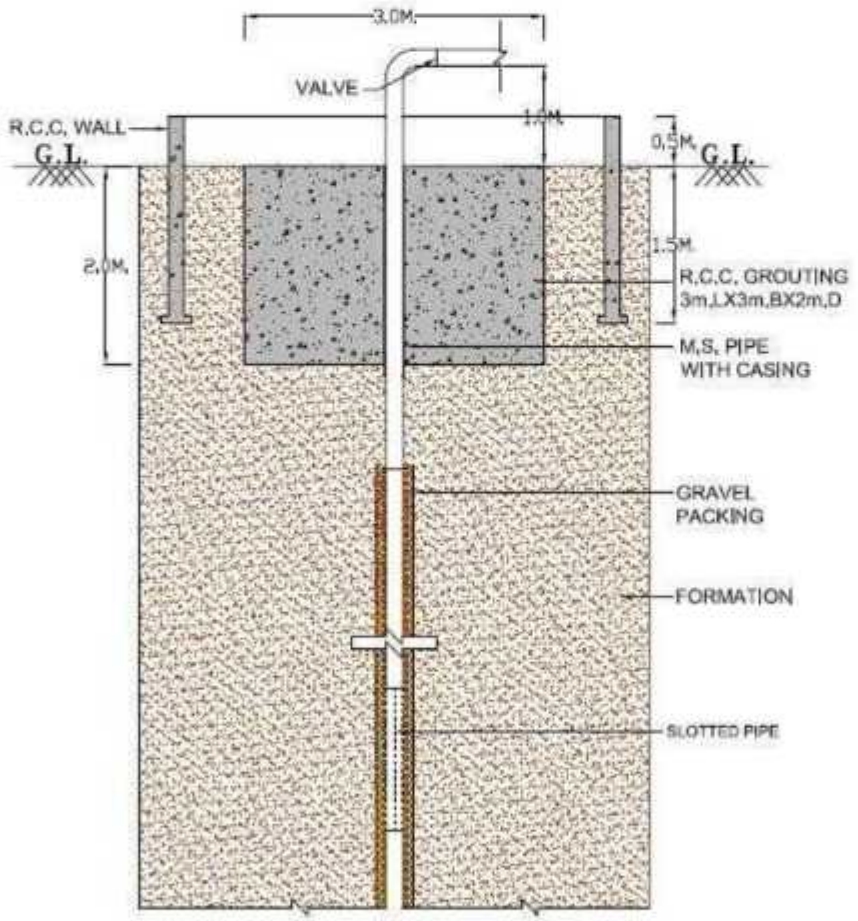

SECTION

Plan/ Sectional diagram showing well head protection

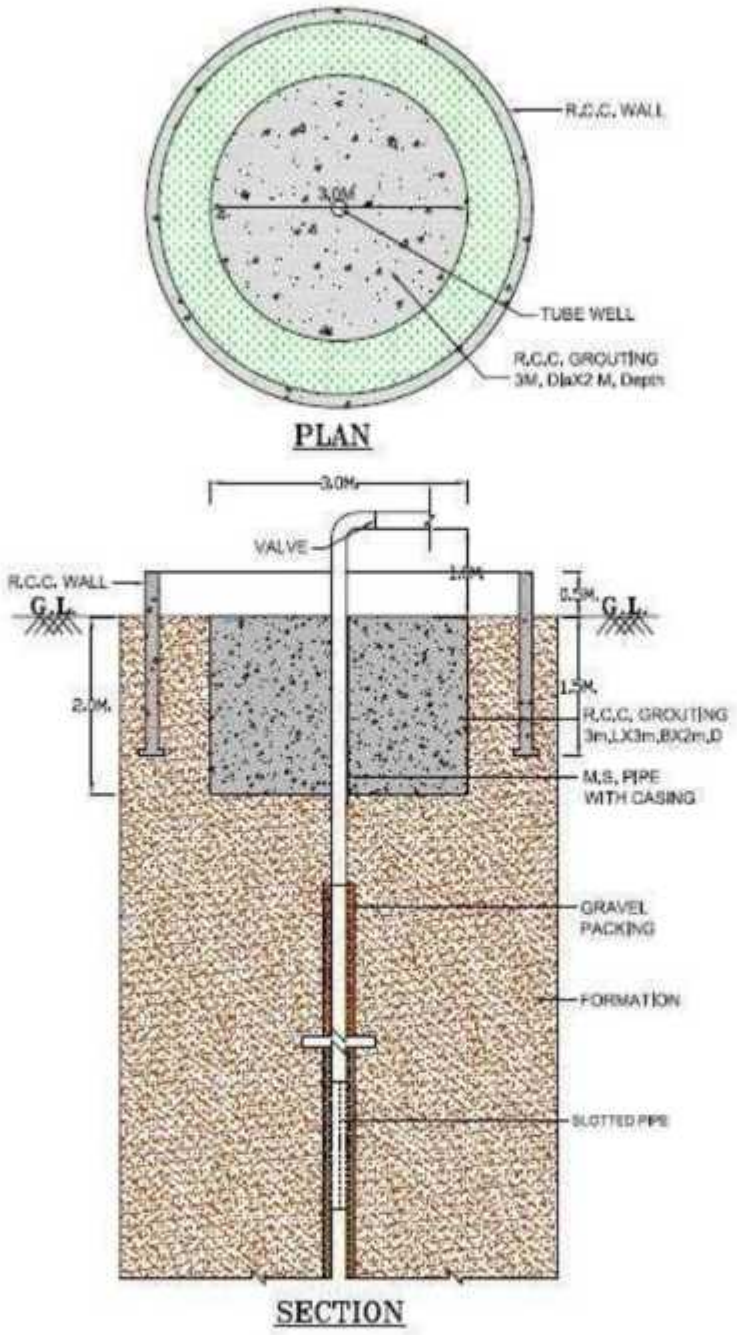

Annexure-IV

Outline of Hydro-Geological Report for obtaining Permission to abstract Ground Water for industries

1. Brief about the proposed project giving location details, coordinates, google/ toposheet maps, etc. demarcating the project area.
2. Ground water situation in and around the project area including water level and quality data and maps along with quality issues, if any. In case of mines, ground water conditions in both core and buffer zone should be described.
3. Details of the tubewells/ borewells proposed to be constructed. This includes the drilling depth, diameter, tentative lithological log, details of pump to be lowered, H.P. of pump, tentative discharge of tubewells/ borewells, etc. Locations to be marked on the site plan/ map. Location of proposed piezometers.
4. Approved Mine plan in case of mines and detailed dewatering plan in case of mine/ infrastructure dewatering projects.
5. Proposed usage of pumped water in case of mining/ infrastructure dewatering projects.
6. Comprehensive assessment of the impact on the ground water regime in and around the project area highlighting the risks and proposed management strategies proposed to overcome any significant environmental issues.
7. Proposed measures for disposal of waste water by industries drawing saline water.
8. Measures to be adopted for water conservation which include recycling, reuse, treatment, etc. This includes the water balance chart being adopted by the firm along with details of water conservation methods to be adopted.
   - Brief write up along with capacity and flow chart of Sewage Treatment Plants / Effluent Treatment Plants / Combined Effluent Treatment Plants existing/ proposed within the project.
   - Details of water conservation measures to be adopted to reduce/ save the ground water.
   - Total water balance chart showing the usage of water for various processes.
9. Any other details pertaining to the project.

Annexure-V

Format of the Report on ground water conditions (for mining projects)

Introduction

Project Description

Background

Objectives and scope

Regional Setting

Location

Land Use

Climate

Topography and Drainage

Geology-Regional and Local

General Hydrogeology (aquifer types, aquifer depth, zone tapped etc.)

Ground water condition (In core and buffer zones)

Spatial and temporal variations in water levels Ground-Water Quality (shallow and deep aquifer)

Impact of groundwater extraction on local groundwater

Hydrograph of water level/piezometer in monitoring wells

Trend analysis of historical water levels Flow net analysis (groundwater flow direction) Year wise/ bench wise mine dewatering computation as per approved mine plan Conclusion.

Annexure-VI

Indicative list of Infrastructure projects

Residential townships including commercial buildings
Office building
School
College
University
Special Economic Zone
Metro Station
Railway Station
Bus Depot
Airport
Seaport
Highway infrastructure
Fire station
Warehouse
Business Plaza
Malls & Multiplex
Hospitals
Nursing Homes
Resort
Hotel/ Restaurant / Food Plaza
Holiday home / Guest house/ Hostels
Banquet Hall / Marriage Gardens
IT Complex
Logistics & Cargo
Clubs
Trade Centre/ Agri Markets

Indicative list of location-specific Infrastructure Projects

Sl. No.	Infrastructure Projects
1.	Special Economic Zone
2.	Metro Station/Railway Station & Bus Depot
3.	Airport, Seaport, Logistics, Cargo & Warehouse
4.	Highway Infrastructure
5.	Fire station
6.	Hospitals & Nursing Homes
7.	Educational Institutions including schools, colleges, universities, coaching institutes, Training Centres/ Skill development centres

Note:- 1. The requirement of Permission for Groundwater use may include the water requirement for drinking water/domestic uses also.

2. Location specific refers for Semi-critical, Critical & Over-exploited area.

Annexure -VII

Supreme Court Order in Civil Writ petition 36 of 2009 regarding measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells

In Re: ***Measures for prevention of fatal accidents of small children due to their falling into abandoned bore wells and tube wells***

Union of India and Ors. Respondents(s)

ORDER

With this Court issuing requisite guidelines vide order dated 11th February, 2010, subject to slight modifications, nothing survives in the present writ petition.

That modification is as follows:

(vii) The owner of the land/ premises, before taking any steps for constructing bore well/ tube well must inform in writing to the concerned authorities in the area, i.e., District Collector/ District Magistrate/ Sarpanch of the Gram Panchayat/ any other Statutory Authority/ concerned officers of the Department of Ground Water/ Public Health/ Municipal Corporation, as the case may be, about the construction of bore well/ tube well.

(viii) Registration of all the drilling agencies, namely, Government/ Semi Government, Private etc. should be mandatory with the district administration/ Statutory Authority wherever applicable.

(ix) Erection of signboard at the time of construction near the well with the following details:-

(a) Complete address of the drilling agency at the time of construction/ rehabilitation of well.

(b) Complete address of the user agency/owner of the well.

(x) Erection of barbed wire fencing or any other suitable barrier around the well during construction.

(xi) Construction of cement/ concrete platform measuring 0.50x0.50x0.60 meter (0.30 meter above ground level and 0.30 meter below ground level) around the well casing.

(xii) Capping of well assembly by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe with bolts & nuts.

(xiii) In case of pump repair, the tube well should not be left uncovered.

(xiv) Filling of mud pits and channels after completion of works.

(xv) Filling up abandoned bore wells by clay/sand/boulders/pebbles/drill cuttings etc. from bottom to ground level.

(xvi) On completion of the drilling operations at a particular location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling.

(xvii) District Collector should be empowered to verify that the above guidelines are being followed and proper monitoring check about the status of bore holes/ tube wells are being taken care through the concerned state/ Central Government agencies.

(xviii) District/ Block/ Village wise status of bore wells/tube wells drilled viz. No. of

wells in use, No. of abandoned bore wells/ tube wells found open, No. of abandoned bore wells/ tube wells properly filled up to ground level and balance number of abandoned bore wells/ tube wells to be filled up to ground level is to be maintained at District Level.

In rural areas, the monitoring of the above is to be done through Village Sarpanch and the Executive from the Agriculture Department.

In case of urban areas, the monitoring of the above is to be done through Junior Engineer and the Executive from the concerned Department of Ground Water/Public Health/ Municipal Corporation etc.

(xix) If a bore well/ tube well is 'Abandoned' at any stage, a certificate from the concerned department of Ground Water/ Public Health/ Municipal Corporation/ Private Contractor etc. must be obtained by the aforesaid agencies that the 'Abandoned' bore well/tube well is properly filled up to the ground level. Random inspection of the abandoned wells is also to be done by the Executive of the concerned agency/ department. Information on all such data on the above are to b maintained in the District Collector/ Block Development Office of the State.

We are informed that the last paragraph of the earlier order dated 11th February, 2010, concerning publicity has been duly complied with.

Subject to the above, the writ petition is disposed of.

.....CJI

[S.H. KAPADIA]

.....J

[K.S. RADHAKRISHNANA]

.....J

[SWATANTER KUMAR]

New Delhi,

Annexure-VIII

Water audits by the industries (Source – CII)

Water audit is a systematic process of objectively obtaining a water balance by measuring flow of water from the site of water withdrawal or treatment, through the distribution system, and into areas where it is used and finally discharged. Conducting a water audit involves calculating water balance, water use and identifying ways for saving water.

Water audit involves preliminary water survey and detailed water audit. Preliminary water survey is conducted to collect background information regarding plant activities, water consumption and water discharge pattern and water billing, rates and water cess. After the analysis of the secondary data collected from the industry, detailed water audit is conducted, which involves the following steps:

- On site training and discussion with facility manager and personnel
- Water system analysis
- Quantification of baseline water map
- Monitoring and measurements using pressure and flow meters and various other devices
- Quantification of inefficiencies and leaks
- Quantification of water quality loads and discharges
- Quantification of variability in flows and quality parameters
- Strategies for water treatment and reuse or direct use

A detailed water balance is finally developed. Water quality requirement at various user areas is mapped,which helps in developing 'recycle' and 'reuse' opportunities.

The detailed water audit report contains the following:

- Water consumption and wastewater generation pattern
- Specific water use and conservation
- Complete water balance of the facility
- Water saving opportunities
- Method of implementing the proposals
- Full description and figures
- Investment required

Industries can undertake following measures for water conservation:

- Setting up of norms for water budgeting
- Modernization of industrial process to reduce water consumption

- Recycling water with a re-circulating cooling system
- Ozonation cooling water approach which can result in five fold reduction in blow down whencompared to traditional chemical treatment
- Reduction in reuse of de-ionized water by eliminating some plenum flushes, converting from acontinuous flow to an intermittent flow system and improving control on the use
- Use of waste water for gardening
- Proper processing of effluents to adhere to the norms of disposal.

Annexure–IX

List of Water Intensive Industries

Packaged Drinking Water
Mineral Water Plant
Tannery
Distillery
Brewery
Soft Drink
Paper & Pulp
Fertilizer
Textile Dyeing
Textile Printing
Textile Spinning
Sugar
Dairy Product
Water park & amusement Center
Ice Manufacturing Units
Hollow Bricks & Tiles Manufacturing
Crusher Units & Sand Manufacturing
Ready Mix Concrete
Clay Processing Units
Vehicle Service Stations

Annexure –X

Standard Formate for the signboard near the Tube/Bore well

1) Name of Owner - ----------
2) Contact Number – ----------
3) Address – Village ----------
   Block - ---------- District ----------
4) Khasra No./ Patwari Halka No. ----------
5) Name of Drilling Agency - ----------
6) Contact Number – ----------
7) Drilling Date – ----------
8) Details of Tube/Bore well
   a) Total Depth- ----------
   b) Dia- ----------
   c) Status of Tube/Bore well – Active / Defunct / Abandoned

Annexure –XI

Standard Formate for District/ Block/ Village wise status of bore wells/tube wells Resister

S. No.	Dstrict/ Block/ Village	No. of bore wells/tube wells drilled	No. of bore wells/tube wells in use	No. of abandoned bore wells/ tube wells found open	No. of abandoned bore wells/ tube wells properly filled up to ground level	balance number of abandoned bore wells/ tube wells to be filled up to ground level

Annexure–XII

Standard Formate for Reporting & uploading Tube/Bore well details

1) Name of Owner - ----------
2) Contact Number – ----------
3) Address – Village ----------
   Block - ---------- District ----------(CG)
4) Khasra No./ Patwari Halka No. ----------
5) Name of Drilling Agency - ----------
6) Contact Number – ----------
7) Drilling Date – ----------
8) Details of Tube/Bore well
   a) Total Depth- ----------
   b) Dia- ----------

c) Status of Tube/Bore well – Active / Defunct / Abandoned

DECLARATION BY OWNER

I do hereby declare that the particulars furnished here in above are correct and true and uploaded in designated web portal. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, I will be responsible.

Date : ----------

Signature & Name of Owner

S.No.	Forms	Types of Applications/Subject
1	Form 1 (A)	Form of Application for Registration of Existing Well (Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk User)
2	Form 1 (B)	Form of Application for Registration of Well (Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user having N.O.C. issued by CentralGround Water Authority)
3	Form 1 (C)	Form of Application for Registration of Existing Well (Domestic or Agricultural User of Ground Water)
4	Form 1 (D)	Form of Application for Registration of Well (Future User of ground Water for Domestic or Agricultural Use)
5	Form 2 (A)	Form of Application for Modification or Alteration in Registered Well (Modification or alteration in registered well of commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user in notified area)
6	Form 2 (B)	Form of Application for Modification or Alteration in Registered Well (Modification or alteration in registered well of Commercial or Industrial

		or Infrastructuralor Bulk user in non-notified area.)
7	Form 3 (A)	Certificate of Registration of Existing/New Well (Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user.)
8	Form 3 (B)	Certificate of Registration of Existing/New Well (Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user having N.O.C. / Permission issued by Central Ground Water Authority or by Water Resources Department.)
9	Form 3 (C)	Certificate of Registration of Existing/New Well (Domestic and Agricultural user.)
10	Form 4 (A)	Letter of Rejection of Application for Registration of Well.
11	Form 4 (B)	Application for Obtaining Grant of Permission for sinking of new well for any Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk User.
12	Form 4 (C)	Application for Renewal of Permission for Sinking of well for any Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk User in Notified and Non-Notified Area.
13	Form 4 (D)	Permission/N.O.C. for Sinking of New Well for Industrial/Commercial/ Infrastructural or Bulk User of Ground Water.
14	Form 4 (E)	Application for renewal of Permission/N.O.C. for Sinking of New well for Industrial/Commercial/Infrastructural or Bulk User of Ground Water.
15	Form 4 (F)	Letter of Rejection of Application for Grant of Permission for sinking of Well.
16	Form 5 (A)	Form of Application for Registration of New Drilling Agencies (Registration of New Drilling Agencies)
17	Form 5 (B)	Form of Application for Registration of Existing Drilling Agencies (Registration of Existing Drilling Agencies)
18	Form 6 (A)	Certificate of Registration of New Drilling Agency
19	Form 6 (B)	Certificate of Registration of Existing Drilling Agency
20	Form 7	Letter of Rejection of Application for Registration of Drilling Agency.

Form-1 (A)

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF EXISTING WELL

(Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user)

(Under Section 9 (1) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022.)

Issued to:

Shri/Smt.

BOOK NO

pplication Form No.

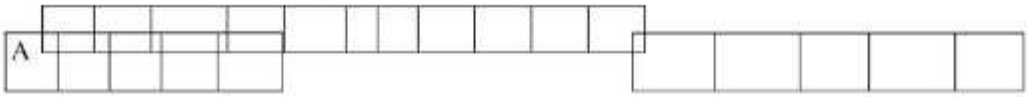

1. Particulars about the applicant:

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS): (Please attach ID proof)

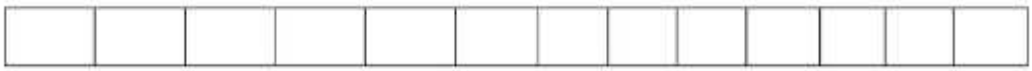

(b) Date of Birth:

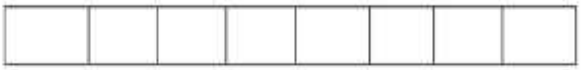

(c) Son/ Daughter / Wife / Husband of

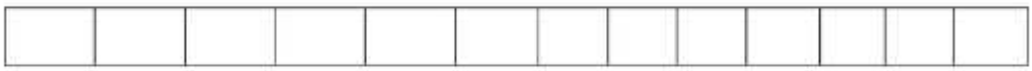

(d) Sex (Please tick): M/F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

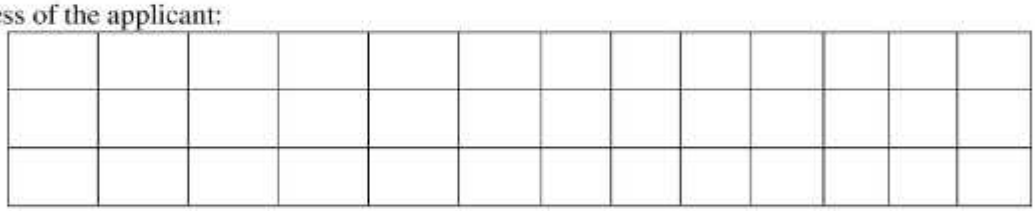

2.Location particulars of the existing/ proposed well:

(a) District;

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(d) Municipality/Corporation, Ward No./ Holding No.

3. **Particulars of the existing/ proposed well:**

(a) Date of construction /sinking of the well:

(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)

(c) Approx. depth of the well (m) :

(d) In case of Tube Well :

(i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)

(ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer

(iii) Material of the housing pipe & blank pipe :(PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(iv) Material of the strainer: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:

(i) Diameter of the Dug Well (m):

(ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha /Pucca

(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality of the well. ■ ■

If 'Yes', give particulars.

4. **Particulars of existing/ proposed pumping device:**

(a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal /Submersible / Turbine /Ejecto pump, etc.)

(b) Length of column pipe (In case of submersible / turbine pump):

(c) Pump Capacity (m3 / hr.)::

(d) H.P.

(e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.

(f) Date of Energization (in case of electricity driven pump):

5. **Particulars of usefulness of well:**

(a) Purpose of the proposed well

(Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / others (Please tick)

(b) Annual running hours

(c) Daily running hours:

(d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO(Please tick one)

6. Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries), if,-

(a) applies, please mention whether obtained NOC from Chhattisgarh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water:

(b) YES / NO (Please tick)

If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Chhattisgarh Pollution Control Board for dischargeof effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises YES / NO (Please tick)

8. **Details of payment of application fee:**

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) Date:

(b) Name of Treasury/Sub-Treasury/ P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

9. **Any other information which the applicant would like to furnish :**

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished here in above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected /cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applicationsare liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be in correct at any stage even afterissue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application:
   (a) Document showing proof of ownership of land;
   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
   (c) Map showing location of the existing well, the command area and the existing wells which have been referred to in item no.2 (a), (b) and(c).
7. The concerned Authority reserves the right to demand for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree ☑

Form-1(B)

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF WELL

(Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user having N.O.C. issued by Central Ground Water Authority)

(Under Section 9(1) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022.*)*

Issued to: Shri / Smt

BOOK NO

Application Form No.

1. **Particulars about the applicant:**

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS): (Please attach ID proof)

(b) Date of Birth:

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

(d) Sex (Please tick): M/F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. **Location particulars of the existing well:**

(a) District;

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other documentas address proof for ownership of land):

(d) Municipality/Corporation, Ward No./ Holding No.

3. **Particulars of the existing well:**

(a) Date of construction / sinking of the well:

(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)

(c) Approx. depth of the well (m) :

(d) In case of Tube Well:

(i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)

(ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer

(iii) Material of the housing pipe & blank pipe: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(iv) Material of the strainer: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:

(i) Diameter of the Dug Well (m):

(ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha / Pucca

(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality: of the well. ■ ■

If' Yes', give particulars.

4. **Particulars of existing pumping device:**

(a) Type of pump to be used (Please tick) : (Centrifugal / Submersible / Turbine / Ejecto pump, etc.)

(b) Length of column pipe (in case of submersible /turbine pump):

(c) Pump Capacity (m3/ hr.):

(d) H.P.:

(e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.

(f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

5. **Particulars of usefulness of well:**

(a) Purpose of the proposed well

(Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / others (Please tick)

(b) Annual running hours

(c) Daily running hours

(d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO

(Please tick one)

6. Please submit details of N.O.C. issued by Central Ground Water Authority or permission by WaterResources Department:

N.O.C. issued by (Please tick one)

Central Ground Water Authority

by Water Resources Department

Date of issue of

N.O.C/Permission.
Date of expiry of N.O.C/ permission.

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises
YES /NO (Please tick)

8. Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries),if,-

(a) applies, please mention whether obtained NOC from Chhattisgarh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water:

(b) YES / NO (Please tick)
If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Chhattisgarh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

9. **Details of payment of application fee:**

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury/Sub-Treasury /P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

9. Any other information which the applicant would like to furnish:

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do here by declare that the particulars furnished here in above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected /cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction /alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars / information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application:
   (a) Document showing proof of ownership of land;
   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID /ration card / any other proof of identification
   (c) Map showing location of the existing well, the command area and the existing wells which have been referred to in item no.2(a),(b) and (c).
7. The concerned Authority reserves the right to demand for any other document(s) from the ownerapplicant for examination of the merit of the case.

I agree ☑

Form-1 (C)

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF EXISTING WELL

(Domestic or Agricultural User of Ground Water)

(Under Section 9(2) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022.)

Issued to: Shri
ISmt

BOOK NO Application Form No.

1. **Particulars about the applicant:**

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS): (Please attach ID proof)

(b) Date of Birth:

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

(d) Sex (Please tick): M/F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. **Location particulars of the existing well:**

(a) District;

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(d) Municipality / Corporation, Ward No/ Holding No.

3. **Particulars of the existing well:**

(a) Date of construction / sinking of the well:
(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)
(c) Approx. depth of the well (m) :
(d) In case of Tube Well:
  (i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)
  (ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer
  (iii) Material of the housing pipe & blank pipe: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)
  (iv) Material of the strainer: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:
  (i) Diameter of the Dug Well (m):
  (ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha /Pucca
(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality: of the well. | Y | N |
If' Yes', give particulars.

4. **Particulars of existing pumping device:**
(a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal/ Submersible/ Turbine/ Ejecto pump, etc.)
(b) Length of column pipe (in case of submersible/ turbine pump):
(c) Pump Capacity (m3 / hr.):;
(d) H.P.:
(e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.
(f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

5. **Particulars of usefulness of well:**
(a) Purpose of the existing well Irrigation / Domestic / Others (Please specify)
(b) Cultural command area in hec. (for irrigation well):
(c) Owner's land within the command area indicate in 5. (b) above
(d) Out of the area indicated in 5 (b) above, area irrigated by the well in different crop seasons
  (i) Kharif- ha;
  (ii) Rabi- ha;
  (iii) Zayad- ha;
(e) Total annual running hours (in case of irrigation well):
(f) Daily running hours in case of domestic use :

6. Is plot size of residential premises is more than 300 square meters? (for domestic user only) | Y | N |

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises (for domestic user only) | Y | N |

8. **Any other information which the applicant would like to furnish :**

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do here by declare that the particulars furnished here in above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application/ registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars / information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write' N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application:
   (a) Document showing proof of ownership of land;
   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card /any other proof of identification
7. The concerned Authority reserves the right to demand for any other document(s) from theowner applicant for examination of the merit of the case.

I agree ☑

Form-1 (D)

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF WELL

(Future User of ground Water for Domestic or Agricultural Use)

(Under Section 9(2) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022.*)*

Issued to: Shri /Smt

BOOK NO Application Form No.

1. **Particulars about the applicant:**

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS):(Please attach ID proof)

(b) Date of Birth:

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

(d) Sex (Please tick):M/F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. **Location particulars of the proposed well:**

(a) District;

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(d) Municipality/Corporation, Ward No./ Holding No.

3. **Particulars of the proposed well:**

(a) Proposed date of construction / sinking of the well:
(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)
(c) Approx. depth of the well (m) :
(d) In case of Tube Well:
  (i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)
  (ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer
  (iii) Material of the housing pipe & blank pipe: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)
  (iv) Material of the strainer: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:
  (i) Diameter of the Dug Well (m):
  (ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha / Pucca
(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality: of the well.

Y	N

If' Yes', give particulars.

4. **Particulars of proposed pumping device:**
(a) Type of pump to be used (Please tick) :(Centrifugal / Submersible / Turbine / Ejecto pump,etc.)
(b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):
(c) Pump Capacity (m3 / hr.):
(d) H.P.:
(e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.
(f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

5. **Particulars of usefulness of proposed well:**
(a) Purpose of the existing well:Irrigation/Domestic / Others (Please specify)
(b) Cultural command area in hec. (for irrigation well):
(c) Owner's share of land within the command area indicate in 5. (b) above:
(d) Out of the area indicated in 5(b) above, area irrigated by the well in different crop seasons
  (i) Kharif- ha;
  (ii) Rabi- ha;
  (iii) Zayad- ha;
(e) Total annual running hours (in case of irrigation well):
(f) Daily running hours in case of domestic use:

6. Is plot size of residential premises is more than 300square meters? (for domestic user only)

Y	N

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises (for domesticuser only)

Y	N

8. **Any other information which the applicant would like to furnish:**

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do here by declare that the particulars furnished here in above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application/ registration is liable to be rejected /cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alterations hall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write' N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application:
   (a) Document showing proof of ownership of land;
   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
7. The concerned Authority reserves the right to demand for any other document(s)from theowner applicant for examination of the merit of the case.

I agree ☑

Form-2 (A)

FORM OF APPLICATION FOR MODIFICATION OR ALTERATION IN REGISTERED WELL

(Modification or alteration in registered well of commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user in notified area)

(Under Section 9(1) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act,2022.*)*

Issued to: Shri
ISmt

BOOK NO

Application Form No.

1. Particulars about the applicant:

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS): (Please attach ID proof)

(b) Date of Birth:

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

(d) Sex (Please tick): M/F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. Details of Registration of existing well

(a) Registration number:

(b) Date of Registration:

3. Location particulars of the existing registered well:

(a) District;

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(d) Municipality/Corporation, Ward No./ Holding No.

4. Particulars of the existing registered well:

(a) Date of construction *I* sinking of the well:

(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)

(c) Approx. depth of the well (m) :

(d) In case of Tube Well:

(i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)

(ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer

(iii) Material of the housing pipe & blank pipe: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(iv) Material of the strainer: (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:

(i) Diameter of the Dug Well (m):

(ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha *I*Pucca

(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality: of the well.

If Yes', give particulars.

Y	N

5. Particulars of existing pumping device:

(a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal /Submersible / Turbine / Ejecto pump, etc.)

(b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):

(c) Pump Capacity (m3 / hr.):;

(d) H.P.:

(e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.

(f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

6. Particulars of use fulness of well:

(a) Purpose of the proposed well

(Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / others (Please tick)

(b) Annual running hours

(c) Daily running hours

(d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO (Please tick one)

7. Details of modification or alteration in registered well:

8. Reason of modification or alteration in registered well:

9. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premise

YES / NO (Please tick)

10. Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries), if,-

(a) applies, please mention whether obtained NOC from Chhattisgarh Pollution ControlBoard for discharge of effluent or waste water:

(b) YES / NO (Please tick)
If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Chhattisgarh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

11. Details of payment of application fee:

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury /Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

12. Any other information which the applicant would like to furnish :

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do here by declare that the particulars furnished here in above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars / information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars / information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write' N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application:
   (a) Document showing proof of ownership of land;
   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
   (c) Map showing location of the existing well, the command area and the existing wells which have been referred to in item no.3 (a), (b) and (c).
7. The concerned Authority reserves the right to demand for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree ☑

Form-2 (B)

FORM OF APPLICATION FOR MODIFICATION OR ALTERATION IN REGISTERED WELL

(Modification or alteration in registered well of Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user in non-notified area)

(Under Section 9(1) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022.*)*

Issued to: Shri ISmt

BOOK NO

Application Form No.

1. Particulars about the applicant:

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS): (Please attach ID proof)

(b) Date of Birth:

(c) Son/Daughter / Wife / Husband of

(d) Sex (Please tick):M/F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. Details of Registration of existing well

(a) Registration number:

(b) Date of Registration:

3. Location particulars of the existing registered well:

(a) District;

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(d) Municipality/Corporation, Ward No. / Holding No.

4. Particulars of the existing registered well:

(a) Date of construction / sinking of the well:

(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)

(c) Approx. depth of the well (m) :

(d) In case of Tube Well :

(i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)

(ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer

(iii) Material of the housing pipe & blank pipe : (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(iv) Material of the strainer : (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:

(i) Diameter of the Dug Well (m):

(ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha / Pucca

(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality: of the well.

Y	N

If Yes give particulars.

5. Particulars of existing pumping device:

(a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal /Submersible/ Turbine / Ejecto pump, etc.)

(b) Length of column pipe (in case of submersible// turbine pump):

(c) Pump Capacity (m3 / hr.):;

(d) H.P.:

(e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.

(f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

6. Particulars of usefulness of well:

(a) Purpose of the proposed well

(Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / others (Please tick)

(b) Annual running hours

(c) Daily running hours

(d) Whether the area receives supply through piped water supply:

YES / NO (Pleasetick one)

7. Details of modification or alteration in registered well:

8. Reason of modification or alteration in registered well:

9. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises

YES / NO(Please tick)

10. Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries), if ,-

(a) applies, please mention whether obtained NOC from Chhattisgarh Pollution ControlBoard for discharge of effluent or waste water:

(b) YES / NO (Please tick)
If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Chhattisgarh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

11. **Details of payment of application fee:**

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury / Sub-Treasury /P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

12. Any other information which the applicant would like to furnish :

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished here in above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write' N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application :
   (a) Document showing proof of ownership of land;
   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID /ration card/ any other proof of identification
   (c) Map showing location of the existing well, the command area and the existing wells whichhave been referred to in item no3 (a), (b) and (c).
7. The concerned Authority reserves the right to demand for any other document(s)from theowner applicant for examination of the merit of the case.

I agree ☑

Form-3 (A)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF EXISTING/NEW WELL
(Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user)

(EMBLEM OR HOLOGRAM OFTHE
DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

{Under Section 9(1) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022*}*

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of the owner applicant: Shri /Smt.
   (b) Son / Daughter of:
   (c) Address of the applicant:
   (d) Application Form Serial No. and date of submission:
   (e) Specimen signature:
2. Location particulars:
   (a) District:
   (b) Block:
   (c) Plot No.:
   (d) Municipality / Corporation, Ward No.:
3. Particulars of the existing well and pumping device:
   (a) Date of construction / sinking of the well
   (b) Type of the well:
   (c) Depth of the well (m):
   (d) Purpose of the well:
   (e) Assembly size (for tube well) :
   (f) Strainer position(for tube well)
   (g) Diameter (for dug well):
   (h) Type of pump used
   (i) HP of the pump
   (j) Operational device
   (k) Rate of withdrawal (m3/ hr.):
   (l) Date of energization (in case of electric pump):

This certificate of registration is issue on the basis of the information furnished by the applicant subject to the conditions state do overleaf.

Place:
Date:

Yours faithfully,
Signature of the issuing authority And Designatio

CONDITIONS-

(1) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix water meters, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as showing in serial number 3 (k) shall not exceed to the recorded rate from water meters.

(2) The District Ground Water Management Council reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.

(3) In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.

(4) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at serial number 2 and 3 of this certificate shall be made without prior permission of the District Ground Water Management Council . Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration.

(5) In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage; this registration is liable for cancellation.

(6) Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis.

(7) It will be mandatory for every ground water user to equipped their ground water abstraction structure with digital flow meter

(8) <u>Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring</u>

Piezometer is a bore well / tube well used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter up to two decimal.

- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Water Resource Department, Chhattisgarh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt. capacity bottle) to the concerned Director, Water Resource Department, Chhattisgarh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer /tube well for standard referencing and identification.
- Any other site-specific requirement regarding safety and access for measurement maybe taken care off.

(9) Any other condition(s) that may be imposed by the District Ground Water Management Council.

OFFICE SEAL

Form-3 (B)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF EXISTING/NEW WELL

(Commercial or Industrial or Infrastructural or Bulk user having N.O.C. / Permission issued by Central Ground Water Authority or by Water Resources Department)

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF

THE

DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

[Under Section 9(1) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022*]*

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of the owner applicant: Shri/Smt. .....
   (b) Son / Daughter of:
   (c) Address of the applicant:
   (d) Application Form Serial No. and date of submission:
   (e) Specimen signature:
2. Location particulars:
   (a) District:
   (b) Block:
   (c) Plot No.:
   (d) Municipality / Corporation, Ward No.:
3. Particulars of the existing well and pumping device:
   (a) Date of construction / sinking of the well
   (b) Type of the well:
   (c) Depth of the well (m):
   (d) Purpose of the well:
   (e) Assembly size (for tube well) :
   (f) Strainer position (for tube well)
   (g) Diameter (for dug well):
   (h) Type of pump used
   (i) H.P .of the pump
   (j) Operational device
   (k) Rate of withdrawal (m3/ hr.):
   (l) Date of energization (in case of electric pump):

This certificate of registration is issued on the basis of the information furnished by the applicant subject to the conditions state do overleaf.

Place:
Date:

Yours faithfully,
Signature of the issuing authority and Designation

CONDITIONS

(1) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix water meters, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in serial number 3 (k) shall not exceed to the recorded rate from water meters.

(2) The District Ground Water Management Council reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.

(3) In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.

(4) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at Serial number 2 and 3 of this certificate shall be made without prior permission of the District Ground Water Management Council. Any deviation in this regard shalllead to cancellation of this registration.

(5) In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.

(6) Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis.

(7) It will be mandatory for every ground water user to equipped their ground water abstraction structure with digital flow meter

(8) <u>Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring</u>

Piezometer is a bore well / tube well used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometer is installed, the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter up to two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.

- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Water Resource Department, Chhattisgarh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt. capacity bottle) to the concerned Director, Water Resource Department, Chhattisgarh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site-specific requirement regarding safety and access for measurement maybe taken care off.

(9) Any other condition(s) that may be imposed by the District Ground Water Management Council.

OFFICE SEAL

Form-3 (C)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF EXISTING/NEW WELL
(Domestic and Agricultural user)

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF

THE

(COMMITTEE OF URBAN LOCAL BODY / BLOCK LEVEL GROUND WATER USER REGISTRATION COMMITTEE)

[Under Section 9(2) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022*]*

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of the owner applicant: Shri /Smt. .....
   (b) Son / Daughter of:
   (c) Address of the applicant:
   (d) Application Form Serial No. and date of submission:
   (e) Specimen signature:
2. Location particulars:
   (a) District:
   (b) Block:
   (c) Plot No.:
   (c) Municipality / Corporation, Ward No./:
3. Particulars of the existing well and pumping device:
   (a) Date of construction / sinking of the well
   (b) Type of the well:
   (c) Depth of the well (m):
   (d) Purpose of the well:
   (e) Assembly size (for tube well) :
   (f) Strainer position (for tube well)
   (g) Diameter(for dug well):
   (h) Type of pump used
   (i) H.P. of the pump:
   (j) Operational device
   (k) Rate of withdrawal (m3/ hr.):
   (l) Date of energization (in case of electric pump):

This certificate of registration is issued on the basis of the information furnished by the applicant subject to the conditions state do overleaf.

Place:
Date:

Yours faithfully,
Signature of the issuing authority and Designation

CONDITIONS

(1) The District Ground Water Management Council reserves the right to stop extraction ofground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.

(2) In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.

(3) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at serial number 2 and 3 of this certificate shall be made without prior permission of the Appropriate Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration.

(4) In case, any of the particulars Information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.

(5) Any other condition (s) that may be imposed by the Appropriate Authority.

OFFICE SEAL

Form-4 (A)

LETTER OF REJECTION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF WELL

(EMBLEM OR HOLOGRAM OFTHE
DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

[Under Section 9 (1) of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022*]*

No. Dated

To

Shri /Smt. - .....

Sub: Rejection of your application for grant of registration of well.

Ref: Your Application No submitted on .

Sir / Madam,

This is to inform you regretfully that your Application No .....dated.....
Submitted for grant of registration of well has been rejected because of the following reason (s):

(1) Incomplete application

(2) Non-submission of requisite documents

(3) Shortfall in payment of requisite Application Fee

(4) Incorrect Head of A/C for deposition of Application Fee

(5) Others:

Yours faithfully,
Signature of the issuing authority

Form-4 (B)

APPLICATION FOR OBTAINING GRANT OF PERMISSION FOR SINKING OF NEW WELL FOR ANY COMMERCIAL OR INDUSTRIALOR INFRASTRUCTURAL OR BULK USER

[Under clause (d) of sub-section (6) of Section 3and under Section 12 of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act,2022]

Issued to: Shri / Smt

BOOK NO Application Form No.

1. **Particulars about the applicant:**

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS) (Please attach ID proof)

(b) Date of Birth:

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

(d) Sex (Please tick):M/F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2.**Location particulars of the proposed well:**

(a) District

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(d) Municipality/Corporation, Ward No./ Holding No.

3. **Particulars of the proposed well:**

(a) Date of construction / sinking of the well:

(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)

(c) Approx. depth of the well (m) :

(d) In case of Tube Well :

(i) Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)

(ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer

(iii) Material of the housing pipe & blank pipe : (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(iv) Material of the strainer : (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:

(i) Diameter of the Dug Well (m):

(ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick): Kuchcha / Pucca

(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality of the well. ■ ■

If' Yes' ,give particulars.

4. **Particulars of proposed pumping device:**

(a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal / Submersible / Turbine/ Ejecto pump, etc.)

(b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):

(c) Pump Capacity (m3 / hr.):;

(d) H.P.

(e) Operational device (Please tick) : Electric Motor / Diesel Engine.

(f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

5. **Particulars of usefulness of well:**

(a) Purpose of the proposed well

(Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / others (Please tick)

(b) Annual running hours

(c) Daily running hours:

(d) Whether the area receives supply through piped water supply:

YES / NO(Please tick one)

7. Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries) If,-

(a) applies, please mention whether obtained NOC from Chhattisgarh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water:

(b) YES / NO (Please tick)

If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Chhattisgarh Pollution Control Board for discharge of effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises

YES /NO (Please tick)

8. **Details of payment of application fee:**

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury / Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

9. **Any other information which the applicant would like to furnish :**

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished here in above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny,the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the grant of permission for sinking of new well, the same shall be liable for cancellation.
5. Please write' N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application :
   (a) Document showing proof of ownership of land;
   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
   (c) Map showing location of the proposed well, which have been referred to in itemNo 2 (a), (b) and (c)
7. The State Ground Water Management Regulatory Authority reserves the right demand for any otherdocument(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree ☑

Form-4 (C)

APPLICATION FOR RENEWAL OF PERMISSION FOR SINKING OF WELL FOR ANY COMMERCIAL OR INDUSTRIAL OR INFRASTRUCTURAL OR BULK USER IN NOTIFIED AND NON-NOTIFIED AREA

[Under Section 12 of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022]

Issued to: Shri / Smt

BOOK NO Application Form No.

1. **Particulars about the applicant:**

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS): (Please attach ID proof)

(b) Date of Birth:

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

(d) Sex (Please tick):M/F;

(e) Nationality:

(f) Address of the applicant:

2. **Location particulars of the proposed well:**

(a) District;

(b) Block:

(c) Plot No/ Khasra No. (Please attach Aadhaar Card/ Electricity Bill/ Any other document as address proof for ownership of land):

(d) Municipality/Corporation, Ward No./,Holding No.

3. **Particulars of the proposed well:**

(a) Date of construction /sinking of the well:

(b) Type of the well viz. Dug Well/Tube Well/Boring: Others (Please specify)

(c) Approx. depth of the well (m) :

(d) In case of Tube Well :

(i)Approx. length (m) & diameter (mm) of the housing pipe (if any)

(ii) Approx. length (m) & diameter (mm) of the strainer

(iii) Material of the housing pipe & blank pipe : (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(iv) Material of the strainer : (PVC/ Iron/ Galvanized Iron)

(e) In case of Dug Well:

(i) Diameter of the Dug Well (m):

(ii) Type of structure of the Dug Well (Please tick):Kuchcha / Pucca

(f) Whether there has been any adverse report regarding water quality: of the well. ■ ■

If 'Yes', give particulars.

4. **Particulars of proposed pumping device:**

(a) Type of pump to be used (Please tick): (Centrifugal / Submersible / Turbine /Ejecto pump,etc.)

(b) Length of column pipe (in case of submersible / turbine pump):

(c) Pump Capacity (m3 / hr.)

(d) H.P.

(e) Operational device (Please tick): Electric Motor / Diesel Engine.

(f) Date of energization (in case of electricity driven pump):

5. **Particulars of usefulness of well:**

(a) Purpose of the proposed well

(Industrial / Commercial / Infrastructural / Bulk use / others (Please tick)

(b) Annual running hours

(c) Daily running hours:

(d) Whether the area receives supply through piped water supply: YES / NO

(Please tick one)

6. Please submit mode of treatment of waste water/ effluent (for industries) If,-

(a) applies, please mention whether obtained NOC from Chhattisgarh Pollution ControlBoard for discharge of effluent or waste water:
(b) YES / NO (Please tick)
If YES, attach copy of same.

Note: If applicant has not obtained NOC from Chhattisgarh Pollution Control Board for dischargeof effluent or waste water, application shall be liable for rejection.

7. Whether rain water harvesting structure has been constructed within the premises

YES /NO (Please tick)

8. **Details of payment of application fee:**

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury / Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

9. **Any other information which the applicant would like to furnish:**

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished here in above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage evenafter issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write' N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application :

   (a) Document showing proof of ownership of land;

   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification

   (c) Map showing location of the proposed well, which have been referred to in itemNo .2 (a), (b) and (c).

7. The State Ground Water Management Regulatory Authority reserves the right to demand for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree ☑

Form-4 (D)

PERMISSION/N.O.C. FOR SINKING OF NEW WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF CHHATTISGARH GROUND WATER MANAGEMENT REGULATORY AUTHORITY)

[Under Clause (d) of sub-section (6) of Section 3 and U/S Section 12 of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022.]

PERMISSION/N.O.C.
NO: VALID UP
TO:.....

I. (a) Name of the applicant (user): Shri/Smt. Son / Daughter of:

(b) Address of the applicant:

(c) Category of farmer (Plese tick): Small Farmer / Marginal Farmer / Others

(d) Serial No. of application Form and date of submission:

(e) Specimen signature of the user:

2. Location particulars:

(a) District

(b) Block Plot No.

(c) Municipality / CorporationWard No. /Holding No.:

3. Particulars of the proposed well and pumping device:

(a) Type of the well:

(b) Approx. depth ofthe well (m):

(c) Purpose of the well:

(d) Assembly size (for tube well): mm. X mm.

(e) Approx. strainer length (for tube well): m.

(f) Diameter (for dug well) :m.

(g) Type of pump to be used:

(h) H.P. of the pump:

(i) Operational device:

(j) Maximum allowable rate of withdrawal (m3/hr.):

(k) Maximum allowable running hours per day:

(l) Maximum allowable annual extraction of ground water:

This Grant of Permission/N.O.C. authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at SI. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at serial number (3 j), for running hours / day and for maximum allowable annual extraction of ground wateras shown at serial number (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.

Place:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority and Designation

OFFICE SEAL

CONDITIONS:-

(1) In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.

(2) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at serial number 2 and 3 of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization.

(3) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix water meters, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in serial number 3(j) shall not exceed to the recorded rate from water meters.

(4) The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.

(5) In case, any of the particulars Information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.

(6) The Grant of Permission shall be **valid for a period of three years** from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.

(7) Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis.

(8) It will be mandatory for every ground water user to equipped their ground water abstraction structure with digital flow meter

(9) <u>Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring</u>

Piezometer is a bore well /tube well used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows for compliance of NOC:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".

- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter up to two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Water Resource Department, Chhattisgarh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Water Resource Department, Chhattisgarh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site-specific requirement regarding safety and access for measurement maybe takencare off.

(10) Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.

(11) In case, any of the particulars information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.

OFFICE SEAL

Form-4 (E)

APPLICATION FOR RENEWAL OF PERMISSION/N.O.C. FOR SINKING OF NEW WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF THE DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

PERMISSION NO:

VALID UP TO:.....

1. (a) Name of the applicant (user): Shri/Smt. Son / Daughter of:

   (b) Address of the applicant:

   (c) Category of farmer(Please tick): Small Farmer / Marginal Farmer / Others

   (d) Serial No. of application Form and date of submission:

   (e) Specimen signature of the user:

2. Please submit details of N.O.C. issued by Central Ground Water Authority or by Ground Water Department:

   N.O.C. issued by (Please tick one)

   Central Ground Water Authority ☐

   By Ground Water Department ☐

   Date of issue of N.O.C.

   Date of expiry of N.O.C.

3. Location particulars:

   (a) District

   (b) Block, J.L. No., Plot No.:

   (c) Municipality / CorporationWard No. / Holding No.:

4. Particulars of the well and pumping device:

   (a) Type of the well:

   (b) Approx. depth ofthe well (m):

   (c)Purpose of the well:

   (d)Assembly size (for tube well): mm. X

   (e)Approx strainer length (for tube well): m.

   (f) Diameter (for dug well): m.

(g)Type of pump to be used: mm.

(h)H.P. of the pump:

(i)Operational device:

(j)Maximum allowable rate of withdrawal (m3/hr.):

(k)Maximum allowable running hours per day:

(l)Maximum allowable annual extraction of ground water:

This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (3) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at serial number (3 j), for running hours / day and for maximum allowable annual extraction of ground wateras shown at serial number. (3j) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.

Place:
Date:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority.
And Designation

OFFICE SEAL

CONDITIONS:-

(1) In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.

(2) No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at serial number 2 and 3 of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization.

(3) For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix water meters, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in serial number 3(j) shall not exceed to the recorded rate from water meters.

(4) The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands.

(5) In case, any of the particulars / information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this registration is liable for cancellation.

(6) The Grant of Permission shall **be valid for a period of three years** from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.

(7) Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level recorders shall be made available to this office on monthly basis.

(8) It will be mandatory for every ground water user to equipped their ground water abstraction structure with digital flow meter

(9) <u>Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring</u>

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing whenever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows for compliance of Permission:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".

- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter up to two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Water Resource Department, Chhattisgarh and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 liter capacity bottle) to the concerned Director, Water Resource Department, Chhattisgarh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site-specific requirement regarding safety and access for measurement maybe takencare off.

(10) Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.

(11) In case, any of the particulars information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be in correct during verification at any subsequent stage; this permit is liable for cancellation.

OFFICE SEAL

Form-4 (F)

LETTER OF REJECTION OF APPLICATION FOR GRANT OF PER MISSIO N FOR SINKING OF WELL

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF CHHATTISGARH GROUND WATER MANAGEMENT REGULATORYAUTHORITY)

/Under Clause (d) of sub-section(6) of Section 3 and under Section 12 of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022}

No. Dated

To

Shri/Smt. ……………………………

Sub: Rejection of your application for grant of authorization of well.

Ref: Your Application No submitted on .

Sir / Madam,

This is to inform you regretfully that your Application No ....dated................ submitted for grant of authorization of well has been rejected because of the following reason(s):

(1) Incomplete application

(2) Non-submission of requisite documents

(3) Shortfall in payment of requisite Application Fee

(4) Incorrect Head of A/C for deposition of Application Fee

(5) Others:

Yours faithfully,

Signature of the issuing authority

OFFICE SEA

Form-5 (A)

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF NEW DRILLING AGENCIES

(Registration of New Drilling Agencies)

*(*Under clause(g) of sub-section (3) of Section 4 and Section 18 of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022.*)*

Issued to: Shri/Smt/M/s. | | | | | | | | | | | |

BOOK NO | | | | | | Application Form No | | | | | |

1. **Particulars about the applicant/ firm:**

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS): (Please attach ID proof)

(b) Date of Birth:

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

(d) Sex (Please tick):M/F;

(e) PAN no. of Firm:

(f) GST No. of Firm

(g) Nationality:

(h) Address of the applicant:

2. **District in which firm desires to do drilling work:**

Note: For more than one district, firm have to applied separately to concerning District GroundWater Management Council

3. **Give details of drilling machine/ machines:**

4. **Purpose of drilling:**(Please tick)

(a) Government Work: YES/NO

(b) Private Work: YES/ NO

(c) Both: YES/ NO

5. **Details of payment of application fee:**

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury / Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

6. **Any other information which the applicant would like to furnish**

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished herein above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application / registration is liable to be rejected / cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars / information is found to be incorrect at any stage ofverification /scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars / information furnished is found to be in correct at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application :
   (a) Photocopy of Aadhaar card / voter ID /ration card, as proof of identification.
   (c) Photocopy of PAN card.
   (d) Photocopy of GST number.
7. The concerned Authority reserves the right to demand for any other document(s)fromthe owner applicant for examination of the merit of the case.

I agree ☑

Form-5 (B)

FORM OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF EXISTING DRILLING AGENCIES

(Registration of Existing Drilling Agencies)

(Under clause(g) of sub-section (3) of Section 4 and Section 18 of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022.)

Issued to:Shri/Smt/M/s. | | | | | | | | | | | |

BOOK NO | | | | | | Application Form .No | | | | | |

1. **Particulars about the applicant/ firm:**

(a) Name of the owner applicant (IN BLOCK LETTERS):(Please attach ID proof)

(b) Date of Birth:

(c) Son / Daughter / Wife / Husband of

(d) Sex (Please tick): M/F;

(e) PAN no. of Firm:

(f) GST No. of Firm

(g) Nationality:

(h) Address of the applicant:

2. **District in which firm is engaged in drilling work:**

Note: For more than one district, firm have to apply separately to concerning District GroundWater Management Council.

3. **Give details of drilling machine/ machines:**

4. **Purpose of drilling:** (Please tick):

(a) Government Work: YES / NO

(b) Private Work: YES/ NO

(c) Both: YES/ NO

5. **Details of payment of application fee:**

(a) Amount of Application Fee paid –

(i) Rs:

(ii) Voucher No:

(iii) date:

(b) Name of Treasury / Sub-Treasury / P.S.U. Bank where Application Fee has been paid-

(c) Name of Bank Branch (if payment has been made in a Bank)-

6. **Any other information which the applicant would like to furnish :**

DECLARATION BY THE APPLICANT

I do hereby declare that the particulars furnished here in above are correct and true. I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application/ registration is liable to be rejected/cancelled.

I agree ☐

Note:

1. Separate application form should be used for registration of each individual well.
2. The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction / alteration shall be duly authenticated.
3. In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification / scrutiny, the application is liable for rejection.
4. In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage evenafter issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
5. Please write' N.A.' against those items which are not applicable.
6. Please attach the following documents along with the application :
   (a) Document showing proof of ownership of land;
   (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID / ration card / any other proof of identification
7. The District Ground Water Management Council reserves the right to demand for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

I agre ☑

Form-6 (A)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF NEW DRILLING AGENCY

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF

THE

DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

(Under clause(g) of sub- section (3) of Section 4 and Section 18 of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022)

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of Firm:
   (b) Name of the owner applicant: Shri/Smt. .....
   (c) Son / Daughter of:
   (d) Address of the applicant:
   (e) Application Form Serial No. and date of submission:
2. Name of district in which agency is registered for drilling:

This certificate of registration is issued on the basis of the information furnished by the applicant subject to the conditions stated overleaf.

Place:
Date:

Yours faithfully,
Signature of the issuing authority and Designation

OFFICE SEAL

CONDITIONS

(1) Drilling Agency shall not do any drilling work in notified areas. List of notified areas can be downloaded from **web portal www. in.**

(2) Drilling Agency shall not do any drilling work in areas identified as ground water quality sensitive zones. List of ground water quality sensitive zones can be downloaded from **web portal www. in.**

(3) For more than one district, firm have to applied separately to concerning District Ground Water Management Council

(4) Any other condition(s) that may be imposed by the District Ground Water Management Council.

Form-6 (B)

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF EXISTING DRILLING AGENCY

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF

THE

DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

(Under Clause(g) of sub section (3) of Section 4 and Section 18 of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022)

REGISTRATION NO...

1. (a) Name of Firm:
   (b) Name of the owner applicant: Shri/Smt. .....
   (c) Son *I* Daughter of:
   (c) Address of the applicant:
   (e) Application Form Serial No. and date of submission:
2. Name of district in which agency is registered for drilling:

This certificate of registration is issued on the basis of the information furnished by the applicant subject to the conditions state do overleaf.

Place:
Date:

Yours faithfully,
Signature of the issuing authority and Designation

CONDITIONS

(1) Drilling Agency shall not do any drilling work in notified areas. List of notified areas canbe downloaded from **web portal www. .in.**

(2) Drilling Agency shall not do any drilling work in areas identified as ground water quality sensitive zones. List of ground water quality sensitive zones can be downloaded from **web portal www. .in.**

(3) For more than one district, firm have to applied separately to concerning District Ground Water Management Council.

(4) Any other condition(s) that may be imposed by the District Ground Water Management Council.

(5) It will be mandatory for all registered drilling agency to equipped their drilling rig machine with GPS System.

(6) Registered drilling agencies shall also online provide details of drilling work executed in every threemonths in appropriate link/ web porta

Form-7

LETTER OF REJECTION OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF DRILLING AGENCY

(EMBLEM OR HOLOGRAM OF

THE

DISTRICT GROUND WATER MANAGEMENT COUNCIL)

(Under Clause (g) of sub-section (3) of Section 4 and 18 of the Chhattisgarh Ground Water Management and Regulation Act, 2022)

No. Dated

To

Shri / Smt. / M/s. .....

Sub: Rejection of your application for grant of registration of drilling.

Ref: Your Application No submitted on .

Sir / Madam,

This is to inform you regretfully that your Application No .....dated.....
Submitted for grant of registration of drilling agency has been rejected because of the followingreason(s):

(1) Incomplete application

(2) Non-submission of requisite documents

(3) Shortfall in payment of requisite Application Fee

(4) Incorrect Head of A/C for deposition of Application Fee

(5) Others:

Yours faithfully,
Signature of the issuing authority

OFFICE SEAL

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.